खण्ड-166, अंक-2
मंगलवार, 9 फाल्गुन, शक संवत् 1877
(28 फरवरी, 1956 ई0)

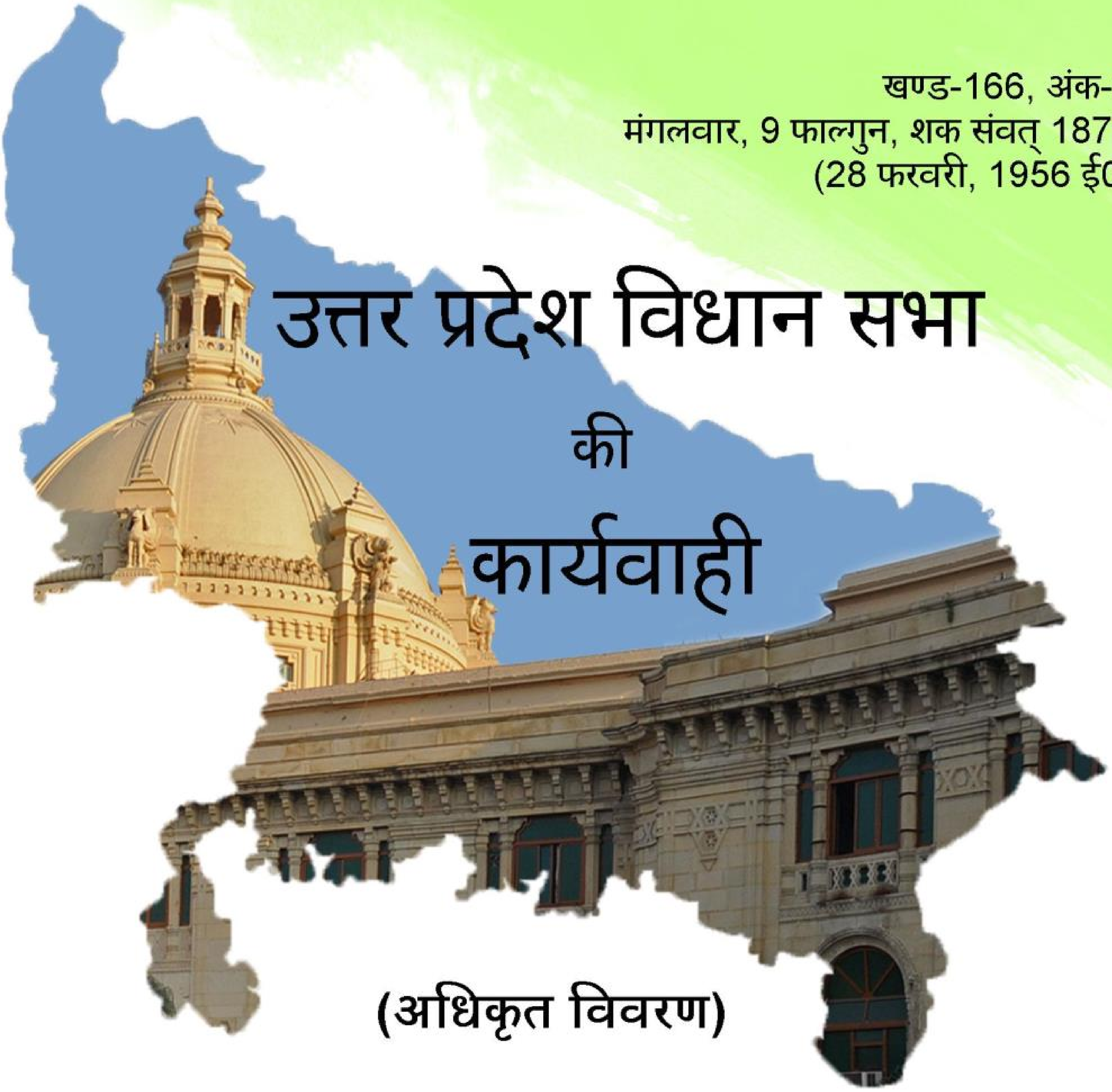

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 166 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अज़ीज़ इमाम, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली ज़हीर, श्री सैयद
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतज़ा हुसैन, श्री
इसरारुल हक़, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फ़तसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐज़ाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्ण चन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
ख्यालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्याम दास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीश सरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास , श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जोरावर वर्मा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीका राम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
ताराचन्द्र माहेश्वरी, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल,श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पाण्डेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद , श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरवान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज़
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नवी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद फ़ारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नवी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराजसिंह, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
राम अधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री

लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फ़अली ख़ां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह, श्री
शिवमंगल सिंह, कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेव सिंह, श्री
सालिगराम जायसवाल, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दर दास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य प्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद ख़ां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २८ फरवरी, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

विन्ध्य प्रदेश के बघेलखण्ड क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में मिलने का केन्द्रीय सरकार को सुझाव

**१—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या राज्य सरकार ने राज्यों को मिला कर जो बड़े प्रदेश बनाने की योजना है उस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को विन्ध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को मिला कर एक बड़ा प्रदेश बनाने के बारे में कोई सुझाव भेजा है? यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह क्या है?

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—जी हां। सुझाव का सारांश यह है कि यदि विन्ध्य प्रदेश को पृथक् राज्य के रूप में रखना अभीष्ट न हो, तो उसको, विशेषतः उसके उस भाग को जिसे बघेलखंड कहते हैं, उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री सुरेन्द्र दत्त वाजपेयी ने मुझे एक तार भेजा है जो मुझे अभी मिला है। वह यह है कि Please postpone my questions for the 28th लेकिन चूंकि मैं उनका नाम पुकार चुका था, और चूंकि अन्य लोगों ने यह इच्छा प्रकट की है कि वे उनके प्रश्नों में दिलचस्पी रखते हैं तथा उन्होंने मुझे प्रश्न पोस्टपोन करने की सूचना वक्त से नहीं दी, इसलिये मैं उन्हें मुल्तवी करने की इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)— क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह मांग किस आधार पर की गई है, आबादी बढ़ाने के लिये या और कुछ फायदा पहुंचाने के लिये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक मर्तबा जब एस० आर० सी० की रिपोर्ट पर बहस थी, चर्चा हो चुकी है। अभी हाल में राज्यपाल जी के सम्बोधन पर बोलते हुए मैं इस बात को स्पष्ट कर चुका हूं। यह कहना कि उत्तर-प्रदेश अपने फायदे के लिये या अपने फायदे की नीयत से कोई चीज मांगता है, उत्तर-प्रदेश का अपमान करना है। हम महज अपने फायदे के लिये कोई बात नहीं कहा करते हैं। मुझे माननीय सदस्य के इस प्रश्न को सुनकर थोड़ा दुःख हुआ। लेकिन विन्ध्य प्रदेश के लोगों ने एक बार नहीं, अनेकों बार, इस बात की इच्छा प्रकट की है कि वह अगर स्वतन्त्र रहने दिये जावें तो ठीक ही है, परन्तु अगर किसी वजह से उनको स्वतन्त्र न रहने दिया जाय तो वे उत्तर प्रदेश में मिलने में अपनी अधिक भलाई समझते हैं। उत्तर-प्रदेश की हमेशा यह नीति रही है कि यदि वह लोगों की किसी प्रकार से सेवा कर सके तो वह हमेशा तैयार रहेगा। हमने केन्द्रीय सरकार से भी यही कहा है कि वहां के लोगों की ऐसी इच्छा है और हम समझते हैं यदि हमें उनकी सेवा करने का मौका दिया जाय तो हम तैयार रहेंगे। यह सही है कि उनका और हमारा मेल होगा। हम यह नहीं कहते कि हम उनके ऊपर कोई एहसान करने जा रहे हैं। अगर उनका और हमारा मेल हुआ तो निश्चय ही उत्तर प्रदेश का भी फायदा होगा परन्तु हमने अपने फायदे के लिये कोई ऐसी मांग नहीं की है।

नोट—अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं० १ श्री जगपति सिंह ने पूछा।

सीतापुर जिले की सिधौली तहसील के कुछ गांवों को ओलों से क्षति

**२—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—क्या माल मंत्री को ज्ञात है कि सिधौली तहसील (सीतापुर) में दिनांक ९ जनवरी, १९५६ और ३ फरवरी, १९५६ को ओलों (पत्थरों) की वर्षा हुई है?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)—तहसील सिधौली, जिला सीतापुर में ९ जनवरी, १९५६ को तो ओलों (पत्थरों) की वर्षा हुई थी, लेकिन ३ फरवरी को ओलों की कोई वर्षा नहीं हुई।

**३—श्री ताराचन्द्र माहेश्वरी—यदि हां, तो क्या क्षतिग्रस्त काश्तकारों को सरकार सहायता देने की कृपा करेगी?

श्री चरण सिंह—जी हां।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि इन ओलों की वर्षा से किन-किन गांवों की और कितनी-कितनी क्षति हुई है?

श्री चरण सिंह—परगना पीरनगर के ८ गांव और परगना बारी के एक गांव में दस आने से बारह आने तक क्षति हुई है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—इस भारी क्षति को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय उक्त क्षेत्र की मालगुजारी माफ करने की कृपा करेंगे?

श्री चरण सिंह—जैसे माननीय मित्र को मालूम है जब नुकसान होता है तब हमेशा ऐसे क्षेत्रों के लिये मालगुजारी माफ होती है। धारा १७४ के अनुसार कार्यवाही हो रही है और १२ हजार रुपये की माफी का अन्दाजा है।

शिक्षा संस्थाओं को सीमेन्ट मिलने में असुविधा

**४—श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी) (अनुपस्थित)—क्या यह सही है कि गत नवम्बर मास में सरकार ने ऐसा एक आदेश जारी किया है कि जिसके अनुसार जिला सम्भरण अधिकारी (District Supply Officer) शिक्षा संस्थाओं (Educational Institutions) को उनकी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिये भी Cement नहीं दे सकता?

नियोजन मंत्री के सभा-सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)—जी नहीं। इस प्रकार के कोई आदेश जारी नहीं किये गये।

**५—श्री विष्णु दयाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सरकार को मालूम है कि शिक्षा संचालक से सीमेंट पूरे वैगनों में ही मिलता है और प्रायः उसके आने में विलम्ब लगता है? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा संस्थाओं की छोटी आवश्यकताओं के लिये जिले से ही सीमेंट दिलाने का प्रबन्ध करेगी?

श्री बलदेव सिंह आर्य—शिक्षा संस्थाओं की सीमेन्ट की अधिकतर मांगें साधारणतया जिले के कोटे से ही पूरी की जाती हैं। केवल बड़ी मांगे शिक्षा संचालक को दिये गये कोटे में से पूरी की जाती हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—क्या सरकार इस बात की जांच करावेगी कि जिन शिक्षा संस्थाओं को सीमेंट दिया गया है वे अपने कोटे से भी ज्यादा लिय हैं?

नोट—अल्प सूचित तारांकित प्रश्न ४–५ राजा वीरेन्द्र शाह ने पूछे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—जी हां, यदि माननीय सदस्य कोई ऐसी शिकायत लिखकर भेजेंगे तो उसकी जांच की जायगी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, मैं जरा क्लैरीफीकशन चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने चौथे प्रश्न के उत्तर में "जी नहीं" कहा है। प्रश्न यह है कि उनको छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिये भी सीमेंट नहीं दे सकती है। इसका तो उन्होंने उत्तर दिया है कि नहीं। और अगले यानी पांचवें प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा है कि जो छोटी-छोटी आवश्यकतायें हैं उनको तो जिला से पूरा कर दिया जाता है और बड़ी आवश्यकतायें एजूकेशन कोटा से दी जाती हैं।

श्री बलदेव सिंह आर्य— अध्यक्ष महोदय, प्रश्न साफ है और उसका उत्तर भी साफ है। सरकार के आदेश ऐसे हैं कि प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूलों की वार्षिक मरम्मत के लिये सीमेंट की छोटी-छोटी मांगें जिले के कोटे से जिलाधीश पूरी करेंगे। बड़ी मांगें प्रान्तीय कोटे से शिक्षा संचालक के नाम से जो एलाट होता है उसमें से शिक्षा संचालक की सिफारिश पर लोहा और इस्पात नियंत्रक पूरी करते हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—हायर सेकेंडरी स्कूलों की छोटी सीमेंट की आवश्यकताएं जिले में पूरी नहीं होती हैं क्या ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—अगर हायर सेकेंडरी स्कूल को केवल मरम्मत के लिये सीमेन्ट की आवश्यकता है तो वह जिलाधीश को अर्जी दे सकते हैं और अगर वह उसे छोटी मांग समझते हैं तो उसे पूरा कर देंगे, वरना उसकी सिफ़ारिश आगे करेंगे और वहां से उनको सीमेन्ट मिल जावेगी।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—सरकार की नजर में छोटी और बड़ी मांग में क्या अन्तर है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जैसा मैंने पहले स्पष्ट किया, छोटी मांग से अभिप्राय है जो केवल मरम्मत के लिये हों और बड़ी मांग वह है जिसमें कन्स्ट्रक्शन के लिये सीमेन्ट के वैगन्स की जरूरत हो।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)— क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या यह सही है कि प्रान्तीय सरकार ने इस तरह का कोई आदेश शिक्षा संचालकों के पास भेजा है कि उनकी निर्माण की आवश्यकताओं के लिये सीमेंट की मांगों को जिला के कोटा से पूरा किया जायगा ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—जो आदेश हैं उनको खुलासा कर दिया गया है। ऐसे आदेश नहीं हैं कि जो बड़े-बड़े निर्माण कार्य हैं उनकी पूर्ति भी जिले के कोटे से की जाय।

तारांकित प्रश्न

गाजीपुर जिला बोर्ड को बाढ़-ग्रस्त सड़कों व भवनों की मरम्मत के लिए सहायता

*१—श्री शिवपूजन राय (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला गाजीपुर में सन् ५३ व ५४ की बाढ़ से जो सड़कें तथा स्कूल नष्ट हो गये थे उनको सुधारने के लिये किसी प्रकार की सहायता दी गई ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)—जी हां। गाजीपुर जिला बोर्ड को बाढ़ से क्षतिग्रस्त जिला बोर्ड की सड़कों व भवनों की मरम्मत के लिये २० हजार रुपये की सहायता दी गई है। इस जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सड़कों में से कुछ पर मरम्मत हो चुकी है और शेष पर मरम्मत जारी है।

श्री शिवपूजन राय—जिन सड़कों की मरम्मत हो गई है वह कौन-कौन हैं और किन सड़कों की बाकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा गोरखपुर-गाजीपुर सड़क पर मील नम्बर ६५ पर सड़क की मरम्मत और पुल का कार्य हो चुका है और मील नम्बर ८१ पर पुल का कार्य हो रहा है। बनारस-बलिया सड़क के मील नम्बर ५० पर सड़क की मरम्मत का कार्य हो गया है तथा पुल का कार्य हो रहा है।

श्री शिवपूजन राय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि परसा और अमहट नाम की जो सड़क है वह बाढ़ एरिया में नहीं है ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—मेरे विचार से नहीं होगी। अन्यथा वह भी सूची में सम्मिलित होती। यदि वह जिलाबोर्ड से संबंधित है तो दूसरी बात है।

श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—क्या यह सत्य है कि यूसुफपुर से बलिया तक जाने वाली सड़क पर हाटा पुल टूटा पड़ा है और उस पर अभी तक काम नहीं लगा ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य—बनारस-बलिया वाली सड़क पर जो पुल का कार्य है वह प्रारम्भ हो रहा है। उसके संबंध में आगणन आदि सब तैयार हैं और मेरे विचार से काम अब तक लग गया होगा ।

*२—**श्री शिवपूजन राय**—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

अहरौरा बांध टूटने से हानि

*३—**श्री श्रीचन्द्र** (जिला मुजफ्फरनगर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि अहरौरा बांध टूटने से कितने रुपये की हानि हुई है। यह हानि किस पदाधिकारी की गलती से हुई और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

सिंचाई उपमन्त्री (श्री राममूर्ति)—अहरौरा बांध के टूटने से लगभग १,८२,८०० रुपये की हानि हुई। यह हानि किसी पदाधिकारी की गलती या निर्माण विधि में त्रुटि से नहीं हुई। अतः किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार बतलायेगी कि यह बांध किन कारणों से टूटा है ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, ऐसा हुआ कि बारिश होने से पहले पानी रिजर्वायर में इकट्ठा करने का इरादा नहीं था लेकिन बाद में यह निश्चय किया गया कि पानी इकट्ठा किया जाय। लेकिन चूंकि मिट्टी अच्छी तरह से कंसोलिडेट नहीं हो पायी थी इसलिये वह बांध टूट गया।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर यह बतायेंगे कि इसकी जांच किसके द्वारा करायी गयी ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—इसकी जांच चीफ इंजीनियर की ओर से की गयी थी । इसके अतिरिक्त सेंट्रल वर्क्स एन्ड पावर के इंजीनियर जो गवर्नमेंट आफ इंडिया की ओर से भेजे गये थे, उन्होंने भी इसकी जांच की थी ?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या यह सही है कि यह बांध मसाला कमजोर लगाने की वजह से टूट गया ?

श्री राममूर्ति—नहर विभाग में कमजोर मसाला नहीं लगाया जाता वह तो मिट्टी का बांध था, मसाले का सवाल ही पैदा ही नहीं होता।

नोट—तारांकित प्रश्न ३ श्री रामदास आर्य ने पूछा।

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या इस बांध की मरम्मत हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या खर्चा हुआ ?

श्री राममूर्ति—यह जो १८२ हजार रुपया खर्च हुआ है इसमें पहले का खर्चा और मरम्मत का खर्चा सब शामिल है।

गांव सभा के अध्यक्ष पद के लिये सरकारी कर्मचारियों के खड़े होने पर आपत्ति

*४—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव)—क्या स्वशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनके त्यागपत्र नामांकन दिवस तक स्वीकार नहीं किये गये गांव सभा के प्रधान पद के निर्वाचन में उम्मीदावार खड़े हो सकते हैं ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—माननीय सदस्य महोदय का ध्यान यू० पी० पंचायतराज अधिनियम १९४७ की धारा ५-क के उपखंड (ख) की ओर आकृष्ट किया जाता है जो निम्नलिखित है—

५-क-कोई व्यक्ति धारा ४२ के अधीन संगठित किसी गांससभा अथवा गांव पंचायत अथवा न्याय पंचायत के लिये चुने जाने, नाम निर्देशन किये जाने, नियुक्त किये जाने अथवा उनमें किसी मद पर काम करने के लिये अनर्हय होगा यदि—

(ख) वह राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार अथवा स्थानीय अधिकारी (जो गांव सभा या न्याय पंचायत से भिन्न हो) के अधीन किसी लाभप्रद पद पर आसीन है।

*५—श्री देवदत्त मिश्र—क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव जिले की खुरवा तहसील में इस तरह के कितने सरकारी कर्मचारी प्रधान पद के लिये उम्मेदवार खड़े हुए और उनके नामांकन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कैलाश प्रकाश —ऐसा कोई सरकारी कर्मचारी प्रधान पद के लिये खड़ा नहीं हुआ।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मालगुजारी वसूल करने वाला अमीन सरकारी अमीन माना जाता है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—अमूमन जिनको सरकारी तनख्वाह दी जाती है वह सरकारी कर्मचारी होता है।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री को मालूम है कि उन्नाव जिले में मगरेरा गांवसभा के अध्यक्ष पद के लिये वहां का निवासी रामानुज बाजपेयी जो अमीन है खड़ा हुआ था ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—उसने पहले से स्तीफा दे दिया था उसके बाद खड़ा हुआ था।

श्री देवदत्त मिश्र—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नामांकन दिवस के पूर्व उसका त्यागपत्र स्वीकार किया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश—वह अगस्त, ५५ में ही त्यागपत्र दे चुका था।

*६-८—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—[६ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—(जिला जौनपुर) [३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

जौनपुर जिले की मुन्सिफी अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*१०—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के प्रत्येक मुंसिफ की अदालत में ३० सितम्बर, सन् १९५५ को कितने-कितने मुकदमें बकाया में थे तथा उनमें कितने-कितने वर्ष के ऊपर के लगे थे?

श्री सैयद अली जहीर—इसका उत्तर संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७८ पर)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ३० सितम्बर, १९५५ तक कुल बकाया मुकदमों की तादाद ५,२६१ जो दी हुई है और ३० सितम्बर, १९५५ को दो वर्ष से ऊपर बकाया मुकदमों की तादाद ८७४ दी हुई है इतनी बड़ी तादाद बकाया में है इसका क्या कारण है?

श्री सैयद अलीजहीर—कारण यह है कि उनका फैसला अभी तक नहीं हुआ।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या माननीय मंत्री महोदय इसकी व्यवस्था करेंगे और वहां मुंसिफ या दूसरे अधिकारी नियुक्त करने की कृपा करेंगे ताकि इतनी बकाया जल्दी निबटाया जा सके?

श्री सैयद अलीजहीर—मुझे यकीन है कि हाईकोर्ट जरूर उसका प्रबन्ध कुछ न कुछ करेगा।

जौनपुर जिले में उनचनी खुर्द गांव को ऊंचा करने का कार्य

*११—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले के उनचनी खुर्द गांव को ऊंचा करने की योजना बनी थी और जिसके लिये भूमि हस्तगत की जा चुकी थी क्यों स्थगित कर दी गई एवं उस पर सरकार का कुल कितना धन नष्ट हुआ?

श्री राममूर्ति—उनचनी खुर्द ग्राम जौनपुर से मिर्जापुर जाने वाली सड़क के छठें मील में सई नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यह सन् १९५५ की बाढ़ से प्रभावित हुआ था और तब यह निश्चय किया गया था कि गांव की तह को सन् १९५५ की बाढ़ के स्तर से १ फुट ऊंचा किया जावे? नवम्बर, १९५५ में कार्य आरम्भ हुआ था और अब भी जारी है। अतः कार्य स्थगित करने तथा उस धन के नष्ट होने का प्रश्न नहीं उठता। इस कार्य के लिये कोई जमीन भी नहीं ली गई थी।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार इस बात की जांच करायेगी कि उंचनी खुर्द गांव का पुरवा घुवाबीर इसका एक हिस्सा है और उसी के लिये जमीन ऊंची करने के लिये, अक्वायर की गयी थी?

श्री राममूर्ति—जवाब में तो कोई पुरवा वगैरह का जिक्र है नहीं। अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो लिख कर दे दें, जांच करा ली जायगी।

मुजफ्फरनगर शामली केराना सड़क को चौड़ी करने की मांग

**१२—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुजफ्फरनगर शामली केराना की सड़क का चौबीसवां मील वर्षों से बिना मरम्मत पड़ा हुआ है ? क्या सरकार इस मील को सुधारने की कृपा करेगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—जी नहीं। द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

**१३—श्री श्रीचन्द्र (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस सड़क की चौड़ाई बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि बाईपास बनाने के आईडिया को छोड़कर सड़क शहर के बीच से बनाने का निश्चय किया जा चुका है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

श्री बलवंत सिंह—क्या सरकार यह बतायेगी कि इस सड़क के गोले की चौड़ाई जो बढ़ाई गयी वह कितनी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—९ फीट।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय निर्माण मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस सड़क को चौड़ा करने का इरादा एक साल पेश्तर ही सरकार जांच के पश्चात् कर चुकी थी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, इसको चौड़ा करने का इरादा था लेकिन उस पर ६७५ हजार रुपया खर्चा होने वाला था, जो आज की परिस्थितियों में संभव नहीं है।

काबाल टाउन्स को अल्प-आय-श्रेणी गृह-निर्माण योजना के लिए धन

*१४—**श्री सुरेन्द्र दत्त बाजपेयी** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि काबाल टाउन्स की नगरपालिकाओं को शहरों में मकान बनाने के लिये वह कुछ रुपया देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो किन-किन नगरपालिकाओं को और कितना-कितना ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। काबाल टाउन्स की नगरपालिकाओं को शहरों में मकान बनाने के हेतु सरकार अल्पायी श्रेणी गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत रुपया दे रही है। अब

नोट—तारांकित प्रश्न १२–१३ श्री बलवन्त सिंह ने पूछे, तथा प्रश्न १४–१५ श्री जगपति सिंह ने पूछे।

तक काबाल टाउन्स की नगरपालिकाओं व इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को निम्नलिखित राशियां भिन्न-भिन्न कार्यों के लिये स्वीकृत की जा चुकी है:—

	For construction of houses for low paid staff	For giving loan to private builders and also for constructing houses or letting them out
कानपुर (डेवलपमेंट बोर्ड)	५,००,०००	८२,५५,०००
आगरा (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट)	..	२२,००,०००
बनारस (म्युनिसिपल बोर्ड)	..	३०,००,०००
इलाहाबाद ..	२,६९,००० (म्यूनिसिपल बोर्ड)	१५,००,००० (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट)
लखनऊ ..	२,००,००० (इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट)	२५,००,००० (म्युनिसिपल बोर्ड)
योग	९,६९,०००	१,७४,५५,०००

उपर्युक्त धनराशियों का २० प्रतिशत पहली किस्त के रूप में दिया जा चुका है।

*१५—**श्री सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी** (अनुपस्थित)—क्या यह सत्य है कि नगरपालिकायें इन मकानों को हायर परचेज पद्धति पर लोगों को देंगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां। यदि गृह निर्माण के लिये नागरिकों से आवेदन-पत्र पर्याप्त संख्या में न आये तो उन नगरों के प्रशासक स्वयम् मकान बनाकर उन्हें इच्छुक खरीदारों को हायर "परचेज" पद्धति पर बेंच सकते हैं।

*१६—**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा)—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किया गया]

गोंडा जिले में खरझार नाले की बहिया को कम करने के लिये निकास

*१७—**श्री गंगा प्रसाद**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में तहसील बलरामपुर के खरझार नाले से प्रतिवर्ष निकटवर्ती ग्रामों के किसानों को होने वाली हानि से बचाने के लिये सरकार कोई प्रबन्ध करने जा रही है ? यदि हां, तो वह क्या है और कब तक वह पूरा हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति—बरसात के मौसम में गिरगिटही सरोवर को भरने के उद्देश्य से एक बड़ी शाखा खरझार नाले से निकाली जा रही है, जिससे उक्त नाले में बहिया कम हो जाने की आशा है। यह काम जून, १९५६ तक खत्म हो जाने की उम्मीद है।

गंदे पानी के निकास के लिए अल्मोड़ा नगरपालिका को धन की आवश्यकता

*१८—**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार ने अल्मोड़ा नगरपालिका को पिछले तीन वर्षों में नई नालियां बनाने को कोई विशेष अनुदान दिये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, अनुदान सड़क बनाने के लिये अवश्य दिये गये हैं जिनके दोनों ओर नाली बनाने का मूल्य भी अनुदान में शामिल है ?

*१९--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या इन अनुदानों द्वारा अल्मोड़ा नगरपालिका के मुरली मनोहरवार्ड के डिग्गी बाजार, मल्ला जोशी खोला और तल्ला शेलाखोला में तीन गन्देपानी की नालियां बनी हैं या बनने वाली हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश--अनुदान गन्दे पानी की नालियों (Sewers) के लिये नहीं दिया गया है।

*२०--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या यह तीन नालियां वहां बनी है या बनाई जा रही हैं, जहां पहिले भी ही नालियां मौजूद थीं ?

श्री कैलाश प्रकाश--यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुदान कब दिया गया था और कितना दिया गया था ?

श्री कैलाश प्रकाश--अनुदान जो सड़क बनाने के लिये दिया गया सन् १९५५-५६ में १९ हजार १०० रुपये है ?

श्री व्रजभूषण मिश्र--माननीय मंत्री जी को पता है कि उसमें काम अब तक कितना हुआ है ?

श्री सैयद अलीजहीर--जी नहीं। यह पता तो अभी नहीं है।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या वहां की पालिका ने कोई मांग की थी ? यदि हां, तो कब और कितनी ?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां, उन्होंने मांग की थी। लेकिन कितनी मांग की थी, वह इस वक्त आंकड़े नहीं हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री कृपा करेंगे कि वहां नालियों की गंदगी के कारण जनता को बहुत कष्ट है और लोगों को बड़ी शिकायत है ?

श्री सैयद अलीजहीर--बात यह है कि सीवरेज सिस्टम एक दूसरी चीज है उसके लिये बहुत ज्यादा धन की जरूरत होती है। लेकिन जो ऐसी नालियां हैं जो सड़क के किनारे बनती हैं उसी के लिये अनुदान दिया जाता है। उसी से ही बन जाती हैं। समझ में नहीं आता कि गंदे पानी की नालियां न होने की वजह से ऐसा है। लेकिन जो रुपया उनको दिया गया था वह सड़क के किनारे नालियां बनाने के लिये दिया था। लेकिन मैला निकालने के लिये सीवरेज सिस्टम के लिये अभी तक रुपये का इन्तजाम नहीं कर सके हैं।

*२१-२३--श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

आजमगढ़ शहर को तमसा नदी की बाढ़ से बचाने की योजना

*२४--श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार को आजमगढ़ शहर को तमसा की बाढ़ से बचाने की कोई योजना प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, इस योजना में मुख्य-मुख्य सुझाव यह है कि--

(१) वर्तमान बांध जो आजमगढ़ शहर में बना हुआ है उसकी चौड़ाई १६ फीट होना चाहिये तथा नदी की तरफ का ढाल १:२ तथा शहर की ओर का ढाल १:३ होना चाहिये लेकिन यदि दोनों ओर १:३ हो तो अच्छा होगा।

(२) स्लूइस गेट्स का आधुनीकरण जिससे कि वे उचित रूप से कार्य कर सकें।

(३) बाढ़ के समय जब कि गेट न खुले उस समय शहर के गंदे पानी को बाहर निकालने का उचित प्रबन्ध।

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

(४) लाल डिग्गी टैंको उच्चतम लैबिल पर भर देना तथा एक नाली शहर के पानी को निकालने के लिये बनाना।

श्री झारखंडेराय—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें किसी स्टेज पर इस तरह का भी कोई सुझाव प्राप्त हुआ था कि आजमगढ़ शहर को टोंस नदी जो तीन तरफ से घेरे हुए है, उस घिराव को बाई पास करके नदी का बहाव सीधा कर दिया जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां, ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ था।

श्री झारखंडेराय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सुझाव के बारे में सरकार ने क्या फैसला किया या उसका क्या विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—विशेषज्ञों द्वारा वह सुझाव अव्यावहारिक ठहराया गया।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उन्हें इस बात की सूचना है कि शहर से जाने वाली सड़क जिसको ऊंचा करने के कारण भी बाढ़ का प्रकोप ज्यादा हुआ उसमें जो पुल बने हैं उनको चौड़ा करने का सरकार का विचार है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—उसके संबंध में सर्वे पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मेरे मित्र का संभवतः खयाल स्टेशन और शहर वाली सड़क से है। और उसके सर्वे पर यह निर्भर करता है कि जो पानी निकलने के मार्ग हैं उनको चौड़ा किया जाय या सड़क को नीचा किया जाय या और अधिक ऊंचा किया जाय।

*२५–२६—**श्री झारखंडे राय**—[३ अप्रैल, १९५६ के लिए स्थगित किये गये]

अनूपशहर नगरपालिका का भंग किया जाना

*२७—**श्री जोरावर वर्मा** (जिला हमीरपुर)—क्या सरकार बतायेगी कि अनूपशहर नगरपालिका राज्य सरकार द्वारा भंग कर दी गई है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, अध्यक्ष नगरपालिका, अनूपशहर ने उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर, सरकार से म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा ४७(ए) के अन्तर्गत सिफारिश की थी कि नगरपालिका को भंग कर दिया जाय। तदनुसार अनूपशहर नगरपालिका को १० नवम्बर, १९५५ से भंग कर दिया है। दलबंदियां और आपसी फूट इतनी बढ़ गई थी कि नगरपालिका का काम चलना दुष्कर हो गया था और जनता के हित में उसका भंग होना अनिवार्य था।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि नगरपालिका में चुनाव करने का उनका विचार है ? यदि हां, तो कब ?

श्री कैलाश प्रकाश—चुनाव हो रहा है और संभवतः चुनाव का बहुत कुछ काम अब तक हो भी चुका होगा।

स्टैच्यूट बुक का महत्व

*२८—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह** (जिला फतेहपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या Governor's Book नामक कोई रजिस्टर जिसमें राज्य के समस्त अधिनियम और उनके संशोधन जो समय-समय पर किये जाते थे लिखे होते थे, पहले कभी maintain किया जाता था ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी नहीं। परन्तु Statute Book नामक एक रजिस्टर maintain होता था जिसके द्वारा अधिनियमों और अध्यादेशों पर क्रमवार संख्या दी जाती थी तथा उनके संबंध में कुछ बातें लिखी जाती थीं। यह रजिस्टर उसी रूप में अब भी maintain किया जाता है।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या माननीय न्याय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्टेच्यूट बुक में अधिनियम और अध्यादेश पूरे के पूरे लिखे होते हैं या केवल नाम, क्रम संख्या और उसके बारे में कुछ बातें ही लिख कर के छोड़ देते हैं?

श्री सैयद अलीजहीर—स्टेच्युट बुक में तो सिर्फ नाम और जब वह गजट में छपता है तब उसकी तारीख और जब वह यहां से असेम्बली से पास हुआ, जिस तारीख को, वह तारीख, जब कौंसिल से पास हुआ तो वह तारीख और इसी तरह से जब गवर्नर के दस्तखत उस पर हुये, तो वह तारीख और जब राष्ट्रपति की मंजूरी हुई तो वह तारीख और फिर जब वह यू० पी० गजट में निकला, ये सब तारीखें लिखी जाती हैं। ऐक्ट नहीं लिखा जाता। जहां तक खुद कानून का ताल्लुक है वह अलग एक सेक्रेटरियट के रेकर्ड रूम में उसकी आथेंटिक कापी कहलाती हैं वह, जिसके ऊपर सबके दस्तखत होते हैं, वह रखी जाती है।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह—जब ऐक्ट, ऐक्ट हो गया तो अमेंडेड ऐक्ट पूरा का पूरा छपवाने की कोई व्यवस्था नहीं है फिलहाल ?

श्री सैयद अलीजहीर—वह तो ऐक्ट गजट में छप जाता है। लेकिन अमेंडेड ऐक्ट जो छापने वाले लोग हैं वह छापा करते हैं। सरकार को जब जरूरत होती है तो अपनी जरूरत के लिये कानून को फिर से मैन्युअल की शक्ल में या इस तरह से वह शाया किया जाता है लेकिन कोई आफिशल ऐक्ट जिसमें हर तरमीम शामिल हो जैसे ही तरमीम हो, वैसे ही, उसी तरह नहीं छापा जाता।

फतेहपुर को हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत ऋण देने के लिये प्रार्थना

*२९—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सरकारी Housing Scheme के अन्तर्गत कोई grant या loan अभी तक जिला फतेहपुर में दिया गया है या नहीं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं। अभी तक सरकारी हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत कोई Grant या Loan जिला फतेहपुर को नहीं दिया गया है।

*३०—**श्री अनन्त स्वरूप सिंह**—अगर नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जिला फतेहपुर से इस विभाग की किसी भी योजना के अन्तर्गत कोई grant या loan के लिये प्रार्थना-पत्र नहीं प्राप्त हुआ है।

श्री अनन्त स्वरूप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट फतेहपुर के पास कई प्रार्थना-पत्र ग्रांट और लोन के लिये दिये गये, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रार्थना-पत्र को फारवर्ड नहीं किया ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है।

अर्जुन बांध से सिंचाई का कार्य

*३१—**श्री तेज प्रताप सिंह**—क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुन बांध की नहरों से कब से सिंचाई की नहरों के लिये पानी दिया जायेगा ?

श्री राममूर्ति—अर्जुन बांध की नहरों द्वारा सिंचाई के लिये पानी पहले ही से दिया जाने लगा है।

*३२—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या अर्जुन बांध से बिजली पैदा करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री राम मूर्ति—अर्जुन बांध से बिजली पैदा करने की कोई योजना नहीं है। इसके आस-पास के क्षेत्र को माता टीला हाईड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से बिजली दी जायगी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि उन्होंने पिछले मरतबे हमीरपुर के दौरे में ऐसा कोई आश्वासन दिया था कि पहली सिंचाई पर कोई महसूल नहीं लिया जायगा ?

श्री राममूर्ति—याद नहीं पड़ता कि कोई ऐसी चीज कही गई हो।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी को यह ज्ञात है कि इस नहर के आगे बहुत सी सड़कों पर पुल न बनने के कारण बहुत से रकबे में सिंचाई नहीं हो सकेगी ?

श्री राममूर्ति—यदि ऐसी कोई बात हो तो माननीय सदस्य उसको लिखकर दें तो पुल बनवाने के बारे में सोचा जायगा और देखा जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अर्जुन बांध से कितनी लम्बी नहरें निकाली गयी हैं और कितने एरिया की सिंचाई उससे होती है ?

श्री राममूर्ति—इससे लगभग सौ मील लम्बी नहरें निकली हैं और २७ हजार एकड़ भूमि इससे सींची जायगी।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह अर्जुन बांध का ऐसा कोई सर्वे कराने का विचार करेंगे जिससे वहां पर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित हो ?

श्री राममूर्ति—जब उसमें पानी बहुत थोड़ा रहता है तो साल भर बिजली का काम पानी से हो नहीं सकता। माता टीला वहां से बहुत नजदीक है इसलिये वहीं से बिजली दी जायगी।

*३३—श्री शिवपूजन राय—[३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*३४-३६—श्री यमुना सिंह (जिला गाजीपुर)—[३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

सड़कों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए जानकारी

*३७—श्री रामचन्द्र विकल—क्या निर्माण मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि सड़कों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना अन्तिम रूप से कब तक स्वीकृत हो जायेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सड़कों की द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार हो चुकी है किन्तु इस योजना का हर साल पुनरावलोकन किया जायगा और आवश्यकता के अनुसार उसमें संशोधन भी किये जायंगे।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हर धनराशि के पुनरावलोकन और संशोधन की जो आवश्यकता पड़ी यह क्यों पड़ी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्लानिंग कमीशन की आज्ञा के अनुसार तथा इसके अतिरिक्त यह कि कुछ धन और समय-समय पर कहीं से मिलता रहे तो उसके अनुसार योजना में रद्दोबदल किया जा सकता है।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह संशोधन किसके द्वारा होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो सड़कें ली गई हैं वे किनकी राय से ली गयी हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—वे सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा ली गयी हैं और बहुत काफी विचार-विनिमय के बाद तय की गयीं। यही नहीं, बल्कि जो स्टैंडिंग कमेटी है उसमें भी इस प्रश्न पर विचार किया गया और उन्होंने जो सिद्धान्त तय किये उनके अनुसार ली गयीं।

श्री बलवन्त सिंह—क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि हर जिले के लिये सरकार की जो सड़कें होंगी वे निश्चित हो गयी हैं?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन सड़कों को लेते वक्त क्षेत्रीय एम० एल० ए० और कार्यकर्ताओं से भी कोई राय ली गयी है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्लानिंग कमेटी में सभी लोग उपस्थित हुए थे और उन्होंने इसके सम्बन्ध में विचार-विनिमय किया था।

*३८–३९—**श्री रामचन्द्र विकल**—[३ अप्रैल, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*४०—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—[१६ मार्च, १९५६ के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*४१–४२—**श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट**—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

ट्रैक्टर वर्कशाप विसुन्दरपुर, मिर्जापुर के कर्मचारी

*४३—**श्री रामकृष्ण जैसवार** (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ट्रैक्टर वर्कशाप विसुन्दरपुर, मिर्जापुर में कितने कर्मचारी किस-किस पद पर कितनी तनख्वाह पर अस्थायी तथा स्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं और अस्थायी कर्मचारियों के कार्यकाल की अवधि अब तक क्या है?

श्री राममूर्ति—मांगी हुई सूचना संलग्न अनुसूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७९ पर)

*४४—**श्री रामकृष्ण जैसवार**—क्या सरकार यह बतायेगी कि यह शाप विशेषतया सिरसी डैम डिवीजन के खुलने के ही कारण खोला गया था? सिरसी डैम के पूर्ण होने पर इस शाप के कर्मचारियों को बेकारी से बचाने के लिये सरकार क्या सोच रही है?

श्री राममूर्ति—जी नहीं। सिरसी बांध के पूर्ण होने का कोई प्रभाव इस वर्कशाप के कर्मचारियों पर नहीं पड़ेगा।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सूची संलग्न है उन नामों के अतिरिक्त कुछ और मेकेनिक या ट्रैक्टर चालक वगैरह उस वर्कशाप में काम करते हैं?

श्री राममूर्ति—और भी काम करने वाले हो सकते हैं।

श्री रामकृष्ण जैसवार—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न ४४ के उत्तर के अनुसार उन कर्मचारियों पर प्रभाव पड़ेगा या वह काम करते रहेंगे?

श्री राममूर्ति—जी नहीं, जब बांध पूरा हो जायगा तब भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां तो बहुत काम है और जो सेंकिड फेज में काम हो रहा है वह भी बहुत काफी काम है इसलिये उनके निकाले जाने का सवाल नहीं है।

*४५–४७—**श्री जगपति सिंह**—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

म्युनिसिपल बोर्ड, महोबा का वाटर वर्क्स के लिये आवेदन-पत्र

*४८—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सरकार बतायेगी कि म्यूनिसिपल बोर्ड, महोबा ने वाटर वर्क्स खोलने के लिये कोई आवेदन-पत्र दिया है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—क्या यह सत्य है कि महोबा नगरपालिका ने जलकल खोलने का आवेदन-पत्र दिया है और योजना बनाने का शुल्क भी जमा कर दिया है। वहां अधिकांश कुएं खारी हैं और ऐसी योजना की आवश्यकता भी है। किन्तु जमींन पथरीली होने से ट्यूबवेलों द्वारा पानी निकालना कठिन है। सिंचाई विभाग द्वारा सालार बांध बन जाने पर ही यह कठिनाई दूर हो सकेगी। योजना इसी आधार पर बनाई जा रही है।

श्री जोरावर वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बीजानगर झील से महोबा एक मील दूर है, वहां से पानी प्राप्त करने का सुझाव म्यूनिसिपैलिटी ने भेजा है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी, नगरपालिका ने यह सुझाव दिया था कि जो पानी के सिंचाई के तालाब हैं उनसे पानी लिया जाय। इस चीज को भी सिंचाई विभाग द्वारा देखा जा रहा है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि सपरार बांध कहां है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी, सपरार बांध मऊरानीपुर के पास है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या मंत्री जी इस पर विचार करेंगे किस सपरार बांध से महोबा को सुविधा नहीं मिल सकती है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी, जरूर विचार करेंगे। यदि नहीं मिल सकती होगी तो कैसे मिल पायगी?

झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई का स्मारक बनाने की योजना

*४९—**श्री गज्जू राम** (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि वह महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी, का स्मारक बनाने जा रही है? यदि हां, तो कब तक?

सूचना मंत्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मी शंकर यादव)—हां। झांसी में किले के नीचे त्रिकोण में महारानी लक्ष्मी बाई के स्मारक बनाने की व्यवस्था की जा रही है। आशा है कि १९५६ के अन्त तक स्मारक बन कर तैयार हो जावेगा।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महारानी लक्ष्मीबाई के स्मारक में सरकार कितना रुपया खर्च करने जा रही है?

श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस काम के लिये कुछ रुपया बजट में रखा गया है। जब बजट स्वीकृत हो जायगा तब ब्योरे की बातें बतलाई जा सकती हैं।

श्री गज्जूराम—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह किले के मेन गेट के दायीं ओर या बाईं ओर बनाया जायगा?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसकी तफसील तो मेरे पास नहीं है लेकिन जहां उपयुक्त स्थान होगा वहीं बनेगा।

श्री रामेश्वरलाल—क्या माननीय मंत्री जी लक्ष्मी बाई का स्मारक बनारस या इलाहाबाद में राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए बनाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—यह तो जो लोग हमारे इतिहास में बहुत बड़ा काम कर गये हैं उनके जितने भी स्मारक बन जायं उचित ही होगा। लेकिन न तो सरकार के पास इतना रुपया ही है कि हर एक का स्मारक बनाया जा सके और न ऐसा करना अन्य कारणों से संभव ही हो सकता है। महारानी लक्ष्मी बाई का जन्म जरूर बनारस में हुआ था, लेकिन इलाहाबाद से उनका क्या संबंध है, मैं नहीं कह सकता। उनका मुख्य कार्य क्षेत्र झांसी में ही था इसलिये वहीं उनका स्मारक बनाया जायगा।

श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त मूर्ति संगमरमर की बनेगी या किसी धातु की ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, यह तो ऐसा प्रश्न है कि जिस समय पूरी तफसील उसकी आ जाय तभी बताया जा सकता है कि मूर्ति सुन्दर बनेगी, स्मारक के अनुरूप बनेगी, किस पदार्थ की बनेगी, संगमरमर की या किसी धातु की।

*५०-५२—श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)—[१३ मार्च, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

हसनपुर म्युनिसिपैलिटी में बिजली के प्रयोग के संबंध में शिकायत

*५३—श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)—क्या सरकार को ज्ञात है कि हसनपुर म्युनिसिपैलिटी में रविवार तथा अन्य गजटेड छुट्टियों को तमाम दिन सड़कों पर बिजली जलती रहती है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जहां तक सरकार को ज्ञात है हसनपुर म्युनिसिपैलिटी की सड़कों पर केवल रात में ही बिजली जलती है।

रिलाऐंस एन्ड कम्पनी को नलकूपों के लिये ठेका

*५४—श्री जगदीश प्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि क्या स्वशासन इंजीनियरिंग विभाग द्वारा Reliance and Co. को नलकूपों के कुछ ठेके दिये गये हैं ? यदि हां, तो कितने नलकूपों के ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, Reliance Engineering Co. को ५ नलकूप बरेली शहर में जलकल योजना स्थापित करने के संबंध में दिये गये हैं।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह ठेके पर नलकूप कितने धन के लिये गये हैं ?

श्री सैयद अलीजहीर—इसकी सूचना इस वक्त फाइल में नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इन ठेकों के लिये टेंडर मांगे गये थे ?

श्री सैयद अलीजहीर—जहां तक मुझे मालूम है, इसके लिये टेंडर नहीं मांगे गये थे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि सरकार से हर डिपार्टमेंट को यह आदेश जारी किये हैं कि जहां भी ऐसे काम हों उन्हें या तो सरकारी विभाग खुद करे या अगर उन्हें ठेके पर दिया जाय तो उनके लिये टेंडर मांगना जरूरी होगा ?

श्री सैयद अलीजहीर—जी हां, आम तौर से इसी प्रकार कार्यवाही होती है, लेकिन बाज वक्त ऐसा होता है कि कुछ ऐसी सूरतें पैदा हो जाती हैं कि जिनमें टेंडर नहीं मांगा जा सकता, कंपिटीटिव रेट्स पर उनको दिया जाता है।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में और भी बहुत से वाटर सप्लाई वाले हमारे कंट्रैक्टर्स हैं जिनसे यह काम कराया जा सकता था और क्या कारण थे कि इस एग्रीमेंट पर इसी फर्म को यह काम दिया गया ?

श्री सैयद अलीजहीर—यह तफसील इस वक्त मेरे पास नहीं है, अगर आप दरियाफ्त करना चाहेंगे तो मैं बतला दूंगा।

जौनपुर जिले में ग्राम सभा रामनगर भरसरा को अनुदान

*५५—श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला जौनपुर में ग्राम सभा रामनगर भरसरा के ग्राम सभा भवन के निर्माण के हेतु तथा उसकी मरम्मत के हेतु किस-किस सन् में कितना-कितना सरकारी अनुदान सरकार की तरफ से दिया गया है ?

श्री सैयद अलीजहीर—गांव सभा रामनगर भरसरा को ग्राम सभा भवन निर्माण हेतु सन् ५४–५५ में ६०० रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया था। मरम्मत के लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया है ?

*५६—श्री बाबूनन्दन (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि उपर्युक्त ग्राम सभा को कितना-कितना सरकारी अनुदान किस-किस सन् में ग्राम सभा के सड़क के निर्माण तथा श्रमदान के संबंध में दिया गया है ?

श्री सैयद अलीजहीर—गांव सभा रामनगर भरसरा को सन् ५४–५५ में सड़क के निर्माण हेतु १००० रुपये का अनुदान दिया गया था।

*५७—श्री बाबूनन्दन (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिला में कितनी गांव सभाओं ने स्वयं किश्ती का प्रबन्ध कर लिया है ?

श्री सैयद अलीजहीर—जिले की किसी भी गांव सभा ने स्वयं किश्ती का प्रबन्ध नहीं किया है।

लखनऊ नगर में रिफ्यूजियों के लिये बनाई गई दूकानों के संबंध में पूछ-ताछ

*५८—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि लखनऊ शहर में कौन-कौन रिफ्यूजी मारकेट कितने-कितने रुपये की लागत से बनाये गये हैं ?

*५९—श्री उमाशंकर—जो दुकानें बनाई गई हैं वे कितने प्रकार की हैं, उनका क्या किराया मासिक रक्खा गया है और इस किराये का क्या आधार है ?

श्री कैलाश प्रकाश—लखनऊ शहर में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा बनाये गये रिफ्यूजी मारकेट उनकी लागत और किराया इत्यादि की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ?

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ८० पर)

*६०—श्री उमाशंकर—क्या यह सच है कि उक्त दुकानों में से बहुत सी दुकानें किराया अधिक होने के कारण खाली पड़ी हैं और भूपाल हाउस, लाल बाग के किरायेदारों ने किराया न देने की नोटिस सरकार को दे दी है।

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, भूपाल हाउस, लाल बाग के किरायेदारों ने ३ दिसम्बर, १९५४ को किराया न देने की नोटिस सरकार को दी थी परन्तु म्युनिसिपल बोर्ड को किराया बराबर देते जा रहे हैं।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि लागत मूल्य जब किरायेदारों से वसूल हो चुकेगा तो क्या वह मकान मालिक के रूप में बदल जायेंगे?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस लागत पर कितने परसेंट ईल्ड जो है, सरकार की होती है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो नहीं कहा जा सकता कि कितना परसेंटेज होता है लेकिन ज्यादातर ऐसे ही मालूम होता है कि कितना होना चाहिये उससे बहुत कम लिया जाता है।

श्री बलवन्त सिंह—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार ने क्या सिद्धांत बना रखा है कि कितना यील्ड उससे होना चाहिये जो काम इसमें किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जहां तक इन मकानों का संबंध है इनमें लागत का ८ प्रतिशत किराया लिया जाता है।

श्री कैलाश प्रकाश—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार के पास कोई शिकायत इस सिलसिले में आयी है कि भूपाल हाउस में जो कमरे बने हुए हैं उनका किराया बहुत ज्यादा म्युनिसिपैलिटी ने चार्ज किया है ?

श्री कैलाश प्रकाश—यह तो उत्तर में कहा गया है कि भूपाल हाउस के जो किरायेदार हैं उन्होंने एक नोटिस दिया था।

श्री मदन मोहन उपाध्याय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इनके इस आवेदन-पत्र पर सरकार ने क्या फैसला किया है और उनका कुछ किराया कम करने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी तक कुछ फैसला नहीं किया है और अभी तक कहा नहीं जा सकता कि वह किराया कम किया जा सकता है या नहीं ।

श्री उमाशंकर—क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि यह रिफ्यूजी मारकेट जो बनाये गये हैं यह व्यापार की दृष्टि से बनाये गये हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, व्यापार की दृष्टि से नहीं बनाये गये हैं किन्तु इनमें जो लागत लगती है वह बहुधा ऋण से प्राप्त होती है। उस ऋण को वापस करने के लिये जो जरूरी है वह किया जाता है।

राज्य के जिला बोर्डों में सदस्यों के रिक्त स्थान

*६१—**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रांत के किन-किन जिला बोर्डों में सदस्यों के कितने-कितने स्थान रिक्त हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—वांछित सूचना सविवरण माननीय सदस्य की मेजपर एक तालिका† के रूप में रख दी गई है। यह सूचना केवल ३० दिसम्बर, ५५ तक के लिये ठीक होगी

*६२—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—उपर्युक्त स्थान कब से खाली है और किन-किन कारणों से खाली हैं ?

---

†तालिका छापी नहीं गयी।

श्री कैलाश प्रकाश—यह विवरण भी उपर्युक्त तालिका †में दिया है। जिन कुछ जिलों से यह सूचना अभी नहीं आई है, प्राप्त होने पर सदस्य महोदय को भेज दी जायेगी।

*६३—**श्री नागेश्वर द्विवेदी**—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कब तक हो जायेगी?

श्री कैलाश प्रकाश—अभी हाल ही में विधान मंडल में उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड (उपनिर्वाचन) (अस्थायी उपबन्ध) विधेयक, १९५५ पारित किया गया है जिसके अनुसार मुसलमानों के लिये सुरक्षित स्थानों की व्यवस्था को समाप्त करते हुए परिवर्धित मतदान अर्थात् Adults sufferage के आधार पर इन रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायगी। उपनिर्वाचन यथाशीघ्र कराने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मुजफ्फरनगर के बोर्ड में कितने स्थान रिक्त हुए हैं?

श्री अध्यक्ष—५१ जिलों का अलग-अलग से बतलाना कठिन है। माननीय सदस्य इसकी मालूमात माननीय मंत्री जी से उनके कमरे में अलग से ले सकते हैं।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जो स्थान १९५१-५२ से रिक्त हैं उनके उपनिर्वाचन अभी तक क्यों नहीं कराये जा सके?

श्री कैलाश प्रकाश—उपनिर्वाचन में दो कठिनाई थीं। एक तो जैसा कि मैंने निवेदन किया कि जब तक यह अधिनियम नहीं बनाया जाता जिससे वह सुरक्षित सूची खत्म की जा सकती, वह नहीं हो सकती थी क्योंकि कानून ऐसा था। दूसरे कुछ जगह यह भी हुआ कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने अपने अधिकार के अनुसार वहां इस बात की सिफारिश की कि यहां चुनाव नहीं होने चाहिये।

श्री नागेश्वर द्विवेदी—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उपचुनाव करने के विषय में अब तक क्या प्रगति हुई है?

श्री कैलाश प्रकाश—चुनाव करने के लिये अब जो अधिनियम माननीय सदन ने पास किया है उसके अनुसार सूची बनायी जा रही है। सूची बन जाने के पश्चात् चुनाव कराया जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह—डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के आम चुनाव कब कराने का सरकार विचार रखती है?

श्री सैयद अलीजहीर—आम चुनाव की शक्ल तो यह है कि हम एक कानून बना रहे हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मौजूदा शक्ल में बहुत कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं। उस कानून के बनने के बाद आम चुनाव होंगे। बाई-इलेक्शन शायद मई जून तक हो जावें ऐसा ख्याल है।

राजा वीरेन्द्र शाह—वह कानून इसी असेम्बली के दौरान में, अगले चुनाव से पहले बन जायगा या नहीं?

श्री सैयद अलीजहीर—कोशिश तो यह की जायगी कि इसी असेम्बली के सामने आ जावे लेकिन कहा नहीं जा सकता है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार सुपरसीडेड बोर्ड का चुनाव शीघ्र कराने की कृपा करेगी?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मुझे इल्म है, सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मिर्जापुर का सुपरसीडेड है। और चुनावों के साथ वहां का भी चुनाव होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—रिक्त स्थानों के लिये कस्टीट्युन्एसीज पहले की रहेंगी या उनमें कोई परिवर्तन हो गया है?

---

†तालिका छापी नहीं गयी है।

श्री सैयद अली जहीर---कंस्टीट्युऐंसी तो मेरे खयाल में नहीं बदली जावेंगी ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के संशोधित बिल पर केबीनेट का कोई अन्तिम रूप से फैसला हो चुका है, अथवा कैबीनेट सब-कमेटी का ?

श्री सैयद अली जहीर---वह कानून अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है। इसलिये कोई सवाल कैबीनेट के एप्रूवल का नहीं उठता है।

२० दिसम्बर, १९५५ के तारांकित प्रश्न ६६-६७ से सम्बद्ध एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय निर्माण मंत्री जी से कहूंगा कि वे अपने उत्तर का सुधार उपस्थित कर दें।

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---श्रीमन्, विधान सभा की १९५५ ई० की बैठक के १७वें मंगलवार, दिनांक २० दिसम्बर, १९५५ को श्री कल्याण चन्द मोहिले के तारांकित प्रश्न संख्या ६६ व ६७ का उत्तर देते समय श्री जगन्नाथ मल्ल को उनके एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि विधायक निवास के बनवाने में खर्च होने वाली रकम में फर्नीचर का खर्च भी शामिल है। मुझे खेद है कि यह सूचना ठीक नहीं है। वह सूचना इस प्रकार है :---

"जो रुपया बताया गया है उसमें फर्नीचर के दाम शामिल नहीं है।"

कृपा करके यह सुधार कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---२० दिसम्बर की कार्यवाही में तो यह सुधार अब नहीं किया जा सकता । आज की कार्यवाही में छप जायगा।

शनिवार, ३ मार्च, १९५६ विधान सभा की बैठक करने के सम्बन्ध में संकल्प

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, मैं यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि "उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली के नियम ११ (२) के अनुसार 'शनिवार' को विधान सभा की बैठक नहीं होती तथापि १९५६-५७ के आय-व्ययक एवं तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक (एप्रोप्रियेशन बिल) को ३१ मार्च, १९५६ के पूर्व पारित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह संकल्प किया जाता है कि सदन की बैठक अपने नियत समय पर शनिवार, ३ मार्च, १९५६ को भी होगी।"

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार ने निश्चित कर ही लिया है कि वोट आन एकाउन्ट्स नहीं होगा और बजट का इसी मास में पास होना जरूरी है, मैं और सब लोग यह तो मानते ही हैं कि बजट के वाद-विवाद के लिये अगर उस पर बहस करनी ही है तो एक दिन इसके लिये निकालना ही होगा, लेकिन मैं अभी सरकार से प्रार्थना करूंगा कि अभी वह इस बात का फैसला न करे कि एक दिन ३ या १० या १७ वाला शनिवार लिया जाय, क्योंकि हमारे बहुत से प्रोग्राम लगे हुये हैं, हम विचार-विमर्श कर के बता देंगे कि इन तीन शनिवारों में से कौन सा दिन लिया जाय, हम माननीय मंत्री जी से अपने सुझाव बता देंगे। यह हम मानते हैं कि हमें एक शनिवार निकालना है, क्योंकि २३ तक हमें बजट पास करना ही है और आगे समय नहीं है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जनरल डिसकशन जो चलेगा उसके तीन दिन चलने के बाद कोई दूसरा काम शुरू होने वाला है, वह तो होगा ही ।

श्री अध्यक्ष--वे इस मसले को कल के लिये पोस्टपोन करना चाहते हैं। आप को कोई आपत्ति तो नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गई।)

श्री अध्यक्ष--अब यह प्रश्न कल लिया जायगा।

१९५६-५७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष--अब वित्तीय वर्ष १९५६-५७ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद होगा।

राजा वीरेन्द्र शाह (जिला जालौन)--श्रीमन्, मैं समय के लिये कुछ प्रस्ताव करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--नेता विरोधी दल के लिये तो कोई समय नहीं है उसके बाद आप समय के लिये कोई तजवीज ले आयें।

राजा वीरेन्द्र शाह--मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि नेता विरोधी दल के लिये तो कोई समय न हो। उसके बाद संयुक्त दल के नेता के लिये ३० मिनट और बाकी सदस्यों के लिये १५ मिनट नियत किये जायं।

श्री अध्यक्ष--किसी को कोई आपत्ति है ? (कुछ ठहर कर) तो यह रहेगा।

श्री गेंदा सिंह--(जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जब माननीय राज्यपाल के संबोधन पर मैंने यह कहा था कि उन्होंने समाजवादी ढांचे का समाज बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिलाया तो उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि इसमें तो ज्यादा बातें नहीं कही गई हैं, इसमें कुछ संकेत किये गये हैं परन्तु जो आगे बजट आने वाला है उसमें हम देखेंगे कि समाजवादी ढांचे का समाज बनाने के लिये कितना प्रयत्न किया गया है। मैं ऐसा समझता जरूर था कि माननीय राज्यपाल के संबोधन में यदि उस तरह के ढांचे के समाज बनाने का जिक्र नहीं है तो फिर किस आधार पर यह होगा इस प्रकार जो दो दिनों बाद हमारे सामने बजट आने वाला था उसका मैं अनुमान लगाता था। माननीय मुख्य मंत्री जी के इस आश्वासन के स्वाभाविक गेट पर मैंने उस पर थोड़ा भरोसा किया परन्तु बजट जब मैंने देखा तो मुझे दुःख हुआ। माननीय वित्त मंत्री जी का भाषण सुनने के बाद ही मैंने अपनी राय कायम की कि इस बजट को और चाहे कोई नाम दिया जा सकता हो लेकिन आवदी रिजोल्यूशन की रोशनी में बना हुआ बजट नहीं कहा जा सकता। आवदी रिजोल्यूशन वह बेकार है खेसा लगता है यह बात हो सकती है कि तो उस को हमारे मिनिस्टर साहबान ने समझने की कोशिश ही नहीं की है, या उसको यह समझ रखा है कि वह अलमारी की चीज है अखबारों की चीज है और जहां पर व्यवहार में ले आने की जरूरत है वहां उसकी आवश्यकता नहीं है। मैं बहुत तकलीफ के साथ इस बात को कह रहा हूं। इसलिये मुझको तकलीफ है कि मैं प्रजातंत्रीय पद्धति का पुजारी हूं और उसमें मैं आशा करता हूं कि जो सरकार है उसका बड़ा भारी रोल होना चाहिये, लेकिन जब मैं उसमें कमी पाता हूं तो मुझे बड़ा कष्ट होता है जो स्वाभाविक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं किसी दूसरे पोलिटिकल फिलास्फर को, अर्थशास्त्री को या अपने विचारों को सामने ले आने की गुस्ताखी नहीं करूंगा बल्कि आवदी रिजोल्यूशन को ही सामने ले आना चाहता हूं और उसको देखते हुए सरकार से यह कहना चाहता हूं कि वह जरा उस आइने के सामने अपने सारे बजट आईटम्स को तो देखें, अपनी सारी कार्यवाहियों को तो देखें और कहें कि आवदी रिज्योल्यून से कहां उसका मेल बैठता है।

अध्यक्ष महोदय, सोशलिस्टिक पेटर्न इन टर्म्स आफ दी कांग्रेस रिजोल्यूशन । इंडियन नेशनल कांग्रेस कमेटी का एक ब्रोकर है जिसके लिखने वाले श्रीमन् नारायण जी जनरल सेक्रेटरी हैं। उनका कहना है—

"In this brochure, we have tried to explain the implications of 'a Socialistic pattern of Society' in terms of the resolutions passed by the Congress during recent years. It is hoped that the brochure will prove useful to Congress workers and the public in general."

फिर दूसरी जगह संक्षेप में बताया है कि हमारे सोशलिस्टिक पेटर्न के क्या अर्थ हैं। उनका कहना है कि—

"(*a*) the principal means of production are under social ownership or control, (*b*) production is progressively speeded up, (*c*) there is equitable distribution of the national wealth, and (*d*) there is progressively fuller employment so as to lead to full employment within a period of ten years."

अब इन चारों चीजों के सम्बन्ध में माननीय वित्त मंत्री जी से, खास तौर से उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बजट में कहां गुंजायश हैं। 'प्रिन्सिपल मीन्स आफ प्रोडक्शन और आंडर सोशल ओनरशिप आर कंट्रोल' – कौन से 'प्रिन्सिपल मीन्स' हैं जो 'सोशल ओनरिशप आर कंट्रोल' में हैं। पिछले पंच वर्षीय योजना के खत्म होने के बाद दूसरी पंच वर्षीय योजना की शुरुआत में वे कौन सी चीजें हैं जो इस बजट में इस ओर ले जाती हैं। प्रोडक्शन पर बड़ा झगड़ा है और इस बात को मैं थोड़ी देर बाद निवेदन करूंगा।

'इक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन आफ दी नेशनल वेल्थ' क्या है। इस पर कभी गौर किया गया? 'इक्वीटेबिल डिस्ट्रीब्यूशन' का मतलब मैं समझता हूं उचित बटवारा राष्ट्र की आय का। इस उचित शब्द का अर्थ क्या होगा? जो बटवारा इस वक्त का है उस को हम उचित समझें तो फिर उचित शब्द का भाष्य करना पड़ेगा और उसका दूसरा मतलब लगाना पड़ेगा। चाहे वह डायरेक्टिव 'प्रिन्सिपल कांस्टीट्यूशन' का हो, चाहे करांची का प्रस्ताव हो, जो बम्बई में उसका थोड़ा सा संशोधन हुआ चाहे कांग्रेस का इलेक्शन मेनीफेस्टो हो या मौके मौके पर कांग्रेस के जो प्रस्ताव आये हों, उनको लाया जाय। मैं समझता हूं कि इन सारी चीजों को उठा कर यू० पी० की सरकार ने ताक पर रख दिया और उसने अपनी सुविधा का एक प्लान बना लिया, बजट बना लिया। लेकिन प्लानिंग का भी एक उद्देश्य होता है। बिना प्लान के यह सब काम तो अंग्रेज भी करते रहे हैं। आखिर आप ने इसका उद्देश्य घोषित कर रक्खा है। अगर घोषित कर रक्खा है कि प्लान फुल एम्पलायमेंट के लिये है, सब को रोटी व रोजी देने के लिये है, सब की आवश्यकता की पूर्ति के लिये कम से कम जो प्रारम्भिक आवश्यकतायें हैं अगर उसके लिये प्लान है तो फिर उस रोशनी में इस बजट को हम देखें। उसमें माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि अगले पांच वर्षों में १० लाख आदमियों को रोजी देंगे। (एक सदस्य—१३ लाख को)

श्री गेंदा सिंह—एक आवाज आ रही है कि १३ लाख को देंगे। मान लें १३ लाख को रोजी मिलेगी। प्लानर्स खुद इस बात को कह रहे हैं कि इम्प्लायमेंट की हालत पिछले पांच वर्षों में खराब हुई। उस से उत्तर प्रदेश बरी है यह भी वह कहते हैं कि अगले पांच वर्षों में भी हमारे इस नौकरी देने के बाद भी जो कुछ भी हम प्राविजन कर रहे हैं हालत खराब होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार आश्वस्त बैठी है। सरकार यह जानते हुये कि अगले पांच वर्षों में १३ लाख से अधिक लोगों को रोजी नहीं दे सकती वित्त मंत्री जी जानते हैं कि जो इस वक्त पूरे तौर पर बे रोजगार है उनकी तादाद सिर्फ ३ प्रतिशत है। इसके अलावा एक बड़ी संख्या अनएम्प्लायड है उसको मैं नहीं जोड़ता, आगे उसकी भी थोड़ी व्याख्या करूंगा। तो क्या इस तीन प्रतिशत को वह नौकरी दे सकेंगे? फिर जरा वह हिसाब लगावें कि किस तरह से पर कैपिटा इनकम बढ़ गयी। यदि इतनें लोग बेकार हैं। जिन लोगों को वित्त मंत्री जी अगले पांच वर्षों में रोजगार में लगाने वाले हैं, उनकी तादाद १३ लाख है। केवल १३ लाख को वह नौकरी दे सकेंगे। ६ करोड़ ३२ लाख लोगों में से तीन प्रतिशत कितना होगा यह हिसाब समझाने की जरूरत हमको

[श्री गेंदा सिंह]

नहीं पड़ेगी। अगर ६ करोड़ ३२ लाख में से ३ प्रतिशत जो बेकार हैं, अगले पांच वर्षों में कुछ तादाद और बढ़ेगी और अगले पांच वर्षों में जो तादाद बढ़ती है उसको मिलाकर सिर्फ १३ लाख आदमियों को हम रोजी देने वाले हैं, बाकी लोग क्या करेंगे ? कहां जायंगे? और फिर उनकी भी परकैपिटा इनकम बढ़ेगी। इस हिसाब पर तो मैं आगे कुछ कहूंगा लेकिन हिसाब के मानने वाले पर दया आती है।

हमारे सूबे के कल्याण के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो माननीय राज्यपाल जी ने एक खुशखबरी सुनाई वह हमको यह सुनायी कि श्रीमान् ब्रजमोहन जी बिड़ला के सभापतित्व में एक फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी बनेगी। नाम अखबारों में जरूर मैंने पढ़ा है। वह कमेटी कब बन रही है जब सरकार हमारे सामने सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी बनाने का बजट पेश कर रही है, उस वक्त इंडस्ट्री की फैक्ट्स फाइंडिंग कमेटी के सदर श्रीमान् ब्रजमोहन बिड़ला होंगे। मजबूरी मेरी है कि मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब की तरह हृदय परिवर्तन की सामर्थ्य नहीं रखता हूं। किसी दूसरे का हृदय परिवर्तन मंत्री जी ही कर सकते हैं, श्री ब्रजमोहन बिड़ला का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, डालमिया का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, बड़े बिड़ला का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, सारे पूंजीपतियों का, करोड़पतियों का, सारे का हृदय परिवर्तन उद्योग मंत्री जी कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उद्योग मंत्री जी के अलावा जो कोई उधर बैठने वाले माननीय सदस्य हैं वे भी क्या उस हृदय-परिवर्तन में विश्वास करते हैं ? मैं एक बात और कहूं ब्रजमोहन जी हम को क्या सलाह देंगे? वह कौन सी सलाह देंगे ? वह इंडस्ट्री चलाने की सलाह किस आधार पर देंगे? उनकी ट्रेनिंग किस प्रकार की है ? समाजवादी ट्रेनिंग के पीछे कुछ जरूरत पड़ती है, जो माननीय गुप्ता जी ने जन्म भर पायी है, साइकिल पर घूम करके, उन्होंने कहा था कि साइकिल पर घूम करके, धक्का खाकर, भरपेट खाना कभी-कभी नहीं मिला होगा, कितने इंडस्ट्री वालों ने धक्का देकर बाहर किया होगा, आज वह भले ही दस मर्तबे सलाम कर लें। वह ट्रेनिंग गुप्त जी की है, वह उस ट्रेनिंग को समझते हैं, जिस ट्रेनिंग का सबक उनको मिला है क्या उसे ब्रजमोहन जी बिड़ला समझे हुए हैं ? माननीय उद्योग मंत्री जी ने उनका हृदय परिवर्तन इतने जोर से किया कि वह ओवर नाइट पलट गये। बिड़ला जी एक तरफ अपनी निजी इंडस्ट्री भी चला रहे हैं दूसरी तरफ़ यू० पी० के लिए एक ऐसा काम कर देंगे, जो हमारे लिए स्वर्ग बना देंगे। समाजवादी समाज का ढांचा तैयार करके वह हमारे सामने नकशा पेश कर देंगे।

मैं आप से कहना चाहता हूं कि इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ने इसको नहीं सोचा कि हमारे देश में कुछ अर्थशास्त्री भी हैं जो ब्रजमोहन बिड़ला से अधिक अक्ल रखते हैं। मैं आप से कहना चाहता हूं कि ऐसे अर्थशास्त्री जो हैं वह उनसे ज्यादा अक्ल रखते हैं। अगर इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब इस वक्त चाहेंगे भी। हालांकि उन्होंने अभी तक रखा नहीं है, कि ऐसे अर्थशास्त्री जो हमारे देश के बनाने वाले हैं, कोने में बैठे हुए हैं वे हमारी तरह से पब्लिक लाइफ़ में नहीं हैं, जैसे हम हैं, लेकिन वे हर काम पर सोचते हैं, उनमें से किसी को अध्यक्ष रखने की मेहरबानी हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब ने नहीं की। हम लेजिस्लेटर्स भी रहें, कुछ संसद के सदस्य भी रहेंगे और बिड़ला जी उसके चेयरमैन होंगे, परन्तु कोई धर्म शास्त्री नहीं होगा। मैं कहता हूं कि अगर इस वक्त मेहरबानी करके यह इकनोमिस्ट्स को रखना भी चाहें तो वे अपना अपमान समझेंगे बिड़ला जी की सदारत में काम करना.....

श्री मदन मोहन उपाध्याय (जिला देवरिया)—चन्दा कौन देगा ?

श्री गेंदा सिंह—नहीं कबूल करेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिस रिजोल्यूशन के मुताबिक हम समाजवादी ढांचे का समाज बनाना चाहते हैं उसमें बिड़ला जी हमारी मदद करेंगे ? अध्यक्ष महोदय, यह बात ऐसी है कि जिस पर गहराई में जाना होगा। अध्यक्ष महोदय, हम दोष इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब को नहीं देते। पहले मिनिस्टर साहब ने जो कुछ

भी किया हो लेकिन बड़ा सोफ्ट कार्नर है, उससे वह निकल नहीं सकते और फिर हमारे भाई कुछ आवाजकशी कर रहे हैं। उनको भरोसा नहीं रहा अब हम लोगों के ऊपर, भरोसा नहीं रहा जिन लोगों ने यहां पहुंचाया उनके ऊपर भरोसा नहीं रहा आवदी रिजोल्यूशन पर, भरोसा नहीं रहा इलेक्शन मेनीफेस्टो पर, भरोसा नहीं रहा करांची रिजोल्यूशन पर, भरोसा नहीं रहा बम्बई के सन् १९४२ के प्रस्ताव पर, मैं क्या कहूं! आंखों में धूल झोंकने पर उन्हें अधिक भरोसा है और उससे वे समझते हैं राज्य करते चले जायंगे, चाहे जो कुछ भी हो। तो इससे समाजवाद नहीं बनता है। मैं शुरू में ही इस बात पर कहना चाहता हूं, हमारे वित्त मंत्री जी मौजूद हैं और मैं अपना बहुत ही सौभाग्य मानता हूं कि इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं। मैं असल में सुनाना चाहता हूं चीफ़ मिनिस्टर साहब को, वे हैं नहीं, फिर भी उनके साथी यहां बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर प्लानिंग क्यों नहीं चीफ़ मिनिस्टर के पास है? जब सारे हिन्दुस्तान में एक कन्वेंशन सा बन गया है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टर के पास रहेगा। सिवाय एक आध सूबे के उत्तर प्रदेश के अलावा भी एक आध जगह ऐसी हैं, बाकी हर जगह चीफ़ मिनिस्टर के पास प्लानिंग है। प्लानिंग का काम जो है उसको अगर मैं कहूं यह कि, थोड़ा सा पालिटिक्स से अलग रखा जाय तो कुछ बुराई न होती? अब माननीय इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब जैसे पार्टीबाज आदमी और उनके पास प्लानिंग? उस प्लानिंग का क्या हश्र होगा? उन्होंने कभी टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ी है? उन्होंने कभी रूरल क्रेडिट सर्वे रिजर्व बैंक की रिपोर्ट को पढ़ा है? उनको फुर्सत कहां उन रिपोर्टों को पढ़ने के लिये, इसके लिये फुर्सत चाहिये। उनको तो छोटे-छोटे मामलों से दांव-पेंच वाले मामलों से ही फुर्सत नहीं .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं आपको जरा वैयक्तिक नहीं होना चाहिये।

श्री गेंदा सिंह--प्लानिंग के सिलसिले में मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, वैसे आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। लेकिन मैं आज सजेस्ट करना चाहता हूं इस मौके पर कि प्लानिंग मिनिस्टर साहब को या तो प्लानिंग ही लेकर के रहना चाहिये और नहीं तो कम से कम गवर्नमेंट को यह सोचना चाहिये कि अगर एफिशियेंटली काम करना है और अपने नौकरों से, सर्विसेज से भी एफिशियेंटली काम लेना है तो उसे जरूर यह करना चाहिये कि एक-एक मिनिस्टर के ऊपर इतना बड़ा बोझ नहीं डालना चाहिये। अब आप बतायें कि इंडस्ट्री है, प्लानिंग है, हेल्थ है, सिविल सप्लाइज है। क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो इन चीजों को सम्हाल सकता है? दिवाला निकल गया, बदकिस्मती है। हम चाहते नहीं हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारे सामने जो ये बुजुर्ग बैठे हैं, माननीय गुप्त जी भी हमारे बड़े भाई ही हैं, उनकी उम्र हमसे कुछ ज्यादा ही है, हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी जिन्दगी में ये लोग न मरें, जीते रहें, लेकिन अगर बदकिस्मती से गुप्त जी न रहे तो क्या होगा? हमारा दुर्भाग्य, फिर क्या होगा? हमारा सूबा तो डूब जायगा। इसलिये ट्रेन तो करें, दूसरी पीढ़ी को बनावें। मैं आपसे कहता हूं कि उधर बैठने वाले मालूम नहीं कितने लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का लेकिन वह नवजवान लोग जो पीछे बैठे हुये हैं उन्हीं लोगों में कोई इसको सम्हालने वाला नहीं है? तो गवर्नमेंट जो है वह इन सब चीजों के साथ खिलवाड़ जैसा करती है और उसी खिलवाड़ का शिकार हम हो रहे हैं, सारा सूबा हो रहा है।

समाजवादी समाज बनाने का यह तरीका नहीं है। मैं अपना तरीका अर्ज करूंगा आपसे। यह बहुत खुली हुयी बात थी, कुछ भाइयों ने कहा कि कुछ ठोस बात मैं कहूं। हां, जरूर ठोस बात मैं कहूंगा और सबसे पहली बात मैं ठोस यह कहना चाहता हूं कि कुछ फिजिकल प्लानिंग होनी चाहिये पहले। आपकी तो मनी प्लानिंग है। रुपया कितना होगा, उसको खर्च कैसे करेंगे? यह कौन पूछता है कि जरूरत कितनी है? किन-किन चीजों की और फिर उन चीजों की जरूरत समझ करके हम रुपया खर्चा करें। अभी इस वक्त अगर मैं पूछूं अन्न मंत्री जी से कि कितने अन्न की जरूरत पड़ती है सारे सूबे भर में, तो वे कहेंगे कि भिन्न-भिन्न

[श्री गेंदा सिंह]

प्रकार की खूराक वे खाते हैं। इसलिये यह आंकड़े हम नहीं इकट्ठा करते, फौरन जवाब हमें मिलेगा। तो जहां पर कोई फिजिकल प्लानिंग नहीं कुछ नहीं। हमें मालूम है कि कितने अन्न की जरूरत पड़ती है, कितना गेहूं लोग खाते हैं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—सब छपा है।

श्री गेंदा सिंह—जी हां। छपा है। उस छपने पर अगर रहेंगे तो डूब जायगी माननीय परिपूर्णानन्द जी की भी नाव। वह छपा जरा देखें गौर से।

मैं आपसे अर्ज करूं कि पहली आवश्यकता इस बात की थी कि हम सारे देश की आवश्यकता; प्रारंभिक आवश्यकता का एक कच्चा चिट्ठा बनाते और उस कच्चे चिट्ठे को बनाने के बाद हम फिर रिसोर्सेज ढूंढ़ते और रिसोर्जेज से उसको पूरा करने की कोशिश करते। कितने अन्न की आवश्यकता है, कितने कपड़े की आवश्यकता है, कितने लोगों को आवास देने की आवश्यकता है, कितने बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता है, उनको किस तरह की शिक्षा हमको देनी चाहिये, कितने प्रकार के स्कूल खोलने चाहिये, कितने बूढ़े ऐसे हैं कि जिनको हमें पेंशन देनी चाहिये, कितने लोग अभागे ऐसे हैं जो कि आज भी स्वराज्य के नाम पर सड़कों पर भूखे घूमते हैं और रात को ठिठुर कर मरते हैं, स्टार्व करते हैं, उनको कैसे हम जिला सकेंगे, इज्जत के साथ रहने की हालत में ला सकेंगे, सबसे पहली जो चीज थी, वह यह सोचने की थी। यह मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार ने यह नहीं सोचा। फिर उसने यह सोचा कि २४८ करोड़ मिल जायेंगे वहां से, सेंट्रल गवर्नमेंट से और कुछ यहां से मिलाकर के इतने पैसे हो जायेंगे, और उन पैसों से हम फिर यह काम करेंगे, यहां-यहां करेंगे, उस काम के लिये भी मैं जो कहता हूं कि प्लानिंग में पोलिटिक्स कितनी है कितना अच्छा हो पालिटिक्स को कम से कम रचना के कामों में छोड़ दिया जाय, पालिटिक्स उधर की लीजिये, जो उधर आपस में रस्साकशी है, क्या वह रस्साकशी नहीं है। फलां आदमी के हलके में पहले नेशनल एक्सटेंशन सर्विस ब्लाक खुलेगा, फलां के हलके में नहीं खुलेगा। यह बात सही है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के ऊपर वह छोड़ दिया गया। कोई मिनिस्टर किसी दौरे पर जाता है तो मालूम होता है कि बादशाह है और बादशाह की तरह पैसा बांट रहा है और वह उससे अपनी निजी ख्याति और निजी ताकत को बढ़ाता चला जा रहा है। प्लानिंग में यह बात नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं कहता हूं कि उसमें आवश्यकता इस बात की थी कि सारे देश के प्लानर्स मिल कर एक प्लान बनाते। फिर उसके अनुसार कार्य होता। मैं सेंटर में थोड़ा सा बेतहर समझता हूं। लेकिन यहां कहा गया कि पीपुल्स प्लान होगा। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अध्यक्ष महोदय, कि इस पीपुल्स प्लान पर किन लोगों से सलाह ली गयी। मुख्य मंत्री जी ने पिछली मर्तबा मुझसे कहा था कि उस प्लान की सूचना उन्होंने मुझे उस वक्त दी थी कि जब उनके को लीग भी नहीं जानते थे। अब आप बतायें कि अगर उन्होंने अपने को लीग्स तक को नहीं बताया था तो प्लान बनाया किसने? कोलीग के माने क्या हैं? कोलीग के माने हैं गुप्ताजी, वित्त मंत्री, ठाकुर साहब जो बगल में बैठे हुये हैं, वगैरह, वगैरह। तो जब उन्होंने अपने कोलीग्स तक से नहीं बताया तो यह पीपुल्स प्लान किसने बनाया?

एक सदस्य—आपको तो बताया था।

श्री गेंदा सिंह—हां, मुझे बताया था, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि पीपुल्स प्लान के माने क्या होते हैं? मैं मिश्र जी से पूछना चाहता हूं, वह बतायें। जिस वक्त दिल्ली में ७ सवा ७ अरब का प्लान यू०पी० गवर्नमेंट की तरफ से चीफ मिनिस्टर साहब और इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब लेकर गये थे उसके पहले मिश्र जी को कितनी जानकारी थी, उस प्लान के बारे में? अब आप कह दीजिये कि हमें जानकारी थी, लेकिन जब दिल्ली को सवा ७ अरब का प्लान गया था उसके पहले इस सदन के माननीय सदस्यों को भी जानकारी नहीं थी।

अब इस पीपुल्स प्लान को हम जरा दूसरी दृष्टि से देखें। हमारे वित्त मंत्री जी यह कहते हैं कि यह सोशलिस्ट प्लान है "समाजवाद की ओर एक कदम और कुछ विशेष बातें" हैं। मुझे इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री जी से यह कहना है कि कौन सी चीज उन्होंने देखी जिसे वे कहते हैं कि यह समाजवादी है। एक चीज वे कहते हैं कि हमने जमींदारी एबालिशन कर दी। अरे, कब तक जमींदारी एबालिशन के गुण गायेंगे। जमींदारी एबालिशन सन् १९५० में हो गयी और वह कानून लागू हो गया। उसके बाद कई वर्ष बीत चुके और आज भी वे कहते हैं कि जमींदारी एबालिशन करके हमने सोशलिस्ट समाज की रचना की। मालकम हेली ने तो उस वक्त सेक्रेटरी आफ स्टेट से कहा था कि जमींदारी एबालिश कर देनी चाहिये। वह तो झगड़े में पड़ गया नहीं तो उसने एबालिश कर दी होती तो क्या समाजवाद आ जाता। फिर मैं जमींदारी एबालिशन कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दूं। उसमें सब से आखीर में यह कहा गया है कि हम तो इसलिये जमींदारी एबालिशन कर रहे हैं कि जमींदारों की जिन्दगी खतरे में पड़ जायगी, क्योंकि किसान अब इसे बर्दाश्त करने के लिये तैयार नहीं है कि जमींदारी एक दिन के लिये भी रहे। इसलिये हम जमींदारों के हित में जमींदारी एबालिश कर देना मुनासिब समझते हैं। वह रिपोर्ट आपकी खिदमत में मैं पेश कर सकता हूं। खैर, मैं मानता हूं कि जमींदारी एबालिश कर देना एक अच्छा काम था। लेकिन जमींदारी अबालिशन का नाम आज क्यों ले रहे हैं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जमीन की सीलिंग मुकर्रर करने का, प्लानिंग कमीशन का फैसला था और सीलिंग मुकर्रर करके जो जमीन बचे वह ऐसे लोगों को बांटी जाय जो भूमिहीन हों, हरिजन हों या दरिद्र हों, उनको मिले। लेकिन इसके लिये हमारी सरकार डिटरमिंड है कि वह भूमि का बंटवारा कभी नहीं करेगी। इसका जिक्र कहीं नहीं है और राज्यपाल महोदय के भाषण में भी नहीं है, गवर्नमेंट बोलती नहीं है, चुप्पी साधे हुये है तो जमींदारी का नाम बार-बार लेना मैं समझता हूं कि बेकार है। इससे यह सिद्ध होता है कि सरकार के पास इसके अलावा और कोई काम ऐसा नहीं है जिसका नाम लिया जाय इसलिये इसको बार-बार दुहरायेगी।

यह भी कहा कि सोशलिस्ट समाज बनाने में, उसी के साथ-साथ इंडस्ट्रीज का राष्ट्रीयकरण आरम्भ हुआ, उत्तर प्रदेश में। ट्रांसपोर्ट का राष्ट्रीयकरण हुआ, कोआपरेटिव्ज शुगर का जिक्र है, सीमेंट फैक्टरी का जिक्र है और लखनऊ में पुर्जा बनाने वाली फैक्टरी है उसका भी जिक्र है। मुझे खुशी है कि पब्लिक सेक्टर में यह दोनों फैक्टरी हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि इन दोनों फैक्टरीज में क्या वही ऐमेनीटीज मजदूरों को हैं जो दूसरी फैक्टरीज में हैं और इनके सामान की भी वही कीमत है जो दूसरी फैक्टरीज की है। क्या हाल है आज मंत्री जी के पास आंकड़े होंगे वह बतलावें कि चुर्क फैक्टरी की सीमेंट महंगी बिकती है या नहीं।

कुछ सदस्य—बढ़िया है, बढ़िया है।

श्री गेंदा सिंह—खैर कुछ भी हो लेकिन यह तो स्वीकार हो गया है कि महंगी है अब आप एक्सप्लेन कीजिये कि क्यों है? इस सीमेंट फैक्टरी में क्या आपने यह भी देखा है कि मजदूरों की तकलीफ कैसे दूर होगी, मजदूरों को क्या सुविधायें मिली हैं। दिल्ली में यह हो रहा है कि पार्टीसिपेशन आफ मैनेजमेंट हो। चुर्क सीमेंट फैक्टरी में मैं गया था अब चाहे मंत्री जी भले ही कह दें कि बिहार के लोगों ने गड़बड़ी कर दी या बिड़ला जी के भेजे हुये आदमियों ने गड़बड़ कर दी। अब हमीं अगर बिहार में जायं तो लोग कहेंगे कि हम सिंहानिया जी के भेजे हुये हैं। वह बात दूसरी है कि मैं मिसाल में गुप्ता जी को पेश करूंगा। कोई लेबर की खिदमत करने के लिये आता है तो उसे कैसे इन्कार कर सकते हैं।

दूसरी बात यह है कि दरअसल में हमें नाचने का ढंग नहीं आ रहा है, आंगन को ही टेढ़ा बताया जा रहा है। यही हाल इस सरकार का है। हमें उतना अनुभव तो है नहीं कि इन फैक्टरीज बखूबी को चला सकें। इसमें जो खराबियां हैं उनको तो हम बरदाश्त कर लेंगे, लेकिन एक चीज बरदाश्त नहीं करेंगे, उसके लिये सेक्रीफाइस या कुरबानी करेंगे। पब्लिक सेक्टर के लिये हम को कुर्बानी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम यह जरूर चाहेंगे कि यह तय हो जाय कि कुर्बानी ही किस लिये।

[श्री गेंदा सिंह]

मजदूर तो करें कुर्बानी और दूसरे लोग मुट्ठी भर तिजोरी भरें? इस वक्त २३ हाकिम ऐसे चुर्क सीमेंट फैक्टरी में रखे गये हैं कि जिन के लिये आडिट रिपोर्ट है कि ११ के अलावा १२ की जरूरत नहीं है। क्यों १२ और रखे गये हैं? इन १२ हाकिमों को रख कर इकोनामी की बात करना और यह कहना कि मजदूर बदमाश हैं वह डालमियां के भड़काये हुये हैं और वह प्रोडेक्शन के काम में बदमाशी करते हैं, मैं समझता हूं कि हल्केपन की बात है। मैंने पिछली बार यह कहा था कि क्या इन सारी चीजों पर कोई कमेटी मुकर्रर की जायगी? मैं नहीं कहता कि मुझे आप उस कमेटी में रख दें, लेकिन इस सदन की एक कमेटी मुकर्रर हो और वहां की स्थिति को वह देखे। मैं कहता हूं कि अगर वहां का मजदूर सचमुच डालमियां के भड़काने पर काम करता है और बदमाशी करता है तो वह कमेटी उनको भी देखे और दूसरी सीमेंट फैक्टरियों को भी देखे और कुछ सलाह दे। आप यह भी देखें कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, प्रेसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी और रोडवेज के मजदूरों की क्या हालत है? अगर सचमुच यही समाजवादी राज्य का नकशा है तो अध्यक्ष महोदय, इससे लोगों को नफरत हो जायगी।

मैं क्या कहूं कि यह सरकार समाजवादी समाज की रचना के लिये उतनी उत्सुक नहीं है जितनी कि समाजवाद को खराब करने में अपनी ताकत लगा रही है। मेहरबानी करके समाजवाद को खराब न करें। अगर बना नहीं सकते तो कम से कम खराब न करें। उसको खराब करने का परिणाम तो यह होगा कि जो आपकी औलाद दूसरी आयेगी आप सोचें कि उसके सामने कितनी कठिनाई पैदा होगी। आप बदसूरत कर रहे हैं। मैं खास तौर से जो सरकार के हाथ में आज फैक्टरियां हैं उनके बारे में कहता हूं, मैं कहता हूं कि चुर्क सीमेंट फैक्टरी, रोडवेज और यह जो प्रेसीजन फैक्टरी है उनके मामलों को आप इंडस्ट्रियल ट्रिब्युनल के सामने जाने की इजाजत क्यों नहीं देते? मजदूरों के औद्योगिक कानून के मुताबिक जो अख्तियार दूसरी फैक्टिरियों में हैं वही अख्तियार इन फैक्टिरियों के मजदूरों को क्यों नहीं दिये जाते? उनको क्यों रोका जाता? उनकी अपनी ही जुडिशियरी के सामने वह मामले जायेंगे, उस जुडिशियरी के सामने जायेंगे जिसको कि हमारे गवर्नर महोदय या राष्ट्रपति महोदय ने बैठाया होगा। अगर ट्राइब्युनल के सामने हमारे मामले चले जाते हैं तो उस सरकार का नुकसान क्या है? आखिर हमने यह चेक क्यों लगा रखा है। डेमोक्रेसी के सिद्धांतों के मुताबिक अगर हम से एक जगह गलती होती है और वह सामने आ जाती है और उसका इलाज हो जाता है तो उससे हर्ज क्या है? मैं कहूंगा कि सरकार जहां समाजवादी समाज की रचना की बात करे वहां कम से कम अपने दिमाग से उन बातों को हटा दे जिनसे कि समाजवादी समाज की रचना में कठिनाई आती है इससे समाजवादी नक्शे के खराब होने की संभावना है और भविष्य बिगड़ेगा। बहुत सी बातें हैं और दूसरे लोग भी उन पर रोशनी डालेंगे, सीमेंट फैक्टरी, प्रेसीजन फैक्टरी और रोडवेज के सिलसिले में। रोडवेज के बारे में यह मेरी निश्चित राय है कि जनरल मैनेजर की कोई जरूरत नहीं, कतई जरूरत नहीं है। जनरल मैनेजर जो हैं वह इसलिये हैं कि वह ज्यादा से ज्यादा मोटर गाड़ियों को खराब करें और लम्बी-लम्बी तनख्वाह लें। पिछले वर्ष ७ मोटर गाड़ियों की, नयी मोटर गाड़ियों की उन्हें जरूरत पड़ गई। इन जनरल मैनेजरों में ऐसे भी निकले हैं कि जिनका ट्रायल भी होगा। लेकिन ट्रायल कब होगा कि जब सारा मामला, हिसाब-किताब उन्होंने चौपट कर दिया। लाखों का वारा-न्यारा कर दिया। ट्रायल हो कर क्या होगा, पैसा तो गया। तो मैं चाहता हूं कि इन जनरल मैनेजरों से तो छुट्टी हो और फिर जो नीचे के कंडेक्टर और ड्राइवर हैं उनकी क्या हालत है इसको भी जरा देखा जाय। अगर हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर साहब बस पर चढ़ें और चढ़कर देखें तो उनको मालूम हो जायगा कि वे लोग किस तरह से अपनी रात गुजारते हैं? वह हमारे साथ चलने की मेहरबानी क्यों नहीं करते? मैं उनको दिखाऊं कि किस तरह की उनकी हालत है? मैं अभी-अभी चुर्क सीमेन्ट फैक्टरी में गया था तो वहां पर देखा कि एक घर पर लिखा हुआ था "खतरा" है, मैंने पूछा कि भाई क्या बात है "खतरा कैसा है"?

तो मालूम हुआ कि उस मकान के गिरने का खतरा है। जब वह गिरने वाला मकान है तब भी उसके अन्दर १० मजदूरों को रखा जाता है। मैंने उनसे पूछा कि जब यह गिरने वाला है तो तुम क्यों इतने आदमी इसमें रहते हो तो बतलाया गया कि वहां पर और जगह रहने के लिये नहीं है। मैं इस चीज को स्वयं देखकर आया हूं।

इस बजट में एक जगह मैंने देखा कि वहां पर कुछ पेड़ पौधे लगाये जायेंगे और वहां पर पार्क बनाकर उसको खूबसूरत बनाया जायगा। वह स्थान तो पहाड़ के अन्दर है वहां पर इस तरह से पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? जब वहां पर लोगों के लिये रहने के मकान नहीं हैं और रहने की जगह नहीं है, तो वहां पर पार्क बनाने की क्या जरूरत है? लेकिन आपके हाथ में उसका नकशा है जिस तरह से चाहें, उसको कर सकते हैं। जिस तरह से आप मुनासिब समझें करें, लेकिन मैं आपका ध्यान उस तरफ दिलाना जरूर चाहता हूं। आप जब दूसरी जगह के लिये समाजवाद की रचना की बात करते हैं तो पहले उस बात को आपको अपनी फैक्टरी के अन्दर करना चाहिये और वहां पर उदारता का बरताव करना चाहिये। अगर हम अपने मजदूरों के साथ अच्छा बरताव करेंगे और उदारता का बरताव करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो लोग अवार्ड को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं उनके ऊपर भी आपको सख्ती करने की हिम्मत बढ़ेगी। अवार्ड वर्षों पड़े रहते हैं, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाफ कोई कार्य कर सके और वह इसलिये खिलाफ कार्यवाही नहीं करती कि वह खुद फंसी हुयी है। यदि सरकार उसकी तरफ कदम उठाये तो फिर ये बाहरी मामले भी आसानी से सुलझ सकते हैं। गाली देने से या हमको बदनाम करने से या डालमिया का इसमें हाथ है इस तरह से कहने से काम चलने वाला नहीं है। उनके जो मामले हैं, उनकी जो वस्तुस्थिति है उसको जानने की मेहरबानी कीजिये और यह भी मेहरबानी कीजिये कि जो यह रोडवेज और दूसरी फैक्टरीज के मजदूर हैं उनके लिये आप सब से पहले यह कीजिये कि जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का अख्तियार दूसरे मजदूरों को है वही अख्तयार इनको भी फौरन दिया जाय और उसके बाद उसके उत्पादन के और उसकी फिजूलखर्ची के मसले पर भी विचार करें। मैं यह भी कहता हूं कि जो दूसरे भी इस तरह के मामले हैं वह भी उस कमेटी के परव्यू में रखे जायं। तो फिर मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की जो शिकायत है वह सब खत्म हो जायगी। मैं अपनी तरफ से और अपने दल की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि हम हरगिज उन लोगों की मदद नहीं करना चाहते हैं कि जो किसी तरह से भी यह कोशिश करते हों कि फैक्टरी का उत्पादन किसी तरह से भी कम हो। यह मैंने सरकारी कारखानों के विषय में निवेदन किया। अब मैं कुछ दूसरे लोगों के कारखानों के विषय में निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बहुत बड़े पैमाने पर अवार्ड पास होते हैं और फैसले होते हैं उसको मिल मालिक इम्पलीमेंट नहीं करते हैं। अगर वह इम्प्लीमेन्ट नहीं करते हैं तो यह किसकी जिम्मेदारी है इसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कांसिलियेशन मशीनरी के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि कांसिलियेशन मशीनरी बिलकुल बेकार साबित हुयी है, इसलिये कि जो मामले कांसिलियेशन में आते हैं वहां पर लेबर की सुनने वाला कोई नहीं है और अगर मिल मालिक इन्कार करके चले गये तो फिर उसका परिणाम यह होता है कि वह मामले लेबर कमिश्नर के यहां भेज दिये जाते हैं। लेबर कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह उनको एडजुडिकेशन में भेजे या न भेजें। पिछले साल लेबर कमिश्नर ने बहुत थोड़े मामले एडजुडिकेशन के लिये भेजे। अगर उनको एडजुडिकेशन में नहीं भेजा जाता है तो फिर वह कांसिलियेशन मशीनरी बेकार हो जाती है। लोग समझते हैं कि हम क्यों माने और मिल मालिक समझते हैं कि एडजुडिकेशन में तो भेजा जायगा नहीं, तो वह भी हैं। मामले नहीं जरा पिछले साल के फिगर्स को देखा जाय। पिछले वर्ष जितने मामले कांसिलियेशन में आये, और तय नहीं हुये। उनमें जो लेबर कमिश्नर को भेजे गये, सिर्फ १८ मामले एडजुडिकेशन में गये बाकी नहीं गये। इसलिये मिल मालिकों की तबीयत बिगड़ती है। कांसिलियेशन से फैसले में कोई मदद नहीं मिलती है। हम यह नहीं कहते कि सरकारी मशीनरी न रहे। वह रहे, लेकिन जो काम लेबर वेलफेयर आफिसर करता है

[श्री गोपा सिंह]

वह कुछ भी नहीं है। वह अधिक से अधिक उपयोगी हो सके, वह ज्यादा से ज्यादा काम कर सके तो अच्छी बात होगी। क्यों न कंसीलियेशन का काम लेबर आफिसर करे। अगर उसको सिर्फ कंसीलियेशन ही कराना है तो क्यों नहीं वह मौके पर कराता है, जब काम न चल सके तब आगे को बढ़ायें। इस पर हमें सोचना है कि लेबर बेलफेयर आफिसर से अच्छा काम लिया जाय, जैसा कि मैंने बताया इस पर गौर किया जाना चाहिये। कंसीलियेशन के लिये पहले सन् ४८ से कुछ बाद तक ऐसा ही कायदा था कि उससे सीधा एडजुडीकेशन को चला जाता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उसको परिवर्तित कर दिया गया और इस कारण से कंसीलियेशन अब उतना उपयोगी नहीं रह गया है।

एक बात सोचने की है और उसको भी, मैं यह सोचता हूं कि इसमें यदि व्यावहारिकता हो तो उसको मान लेना चाहिये और हमें देखना चाहिये और अनुमान लगाना चाहिये कि इसमें कितनी व्यावहारिकता है। किसी फैक्टरी में केवल उसी एक यूनियन को मान्यता दी जाय जो वहां की अधिक से अधिक लेबर को रिप्रेजेन्ट करती हो। इसका परिणाम यह होगा कि एक यूनियन बनाने में लोगों की रुचि बढ़ेगी। यदि एक दृढ़ यूनियन होगी तो मिल मालिक भी झगड़ा करने में दबेंगे। आज यह हालत हो रही है कि हर जगह २-२, ३-३ यूनियनें हैं जो आपस में मिल नहीं पाती हैं। इसका नतीजा यह होता है कि मजदूरों का नुकसान होता है, इसलिये उसी मजदूर यूनियन को मान्यता दी जानी चाहिये जो अधिक से अधिक मजदूरों की संख्या को रिप्रेजेन्ट करती हो। मैं समझता हूं मजदूरों की जो तीन संस्थायें हैं, उनका भी यही विचार है। मैं मजदूरों के मामले में ज्यादा दखल तो नहीं रखता हूं लेकिन यह आवश्यक बात मालूम होती है कि इस ओर सरकार का ध्यान दिलाऊं।

एक बात की तरफ मैं खास तौर से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं वह यह कि जूट मिलों की यूनियनें अपने मिनीमम वेजेज को तय कराने के लिये एडजुडीकेशन को भेज देना चाहती हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से सरकार उस मामले को एडजुडीकेशन को नहीं भेज सकी है। मजदूरों का कुछ ऐसा विचार है कि १६-१७ रुपया जो उनको मजदूरी मिलती है, उनकी वह तनख्वाह कुछ बढ़ जायगी। ऐसे मामले में सरकार को रुकावट नहीं डालनी चाहिये और जो सहजनवा और कानपुर में ३ जूट की मिलें हैं उनके मामले को एडजुडीकेशन में भेज देना चाहिये।

बुढ़ापे की पेंशनों की तरफ विचार किया जाना भी दूसरी मुख्य बात है। जब हम इन्श्योरेंस आदि की बात करते हैं तो जो लोग जीवन भर काम करते हैं उनके लिये पेंशन की बात भी सोचने की है। गांवों में जो बूढ़ा होता है अगर उसके बेटे उसकी परवरिश नहीं करते तो वह भीख मांगता है। वह जिन्दगी भर मिल मालिक के लिये काम करते हैं और उनकी मेहनत के ही बल पर आखिर में मिलमालिक करोड़पति बनते हैं तो अगर वह बुड्ढे होते हैं तो उस अवस्था में उसकी भी पेंशन की बात हमें सोचना चाहिये और मैं माननीय वित्त मंत्री जी की अवस्था से भी सोचता हूं, हालांकि वह अभी अपने को बूढ़ा न मानते होंगे लेकिन मैं उनसे इस मामले में हमदर्दी जरूर चाहूंगा और शायद उनकी हमदर्दी होगी बूढ़े लोगों को पेंशन दिलाने के बारे में, वह लोग जो मिलों में उम्र भर काम हर जगह करते हैं उनकी पेंशन का जरूर कुछ बन्दोबस्त किया जाय ताकि वह भी समाज पर भार न हों और उन के साथ भी न्याय हो।

कुछ एक बात ला ऐन्ड आर्डर में नहीं आती और आती भी है। कानपुर हमारे यहां मजदूरों का केन्द्र है। हर जगह मजदूरों को अपनी फैक्टरी गेट पर मीटिंग करने की इजाजत होती है, लेकिन वहां पर वह दफा १४४ के द्वारा रोक दी जाती हैं और गेट पर मीटिंग नहीं होने दी जाती हैं। हम समझते हैं कि बेचारे मजदूर भी देश के स्वराज्य का कुछ मजा लेना चाहते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि जब उनको इस तरह की सुविधा सब जगह है तो कानपुर में भी होनी चाहिये।

ईख मिलों के मजदूरों के बारे में मैं समझता हूं कि बड़ी-बड़ी कमेटियां बैठीं और उन सब की सिफारिशों को सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया। चाहे वह भाटिया कमेटी हो, चाहे वह टैरिफ

बोर्ड की रिपोर्ट हो, चाहे दूसरी कमेटियां हों, निम्बकर कमेटी की रिपोर्ट को भी गौर से नहीं देखा गया और मैं समझता हूं कि हमारे समूचे सूबे में अगर मजदूरी सब से ज्यादा कम किसी उद्योग में है तो वह इसी उद्योग में है। कुछ मिल वालों से सरकार ने प्रार्थना की थी कि वे इन मजदूरों को अधिक दें लेकिन कितने मिलों ने ऐसा किया जब कि मैं जानता हूं कि शुगर मिल्स बहुत ज्यादा मुनाफा करती हैं और जितना मुनाफा वह करती हैं वह कागज में भी नहीं दिखलातीं, टेक्सटाइल वगैरा का मुनाफा तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग जानते हैं और लेबर लीडर भी जानते हैं, लेकिन शुगर मिलों का, उनके छुटपुट जगहों में स्थित होने के कारण कोई नहीं जानता कि वह क्या करती रहती हैं, फर्जी तौर पर अपने रिश्तेदारों को इन लोगों ने सेल्स एजेंट बना रखा है और २८ रुपया मन चीनी निकलकर कलकत्ते में जा कर अधिक मूल्य पर बिकती है और किसी को उसकी जानकारी नहीं हो पाती और सरकार के पास उसकी खोज के लिये कोई मशीनरी नहीं है।

इनकम टैक्स के बारे में क्या जांच होती है उसके मामले तो बड़े बेढब होते हैं, वह हिसाब-किताब न मालूम किस-किस तरह से बनाया करते हैं ? राशनेलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की बात की जाती है, परन्तु यह योजनायें क्यों केवल मजदूरों के लिये सोंची जाती हैं ? क्यों नहीं वह मिल मालिकों के साथ इंतजाम में मनालें ?

असल में हमारा प्रदेश खेती करने वालों का प्रदेश है और जब तक यहां खेती करने वालों की तरक्की नहीं होगी तब तक किसी की तरक्की नहीं हो सकती। समूचे संसार में और एशिया में दूसरी अवस्था है और हमारे देश में एक वैषम्य की अवस्था है। यह देश अमरीका या इंगलैंड नहीं हो सकता। उन मुल्कों में, यूरोप में खेती करने वालों की तादाद, उद्योग और सामाजिक सेवा में लगे लोगों से कम है लेकिन हमारे यहां बिलकुल उल्टी बात है। यहां ऐसी बात है कि भारतवर्ष में और खास तौर से हमारा सूबा जो है वह खेतिहर है और ८० फीसदी के करीब लोग यहां खेती का काम करते हैं और उन खेती के काम करने वालों में उनको भी जोड़ लिया जाय जो खेती के काम में दूसरों की मदद करते हैं, मजदूरी करते हैं और फिर अगर दूसरे लोगों को भी जोड़ लें तो खेती पर सबका गुजारा होता है ऐसा मान लेना चाहिये। खेती करने वाला वकील रखता है, वह दवा करता है, बजाज के यहां कपड़ा खरीदता है, मालगुजारी देता है यदि चोरी भी रात को करता है तो गांवों के अंधेरे घरों में उसी के घर चोरी भी हो सकती है, क्योंकि शहरों में तो पहरा है वहां चोरी नहीं हो सकती। तो चोर, साधू, नेता, मिनिस्टर और गवर्नमेन्ट जितने लोग हैं सब उसी पर आश्रित हैं।

कृषि-मंत्री (श्री हकुम सिंह)—और लीडर आफ अपोजीशन ?

श्री गेंदा सिंह—जी हां, वह भी मैंने नेता कहा है। सभी उसके बल पर उसी के भरोसे पर हैं और हमें खुशी है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब हमारे खेतीबारी से सम्बन्ध रखते हैं तो कम से कम वह तो थोड़ा बहुत दुखदर्द उनका समझते ही होंगे। तो हमारे जो सब खेती करने वाले हैं वे आज मुसीबत में हैं और इनमें मैं बड़ी खेती करने वालों को अपनी आंखों से ओझल नहीं कर सकता। मुसीबत अगर हम न कहें तो उनकी आमदनी घट रही है और माननीय वित्त मंत्री के कागज के हिसाब से जो बढ़ रही है सही बात क्या है कि गांवों में आज हो क्या रहा है ? यह देखना चाहिये। हमारी उपज की कीमत आज ढाई दो गुना कम है। वह तो ढाई गुना कम है, लेकिन हमारे घर से जिस वक्त वह दूसरे के यहां चला जाय उस वक्त उसकी कीमत कितनी ज्यादा हो जाती है उसका तजुर्बा हमारे अन्न मंत्री जी को इसलिये नहीं हो सकता कि वे इतना कम खाते हैं और इतनी कम जरूरत उनको पड़ती है कि उससे उनको कोई परेशानी नहीं होती।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा--यह आपने हिसाब कैसे लगाया ?

श्री गेंदा सिंह--यह हिसाब ऐसे लगाया कि मैं स्त्री रखता हूं, मां हैं बच्चे हैं लेकिन उनके पास यह सब बखेड़ा नहीं है, इसलिये हिसाब रखता हूं कि उनको कम दिक्कत पड़ेगी। परिपूर्णानन्द जी भी उन्हीं लोगों में से हैं जैसा मैं हूं। इसीलिये माननीय अन्न मंत्री जी को इसकी जानकारी नहीं होती। दिक्कत हमारी यह है कि अन्न को प्रोक्योर करना, लोगों को पहुंचाना, बेंचना और प्राइस सपोर्ट पालिसी को भी काम में लाना यह सारे काम उन्हीं के जिम्मे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे उनसे कोई चिढ़ नहीं है, जिसकी वजह से मैं कहता हूं कि उनको इन कामों से फुरसत दी जाय। यह सब कैसे हो यह प्रश्न है ? पिछले साल हमने कहा, चिल्लाये कि गुड़ १० रुपये मन से नीचे जा रहा है। तेज प्रताप जी ने कहा कि लाल गेहूं तो खरीद लिया जाय झांसी की तरफ का। उन्होंने कहा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की इजाजत नहीं है और हम नहीं खरीदते। अब वह लाल गेहूं इस वक्त काम आता अगर सफेद गेहूं नहीं होता तो लाल ही गेहूं मिलता तो आज ढाई सेर का गेहूं नहीं बिकता। २ सेर १० छटांक तो अन्न मंत्री जी की दूकान पर बिक रहा है, वैसे २ सेर का गेहूं हमारी तरफ बिक रहा है। अगर १४ लाख मन उस वक्त न खरीद करके ५० लाख मन खरीद लेते तो यही होता न कि रुपया लग जाता। तो लग जाता, लेकिन जो गेहूं १० रुपये मन का खरीदा गया वह इस वक्त १६ रुपये मन बिक रहा है। सरकार १५ रुपये मन बेच रही है। बहुत से लोग उंगली उठाते हैं कि सरकार क्या कर रही है और इस तरह का मुनाफा कमा रही है। मुनाफा तो हुआ, यह सही है कि वह सब इसी सरकारी खजाने में आयेगा और हम उस खजाने का हिसाब-किताब देख लेंगे लेकिन जो बात देखने की है वह यही है कि अगर हमने खरीद लिया होता तो शायद हमको जो साढ़े ९ करोड़ रुपये का घाटा है और जिस के लिये टैक्स लगाने की जरूरत पड़ रही है वह न पड़ती, और अगर ऐसा होता तो हम एक पाप से बच जाते, बदनामी से बच जाते और परेशानी से बच जाते। फायदा कितना होता, हम अपने कन्ज्यूमर की कमर को तोड़ने से बचा लेते। जो आज ४ सेर का गेहूं २ सेर १० छटांक का खरीदने के लिये मजबूर है उसे भी हम बचा लिये होते। एक तरफ उसको बेचते हुए नुकसान पहुंचा दूसरी तरफ हम अपने शहरी उपभोक्ताओं की सहायता करके सस्ते दाम पर गेहूं दे पाते। यदि ५० लाख टन गेहूं खरीदा होता तो उसकी कमर न टूटती, बाजार भाव इतना न बिगड़ता।

उसी तरह गुड़ का हाल है। मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, बरेली आदि के जो किसान हैं वे छाती पर हाथ रक्खे हुए हैं कि हमारे गन्ने का क्या होगा? १० रुपये से नीचे गुड़ का भाव है, लेकिन उस भाव पर भी गुड़ को बेचने का कहीं ठिकाना नहीं। कोई लोडिंग बन्द नहीं, कोई काम बन्द नहीं, कागज में सब कुछ लिखा हुआ है। वैगन्स मिलते हैं लेकिन किसान उतनी तिकड़म नहीं जानता। किसान रेलवे के दफतरों में कामयाब नहीं हो सकता है। कागज में लिखा हुआ है कि वैगन्स मिलते हैं। एक दिन में इतना लोड नहीं हो सकता, डेमरेज होता है। लेकिन जिस दिन उसकी जरूरत होती है उस रोज वैगन नहीं मिलते। गन्ने के मामले में मैं जानता हूं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर गन्ना जाना है। या तो वैगन्स हैं नहीं, और अगर हैं तो तीन दिन के लिये ही एक दिन में जमा कर दिये। फैक्टरी के लिये मुसीबत, ले जाने वाले के लिये मुसीबत। गन्ना पहले से इकट्ठा है सूखेगा तो उसका रिकवरी कम होगी। नेशनल लास होगा। इसमें यू० पी० सरकार का कोई हाथ नहीं, लेकिन कहा जाता है कि यू० पी० की सरकार सारे हिन्दुस्तान पर डोमिनेट करती है। मैं बाद में डोमिनेशन की बात बतलाऊंगा कि कैसे डोमिनेट करती है? कम से कम हमारे रेलवे मंत्री जी हैं उनका बहुत गहरा सम्बन्ध है उद्योग मंत्री जी से और कृषि मंत्री से। उद्योग मंत्री

जी कभी हमारे साथ चलने की कृपा करें। उनके साथ में मैं भी चलूंगा और कम से कम उनको यह बता सकूंगा कि हुजूर वाला आपके राज्य में यह हो रहा है। रेलवे कोई हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन यू० पी० गवर्नमेन्ट का काम है कि वह किसानों की इन मुसीबतों को दूर करने में मदद करे। यह तो मैंने सिर्फ उन फसलों की बात कही है जो फसल कैश क्राप्स हैं। कैश क्राप की यह अवस्था है कि ६ करोड़ मन गुड़ बनता है और १२ लाख आदमियों को ४,६ महीने के लिये रोजी मिलती है, लेकिन उस गुड़ की क्या अवस्था है? पश्चिमी जिलों के किसान गुड़ बनाने के लिये इसलिये तैयार नहीं हैं कि उनका गुड़ जायगा कहां? मिल वाले कहते हैं कि जून तक गन्ना नहीं पेरेंगे। यह बड़ी एलार्मिंग सेचुएशन है। कई दफा यह कहा कि ठीक हिसाब तो रखिये। मैं अभी मुरादाबाद गया था। मैं पिछली मर्तबा बरसात में ४, ५ दिन के लिये पश्चिमी जिलों में गया था। मैं उद्योग मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस गन्ने का क्या होगा, खास तौर से मुरादाबाद, बरेली, नैनीताल तराई आदि के जो जिले हैं जून तक सारी फैक्टरीज चलेंगी तब ही गन्ना समाप्त होगा। पूर्व की फैक्टरीज फर्वरी के अन्त तक या मार्च के शुरू तक बन्द हो जायंगी और पश्चिम की फैक्टरीज जून तक चलेंगी, यह अजीब बात है। वहां का गन्ना किस तरह पेरा जाय? यह कोई ऐसी बात नहीं है जो साधारण तौर पर हल हो जाय? अगर स्पेशल तरीके से कोई व्यवस्था हो तो मामला हल हो सकता है। मैंने कुछ लोगों से बातचीत की। मुझे बताया गया कि २० घंटे में काशीपुर से चल कर गन्ना बस्ती गोरखपुर और देवरिया पहुंच सकता है। आप गोंडे की मिलों में, गोरखपुर, देवरिया और बस्ती की मिलों में जो फरवरी के अन्त में बन्द होने जा रही हैं या मार्च के शुरू में बन्द होने जा रही हैं स्पेशल गाड़ी चला कर जब २० घंटे में वहां गन्ना पहुंच सकता है तो वहां गन्ना भेजने का प्रबन्ध क्यों नहीं करते?

श्री हुकुम सिंह—खर्चा क्या पड़ेगा?

श्री गेंदा सिंह—कृषि मंत्री जी हमारे बहुत मित्र हैं। मौके-मौके पर ऐसी मदद करते हैं जिसको मैं भूल नहीं सकता। १० आने मन खर्च पड़ेगा, ७ आने मन एक्साइज ड्यूटी और तीन आने मन केन सेस छोड़ दें। १० आने मन हो गया। खेत में खड़ा रहेगा तो क्या मिलेगा? एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैंने सोचा था कि जरूर यह खर्च का सवाल उठेगा। तो मैं कहता हूं कि गन्ना खेत में खड़ा रहे तो कुछ मुआविजा किसान को देना पड़ेगा और देना पड़ेगा घर से ठाकुर साहब को। घर से न देना पड़े—मैं तो दोस्त हूं इसीलिये मैंने यह राय दी कि इधर उधर हो जाय। गन्ने के ऊपर खास तौर से मैंने जिक्र किया। मैं गन्ने की बात भूल नहीं सकता। लोग कहते हैं, कुछ हमारे दोस्त भी कहते हैं कि जब खड़ा होता हूं तो गन्ने की बात नहीं भूल सकता। मैं कैसे भूलूं, मेरी जिन्दगी उसी से है, मेरी ही क्यों उद्योग मंत्री जी की भी जिन्दगी १२ आने उसी पर है। अगर वह कहीं रूठ जायं। शुगर मिल मालिक इसमें रूठेंगे भी नहीं। इसमें रूठने की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं जयप्रकाश जी ने कहा था जिस वक्त जवाहरलाल जी से उनका पत्रव्यवहार हुआ था कि शुगर इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन ओवरड्यू है। उसको तुरन्त करें। मैं कहता हूं कि उसको नेशनालाइज करना चाहिये। अगर उसको नेशनलाइज किया जा सकता तो यू० पी० का भाग्य चमक जाता। उत्तर प्रदेश ने २५ करोड़ मन गन्ना मिलमालिकों को पिछले साल दिया। उसके अलावा ६ करोड़ मन गुड़ बनाया, जिनका कुछ समन्वय तो हो। गुड़वाला मरता है। गुड़वाले को मारता है मिल वाला। इस बात को जानते हुए जब हम सारे सूबे की इस अवस्था को देखने के लिए तैयार हैं कि सब को हम किस तरह से भोजन दें। सब का स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढ़ाने की बात हम अभी नहीं करते

[श्री गेंदासिंह]

वह तो कुछ लोगों की बात है। हम मूल आवश्यकताओं की ही बात करते हैं। उतना ही दे दें तो अपने स्वराज्य का सुख तो भोग लें। उसके बाद स्टैंडर्ड आफ लिविंग बढाने की बात करेंगे। अगर यह हम करना चाहते हैं तो सबसे पहले यू० पी० की शुगर इंडस्ट्री को नेशनलाइज करना चाहिए। उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना पैसा डेप्रीशिएशन और रिजर्व फंड में जमा कर रखा है कि वह रुपया भी हमारे हिसाब किताब में आयेगा। दूसरी एक खास बात की ओर भी ध्यान दिलाता हूं। किसानों को हिस्सा जो उसको पाना है आज गोपालकृष्णन कमेटी के निर्णय पर हमारा भाग्य लटका है। उसमें क्या हुआ? अगर उसमें थोड़ी मदद हमारे उद्योग मंत्री जी करें, यद्यपि ज्यादा मदद उनकी चलती नहीं, फिजूल कहा जाता है कि केन्द्र में यू० पी० डामिनेट करता है। सही है कि वहां चलती नहीं। गये थे सवा सात अरब ले कर, लेकिन मुंह बना करके चले आये २ अरब ४८ करोड़ ले कर। यहां कुछ बनाते हैं वहां कुछ होता है। उसमें ज्यादा नहीं चलती। लेकिन अगर सचमुच इस सारे सदन की ताकत को लेकर शुगर इंडस्ट्री के मामले में आप गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से बात करेंगे, कोशिश करेंगे, तो गवर्नमेन्ट आफ इंडिया कहां जायगी? गवर्नमेन्ट आफ इंडिया उत्तर प्रदेश और बिहार को नेगलेक्ट कर रही है, उनकी उपेक्षा कर रही है, शुगर इंडस्ट्री के मामले में कैसे हम बरदाश्त कर सकते हैं? हम गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से इंसाफ चाहते हैं लेकिन उसमें सरकार गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से इंसाफ करवाने में भी नाकामयाब है। इसलिये नाकामयाब है कि पिछली बार मध्यस्त हो गयी। माननीय मुख्य मंत्री जी, पंत जी ने कहा था कि तुम्हें कुछ पैसा मिलेगा। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि जब पंत जी यहां थे तो हमारा दुखदर्द सुना करते थे, जब दिल्ली चले गये तो हमारा साथ छूटगया। हमारा दुखदर्द भूल गये। उनको दिल्ली की बात याद आ गयी। एक्साइज ड्यूटी जो हमको मिलने वाली थी वहां चली गयीं। वह ड्यूटी डेवलपमेन्ट के काम में नहीं आयी। वह केन्द्र में चली गयी। उसका क्या होगा पता नहीं। इस सोने की चिड़िया को, इस शुगर इंडस्ट्री को इस दृष्टि से देखिये जिस तरह से सारे समाज के हित में उसका संचालन हो सके।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदासिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि खेती करने वालों का हमारा देश है, और जब तक खेती करने वालों की हालत न सुधरे तब तक देश की हालत नहीं सुधर सकती। उसकी क्या आवश्यकतायें हैं? मैं समझता हूं कि दूसरे मुल्कों में कोई दूसरी अवस्था नहीं होगी। आवश्यकताएं दूसरी नहीं बदलेंगी, बल्कि उसके लिये दो तीन बातें बहुत ही आवश्यक हैं जिनको किये बिना देश की हालत सुधर नहीं सकती। और इस समय सबसे पहली बात यह है कि भूमि का बंटवारा होना चाहिये फिर से। कोई इसलिये नहीं कि किसी से दुश्मनी है, और जिन लोगों के पास भूमि है उनसे हमें बदला लेना है। उस गर्ज से नहीं बल्कि भूमि तो सब की माता है, वह माता अगर सब को अन्न देती है तो अपने हाथ से मेहनत कर के वह अन्न पा सके। इसके लिये जरूरत है कि हम जमीन सब को न दें कर के जिनको समझते हैं कि जमीन से ज्यादा लाभ उठा सकते हों, उससे अधिक अन्न उत्पादन कर सकते हैं, उनको हम जमीन दें, और जमीन दे कर के देश का कल्याण करें। तो सब से पहली बात जमीन का बटवारा है, और जिसको हम लोगों ने ही नहीं, बल्कि प्लानिंग कमीशन ने, और हमारा ख्याल है कि अवादी रिजोल्यूशन ने भी, कांग्रेस का यकीदा है, माना है। जिसकी वजह से जरूरी है कि जमीन का बटवारा हो, सीलिंग मुकर्रर हो और उससे ज्यादा जो जमीन हो वह दूसरे लोगों को मिले। अगर हम सीलिंग मुकर्रर नहीं करते तो फिर हम कैसे हरिजनों

की मदद करने वाले कहला सकते हैं ? हम जानते हैं कि हरिजन ही सब से अधिक भूमिहीन हैं। अगर उनकी हमको मदद करनी है तो हमारे लिये लाजिमी है कि हम उनको जमीन दें और जमीन तभी मिल सकती है जब कि बड़े बड़े खाते जो हैं उनसे निकाल कर के जमीन दें।

अब खातों के सिलसिले में यह बात जरूरी है कि हमें फ़ैसला करना पड़ेगा कि कितने बड़े खाते रखें ? हम लोगों ने यह सोचा है कि ३० एकड़ से ज्यादा का खाता नहीं होना चाहिये एक परिवार के लिये। ३० एकड़ से ज्यादा होल्डिंग नहीं होनी चाहिये, एक खानदान के लिये, और उससे बाक़ी जो जमीन हो वह निकाली जाय, और दूसरे लोगों को जिनके पास जमीन नहीं है, या जिनके पास ऐसी जमीन है जिनका काम नहीं चल सकता है, उनको दी जाय। कुछ लोगों को तकलीफ हो सकती है, लेकिन सारे देश के सुख के सामने वह तकलीफ़ नगण्य है। भूमि के बंटवारे के साथ-साथ जमींदारी अबोलिशन कमेटी के सिलसिले में भी उस वक्त जब यह बहस हुई थी तो यह कहा गया था कि उत्पादन कम होने का खतरा है, इसलिये लड़ाई के जमाने में हम बंटवारा नहीं करेंगे। लेकिन यह भी उनके ध्यान में था कि उस वक्त अनाज खरीदने की बात थी और खरीदना उन्हीं लोगों से था जो अनाज ज्यादा पैदा करते हों। इसलिये मेरे ख्याल में उसे ज्यादा मुनासिब नहीं समझा। अब तो जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को अन्न कैसे दें ? इसलिये भूमि का बंटवारा बहुत ही आवश्यक है, उसका प्रबन्ध होना चाहिये।

दूसरी बात पानी के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में है। पानी अगर नहीं मिलता हो तब तक काम नहीं चलता। और तीसरी बात यह कि जो उत्पादन हो खेतों में उसकी ठीक से बिक्री हो सके। तीनों चीजें ऐसी आवश्यक हैं कि बगैर इनके देश की हालत सुधर नहीं सकती और न हम खेतों में मजदूरी करने वालों की हालत कुछ सुधार सकेंगे। क्योंकि मेरठ में मजदूरी जो हल चलाने वाले हैं, हरिजन भाई हैं, वे एक रुपये से ज्यादा मजदूरी पाते हैं। लेकिन इधर बलिया, देवरिया और गोरखपुर में खेती पर मजदूरी करने वालों को ८ आना मजदूरी भी नहीं मिलती है। ८ आना, ६ आना तक पर मजदूरी करने वाले हैं ! इसलिये कि किसान, मजदूर नहीं लगाना चाहता, नहीं लगावेगा। इसलिये नहीं लगावेगा कि उसकी हैसियत नहीं है कि वह उतनी मजदूरी दे सके। तो मेरठ का किसान एफोर्ड कर सकता है। वह मजदूर को डेढ़ रुपया प्रति दिन दे सकता है, वह लगा सकता है। लेकिन लखनऊ से पूरब का किसान उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता और वह अपना हल चलाना पसन्द करेगा। तो आज जिस हिस्से में इतनी बड़ी आबादी है, और इतने गरीब लोग बसे हुये हैं उन गरीब लोगों के लिये कुछ सोचना पड़ेगा, और यह बड़ी भारी समस्या है जिसको कि बगैर भूमि बटवारे के हल नहीं किया जा सकता।

मार्केटिंग के सिलसिले में मैंने निवेदन किया। हम नहीं समझ सकते कि आखीर दूसरे सूबों में ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग का बन्दोबस्त है। कुछ सूबे ऐसे हैं जहां पर उन्होंने ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग ऐक्ट पास किया है और उसके मुताबिक वह कार्य कर रहे हैं। रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, जो रिजर्व बैंक की तरफ से अप्वाइंट हुई थी, मुकर्रर हुई थी, उसने भी इस बात पर और जोर दिया और उसने कहा कि हमको गांवों में ऐसा प्रबन्ध करना चाहिये कि मार्केटिंग का ठीक से बन्दोबस्त हो सके। मार्केटिंग के लिये उन्होंने वेयर हाउसेज बनाने की तरफ ध्यान दिलाया है। वेयर हाउसेज बनाये जायं। किसानों का माल जिस वक्त बहुत ज्यादा तैयार होता है उस वक्त इन वेयर हाउसेज में कोआपरेटिव के जरिये से वह माल खरीद कर रखा जाय, और जिस वक्त कमी हो उस वक्त बहुत ज्यादा मुनाफा न कर के कंज्यूमर्स के पास उस माल को पहुंचाया जाय। उससे किसान का भी भला होता है, पब्लिक इन जनरल, जो मासेज हैं, जो कन्ज्यूमर्स हैं, उनका भी फायदा होता है। और उसी के साथ-साथ सरकार को भी लाभ होता है। आम जनता की पर्चेजिंग कैपेसिटी (खरीदारी की शक्ति) उससे गिरती नहीं। तो हम देखते हैं कि बजट में वेयर हाउसेज बनाने की चर्चा तो जरूर है लेकिन वेयर हाउसेज कितने बनेंगे, और इतने बड़े सूबे की तरफ से कुछ कर पायेंगे या नहीं ? यह बड़ी जरूरी चीज है, मार्केटिंग का बन्दोबस्त करना, पानी का बन्दोबस्त करना और भूमि का बटवारा करना।

[श्री गेंदासिंह]

पानी के सिलसिले में मैं यह जरूर कहना चहता हूं कि हमारे सूबे में कुछ काम हुआ है। लेकिन पानी का दाम बहुत महंगा है। देखना चाहिये इस पर, और मैं टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट की तरफ भी सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा। मुझे भी यह भ्रम था कि हमारे सूबे में पानी का रेट जो है वह बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन की रिपोर्ट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि पानी का रेट हमारे यहां ज्यादा है और दूसरे सूबों से उसका रेट कम होना चाहिये। बम्बई से अगर हम तुलना करें तो बम्बई में गन्ना के खेतों में हर दसवें दिन पानी चला जाता है। बारह महीने खेतों में गन्ना खड़ा रहता है। इसलिये ३६ पानी बम्बई में गन्ना के खेत में जाता है। अब ३६ पानी देने के बाद ९० रुपया अगर वह ले लें तो हमें इस पर सोचना चाहिये कि हम ३२ रुपया लेते हैं वह कितने पानी पर लेते हैं?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—अब २६ ही आता है।

श्री गेंदासिंह—जी हां। तो इस पर भी विचार कर लेना चाहिये। दूसरी बात जो मैं बहुत आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं वह यह है कि पानी का बन्दोबस्त हम अगली पंचवर्षीय योजना में भी बहुत हद तक नहीं कर पायेंगे। इसलिये नहीं कर पायेंगे, मैं इस बात को स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इसमें हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार की अकर्मण्यता है। अधिक अकर्मण्यता है और थोड़ी मजबूरी है। अकर्मण्यता इस माने में मैं कहता हूं कि उसने अकर्मण्यता दिल्ली में दिखलायी है। यहां तो उसे रोब ही दिखाना है, हमारे ऊपर, बड़ा रोब है उसका क्योंकि हम कमजोर हैं। वह दिल्ली के सामने भीगी बिल्ली बन जाते हैं। हमारी समझ में बात नहीं आयी। मैं वक्त ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा। यह हमको एक किताब बंटी है, इस किताब को माननीय सिंचाई मंत्री जी ने देखा है कि नहीं? जितने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट सारे हिन्दुस्तान में बने तो जरा मेहरबानी कर के उन पर तो गौर करें कि उन प्रोजेक्ट्स में से कितने उत्तर प्रदेश के लोगों को मिले, जो डामिनेट करते हैं हिन्दुस्तान की हुकूमत पर दिल्ली में बैठ कर के। डामिनेट करने वालों की हालत यह है कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट रिहैंड डैम ३५ करोड़ का मिला। ३५ करोड़ का रिहैंड डैम और ऐसे-ऐसे ३५ करोड़ रुपये के और दो-दो अरब रुपये के दर्जनों प्रोजेक्ट्स बिहार में बने, हैदराबाद में बनें, मद्रास में बने, आन्ध्र में बनें। मैं यह नहीं कहता कि वहां क्यों हैं, लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमारे यहां क्यों नहीं हैं? हमारे यहां इसलिये नहीं हैं कि हमारी सरकार वहां बताती है कि माली हालत में हम बड़े ऊंचे हैं, हम हैदराबाद वालों की तरह, मध्य प्रदेश वालों की तरह भूखे थोड़े ही हैं। हम बहुत बड़े हैं, हम भूखे नहीं हैं। तो वे समझते हैं कि जो देवरिया के कोने में या गोरखपुर के कोने में स्टार्व कर रहा है वह सूबे की मौत नहीं है, वह सूबे की बर्बादी नहीं है, वह सूबे की तौहीन नहीं है।

हमने दो भाइयों की मौत की चर्चा की थी। एक दिन तो मुख्य मंत्री जी ने कहा कि वहां से रिपोर्ट आयी कि वे भूख से नहीं मरे। मैं उस दिन मौजूद था, हमारे सिंचाई मंत्री जी मौजूद थे, मैंने चर्चा की थी और मुझ से ही नाम पूछे गये। लेकिन मुझसे नाम पूछने के बाद मुझसे ही यह भी नहीं कहा गया कि भले आदमी, तुम भी तो चले चलो, और साबित करो कि भूख से मरे हैं। बावजूद इसके अगर एस० डी० एम० जाते, कलेक्टर जाते और दूसरे व्यक्ति न जाते तो मुझे शिकायत नहीं होती। लेकिन वहां तो दूसरा आदमी गया जिसने मीटिंग में खुद कहा था कि गेंदासिंह झूठे हैं, मैं उनको झूठा साबित करूंगा, और चैलेन्ज किया था कि जिस वक्त गांव में जायंगे तो ऐसे ही बयान दिलवाऊंगा कि राजा गोसाईं और शिवबदन तेली नहीं मरे। फिर दूसरे दिन मेरे पास एक खबर आयी, और मैंने मुख्य मंत्री जी को भेज दी है कि एक आदमी की फिर मौत हुई। और मौत नहीं होगी उस जगह तो क्या होगा कि जहां आज ५ हजार आदमी, औरतें और बच्चे चार आने रोज पर मजदूरी करते हैं? यह दर आज हिन्दुस्तान के किसी सूबे में नहीं है। तो इन मुसीबतों के रहते हुए भी हमारी सरकार कहती है कि हम तो

खुशहाल हैं। और वह दिल्ली में नहीं कहती है, वह इस काग़ज़ में छाप देती है। अन्न मंत्री जी की तरफ़ से जो एक काग़ज़ बंटा है उसमें उन्होंने कहा है कि हमने इतना अनाज पैदा कर लिया है कि जिससे केवल हमारा ही काम नहीं चलेगा बल्कि हम दूसरों की मदद करने के लायक हो गये। अपने घर का ठिकाना नहीं, लोग भूखों मर रहे हैं, और दूसरों की मदद करने लायक हम हो गये! जब दूसरों की हम मदद करेंगे तो कौन देगा प्रोजेक्ट हमको ? मैं झूठ कहने को नहीं कहता, लेकिन सच्ची हालत तो रखिये सामने, और उसके बाद अगर वहां डामिनेट करते हों तो हिन्दुस्तान की सरकार से लड़ो। फिर, हमारी सरकार सिर्फ इतना ही नहीं करती है। एक तो वह हमें भूखों मारती है, हमारी सही तस्वीर वहां नहीं पहुंचने देती, क्योंकि हमारी एजेन्ट तो यह सरकार ही है, और दूसरे अपने कपड़े को तानती है। पश्चिम का रुपया पूर्व में। जो पश्चिम वाले हमारे भाई यहां बैठे हैं वे अपने यहां कहते हैं कि पूर्व के लोग दरिद्र हैं, इसलिये हम उनकी मदद करने में जुटे हुये हैं। तो वे कहते हैं कि जब सारे का सारा रुपया पूर्व में ही चला जायगा तो तुम जो वहां बैठे हो वह किस मर्ज की दवा हो ? यह पहाड़ वाले भी आधी गाली सुनते हैं। यह मैं आपसे निवेदन करूं कि यह पहाड़ का कुमायूं डिवीजन और बनारस, गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजन किस हालत में है, कैसी मुसीबत में है ? और कितनी आबादी आधे पेट पर रहती है, कितने आदमी नंगे रहते हैं और कितने आदमी जाड़ों में कपड़ा खरीद पाते हैं ? यह जानना चाहिये सरकार को। फिर माली खुशहाली देखे कि आखिर कितने लोग जाड़ों में एक धोती खरीदते हैं, अगर आप इस जानकारी के बिना लिख देते हैं कि हमारे यहां २७७ रुपये माहवार फी आदमी की आमदनी हो गई तो फिर दिल्ली की सरकार कैसे माने जब कि आप दिखलाते हैं कि आप के यहां के आदमियों की आमदनी २७७ रुपये हैं और उस आदमी की भी है जो भीख मांगता है, भूखा मरता है।

कुछ सदस्य--२०० रुपये पाने वालों से उसकी आमदनी अच्छी है।

श्री गेंदासिंह--उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्षमा चाहूंगा। इस बुद्धि की बलिहारी है कि उसकी आमदनी २०० रुपये पाने वालों से अच्छी है। भगवान् बचाये इस हिसाब-किताब से, मैं इस हिसाब में जाना नहीं चाहता हूं।

मैं पानी की बात कह रहा था कि आप पानी नहीं दे सकते हैं, और इसलिये नहीं दे सकते हैं कि गंगा, जमुना, घाघरा, राप्ती और नारायणी जितनी आप की नदियां हैं, जो बरदान हमारे देश के लिये हो सकती हैं, उनका हजारों लाखों क्यूसेक्स पानी बहता हुआ समुद्र में चला जाता है। उस पानी का क्या होगा ? जरा आप लोग समझने की कोशिश करें। मैं कहता हूं कि आप लोग दामोदर घाटी की योजना, कोसी प्रोजेक्ट और कृष्णा नदी की योजना जाकर देखिये। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह एक बार इन सब को बोगी में बिठा कर कृष्णा, कोसी और रिहैन्द डैम वगैरह दिखा दें। मैं कहता हूं कि यह जो हमारी नदियों का हजारों लाखों क्यूसेक्स पानी जा रहा है उसको यदि हम हारनेस करें, पानी का नियंत्रण करें, और यह हमारे यहां के इंजीनियर्स का है कि वह इसको कंट्रोल करें, और रिजरवायर बनाकर बिजली पैदा करें, और किसानों के खेतों के लिये जिस समय पानी की जरूरत हो उस समय पहुंचायें। एक तरफ तो हम लोग बाढ़ से तबाह होते हैं और दूसरी तरफ सूखा से तबाह होते हैं। बाढ़ के लिये हमें केवल २७ करोड़ रुपया मिला है। यह २७ करोड़ रुपया क्या है ? इससे कुछ नहीं हो सकता है। २७ करोड़ रुपये में से कुछ बांध वगैरह बाढ़ से बचाने के लिये बनाये जायंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि यह २७ करोड़ रुपया कोई चीज नहीं है। जहां अरबों का मामला है वहां २७ करोड़ रुपया कुछ नहीं है। अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हम श्रम शक्ति लगाने के लिये तैयार हैं, मिट्टी उठा कर डालने के लिये तैयार हैं, लेकिन यह काम हमारे बस का नहीं है। यह तो सरकार ही कर सकती है। जिस तरह से चीन की सरकार ने किया, अमरीका की सरकार ने किया। खैर मैं उनकी बात छोड़ देता हूं, मालूम नहीं वे कैसी सरकारें हैं। मैं अपने देश की ही बात लेता हूं जैसे दामोदर घाटी योजना है। जिस

[श्री गेंदासिंह]

तरह से कृष्णा को कंट्रोल किया गया उसी तरह से ही हो। कुछ किया तो जाय। लेकिन हो सकेगा? अगली पंचवर्षीय योजना में इस २७ करोड़ में क्या होने वाला है? तो फिर इन नदियों से एक तरफ तो हमारी बरबादी जारी रहेगी और दूसरी तरफ न हम बिजली पैदा कर सकेंगे और न पानी पा सकेंगे। बिजली की खपत भी, मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मैंने इसके बारे में कुछ जानने की कोशिश की है और वह हमारे सूबे में दूसरे सूबों के मुकाबले में बहुत कम है। इसको वह देखने की कोशिश करें। अन्य सूबों का कंजम्पशन हमारे सूबे से बहुत ज्यादा है।

एक सदस्य--बजट पर कहिये।

श्री गेंदासिंह--यह बजट पर ही कह रहा हूं। तो क्या अगली पंचवर्षीय योजना में हम दूसरे सूबों के मुकाबले में आ जायंगे? मैंने खेती वालों और किसानों की चर्चा की। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो खुशहाली का चित्र हमारी सरकार जबरदस्ती पेश करती है वह अगर न पेश किया करे तो कोई बात नहीं है। सरकार को अभी मालूम हुआ कि कुछ नेशनल इन्कम और पर-कैपिटा इन्कम घट रही है। मुझे क्षमा किया जाय इसलिये कि इस में मैं सरकार का कुछ मोटिव इंप्यूट कर रहा हूं। तो उसको मालूम हुआ कि कागज में कुछ इन्कम घट रही है। कागज में क्या वस्तु स्थिति यही है कि आमदनी घट रही है? हमरे यहां एक मंथली बुलेटिन निकलती है। उस से कुछ महीने पहिले करेंट प्राइसेज से हिसाब लगाया, और उसके आधार पर उसने कहा कि हमारे देश की राष्ट्रीय आय इतनी हुई। फिर उसको इलहाम हुआ कि इसमें बड़ी गड़बड़ी है और वह यह कि हम जो २७७ रुपया कह रहे हैं सालाना आय एक आदमी की, वह बहुत घट गयी है और वह १९१ या उससे भी कम १५० रुपया के करीब आ गई। तो जब उसने यह समझा तो उसने सोचा कि हिसाब बदलो, और उसके बाद दूसरे महीने की बुलेटिन में यह कहा जाता है कि सन् १९४८-४९ की क़ीमतों से मुकाबिला करो कांस्टेंट प्राइस मानकर। इसे मेरा जैसा आदमी क्या समझे? क्या हम १९४८-४९ की कीमतों को देखें और मिलावें। हमें एक बार तो बताया गया कि जो १९५५-५६ की प्राइसेज हैं उनके हिसाब से नेशनल इन्कम निकाली गई, मैं समझता हूं कि मुनासिब भी वही है। लेकिन अब वे कहते हैं कि नहीं, १९४८-४९ की प्राइसेज समझो कि है ही।

पुलिस उपमंत्री (श्री जगनप्रसाद रावत)--यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिये।

श्री गेंदासिंह--मैं समझता हूं कि जेलखानों की यूनिवर्सिटी में हमने कुछ पढ़ा है, और उसमें जैसे काबिल प्रोफेसर्स हमें मिले थे वैसे प्रोफेसर्स शायद किसी और यूनिवर्सिटी में अब प्राप्त नहीं हो सकेंगे। और अब भी अगर पढ़ने के लिय जान की जरूरत पड़ तो मुझ उसमें कोई आपत्ति न होगी। अगर पढ़ने के लिये चिता तक पर भी जाने की हमें जरूरत पड़े तो मैं सहर्ष जाऊंगा और अपने को विद्यार्थी ही समझूंगा। डर यही है कि कहीं पढ़ाने वाले गलत न मिल जायं! तो मैं आपसे जल्दी-जल्दी कहना चाहता हूं कि सन् १९४८-४९ में हमारा प्राइमरी प्रोडेक्शन ८१०.५ करोड़ का था और १९५४-५५ में हमें बताया गया कि वह प्राइमरी प्रोडेक्शन करेंट प्राइसेज के हिसाब से वह ६३०.४ करोड़ का रहा। तो वह ८१०.५ करोड़ से घट कर ६३०.४ करोड़ हो गया। लेकिन अब ४८-४९ की प्राइस के मुताबिक आप कहते हैं, उससे हिसाब लगाया तो उससे वह बताते हैं कि यह प्राइमरी प्रोडेक्शन जो ४८-४९ में ८१०.५ करोड़ था, वह इस वक्त ९५०.३ करोड़ हो गया है। १९४८-४९ में खेती-बाड़ी करने वालों की जो आमदनी थी उससे अब उनकी आमदनी में वृद्धि हो गयी है, यह उनका हिसाब है। इसमें थोड़ी बहुत, इधर-उधर गलती हो सकती है किन्तु करेन्ट प्राइस के मुताबिक सन् १९४८-४९ से अब ९५०.३ करोड़ है। तारीफ यह है कि यह खेती वाली प्राइस हमको बतायी गयी, लेकिन इसी चीज को जब हम देखते हैं

करेन्ट प्राइस में, और १९४८–४९ वाली प्राइस में, तो इन दोनों में काटेज इंडस्ट्री और हाउस प्रापर्टी में कोई अन्तर नहीं है। एक पाई का भी अन्तर नहीं है। वह बताते हैं कि काटेज इंडस्ट्री में ४८–४९ में १३४.७ करोड़ की आमदनी थी और वही आमदनी बराबर ५५ तक भी १३४.७ करोड़ की रही। यह तो है करेन्ट प्राइस की बात, और फिर जब हम देखते हैं ४८–४९ में तो उसमें वही फिगर हैं। तो फिर हमारी समझ में यह बात नहीं आती है तो फिर पढ़ने के लिये कहा जायं। परिपूर्णानन्द जी कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि वह हमको समझाने से पहले खुद समझने की कोशिश करें कि यह क्या बीमारी है? सब चीजों में घटा बढ़ी होती है, लेकिन ४८–४९ से कीमतों का असर क्या काटेज इंडस्ट्री पर नहीं पड़ा है? काटेज इंडस्ट्रीज की जितनी भी चीजें बनी हैं, उत्पादन हुआ है, उसकी कीमत में कोई घटाबढ़ी नहीं हुयी है। आप हमको क्या समझायेंगे, पहले खुद ही समझने की कोशिश कीजिये? तो यह फर्जी माली खुशहाली है, इसको छोड़ा जाय और जो असली माली खुशहाली है उसको बताया जाय। इस असेम्बली के सदस्यों को २०० रुपया मिलता है तो उनकी माली खुशहाली हुयी, चन्द आदमियों की खुशहाली हुयी लेकिन आम जनता की खुशहाली नहीं हुयी। उनको उसी कलम से जोड़ देना मुनासिब नहीं है। इस माली खुशहाली का नतीजा क्या होगा? यह होगा कि हम फर्जी कागज पर रहेंगे। मैं इस सिलसिले में मालगुजारी के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, परताल करना आपका काम है। और सब इस बात को जानते हैं कि आज उनकी माली खुशहाली कागज पर रहती है। वह गला घोट रहे हैं सारे देश का, वह मेहरबानी करके इस बात को समझ लें कि कागज दुरुस्त हो। वह भी कहते हैं कि कागज की दुरुस्ती होनी चाहिये। शर्मा जी को उसका नमूना भी दिखाया था। अब आप यह समझिये कि सुल्तानपुर में चकबंदी का काम हुआ, उसमें मुसाफिरखाना के अन्दर ३०० गांव हैं और उन गांवों के कुल ३,९२,२६२ नम्बर हैं। अब आप देखिये कि उनका हाल क्या है? ३,९२,२६२ नम्बरों में से २,९६,५२० गलतियां मिलीं! अब कैसी गलती निकलीं यह भी बताने की जरूरत है। १,४०,५५६ गलतियां निर्विवाद रहीं, और १,५५,९६४ गलतियां विवादास्पद रहीं। यह तो एक मुसाफिरखाना तहसील में ही गलतियां निकली। इससे ही जो रिकार्ड बनाये जा रहे हैं उनका अन्दाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अगर चकबंदी न हुयी होती तो यह कैसे पता चल सकता था कि कितनी गलतियां हुयीं? चकबंदी के सिलसिले में बरेली और मुजफ्फरनगर आदि में भी ऐसी ही गलतियां निकलीं। मालगुजारी विभाग को इस बात के लिये चौकस रहना चाहिये, और इसलिये हमें बुनियादी तौर पर सोचना होगा। कागजात के ऊपर भरोसा करना उचित नहीं है। कागजात का तो खुद मैं शिकार हुआ हूं, मैं नहीं जानता कि उसके लिये मुझे क्या करना पड़ेगा? यह मैंने उस दिन भी जिक्र किया था कि जब पड़ताल की जांच की गयी तो पाया गया कि ११ में से ८ गांवों की पड़ताल ही नहीं हुयी थी, और १३६२ की पड़ताल की बुनियाद पर ही तहसीलों को स्टेटमेंट भेज दिये गये और वहां से वह गवर्नमेंट को आ गये कि इतने मन फी एकड़ पैदावार हो गयी। इसी पर प्लानिंग कमीशन ने भी विचार कर लिया। ये सारे आंकड़े हमारे सामने भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जब कागजात को देखा जाता है तो मालूम होता है कि उनकी कोई पड़ताल ही नहीं हुयी है। यह ऐसी मूल चीज है जिसके ऊपर हमें अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।

तहसीलों का बुरा हाल है। पुराने जमींदारों को मुआविजा लेने में, किसानों को तकावी लेने में और कितने ही और कामों में तहसीलों की बुरी हालत है। हमें सोचना चाहिये कि हम उस बुराई से कैसे बचें? करप्शन की बात मैं नहीं कहता, वह तो न जाने कैसे हमारी जान छोड़ेगा। पंचायतों के सिलसिले में भी मैं जरूर कहूंगा। पंचायतों से मदद मिल सकती है। उनके चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के विषय में बहुत सी बातें हैं जिनका मैं पूरा ज्ञान नहीं रखता लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि हमारी यह इच्छा जरूर थी कि चुनाव शांतिपूर्वक हों। दूसरे लोगों की तरफ से गलतियां हुयीं जिनके बारे में बहुत से भाई जो यहां बैठे हुये हैं, आपको बतायेंगे, लेकिन आज सवाल यह है कि इन न्याय पंचायतों का क्या हो? उनके सिलसिले में मैं

[श्री गेंदासिंह]

यह कहना चाहता हूं कि हमारे देश में जुडीशियरी की बहुत प्रतिष्ठा रही है। हमारे देश की जुडीशियरी की इंटीग्रिटी सदैव ही उच्च रही है, और मैं समझता हूं कि बड़ी ईमानदार और मजबूत जुडीशियरी की आवश्यकता है। मैं यह भी समझता हूं कि न्याय पंचायतों को भी जुडीशियरी के मातहत होना चाहिये और उनका कार्य शासन से अलहदा होना चाहिये। और दस बरस के लिये जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसको हमें याद रखना चाहिये कि जुडिशियरीको एक्जीक्यूटिव से अलहदा रखना चाहिये। मद्रास और बाम्बे ने ऐसा किया है, लेकिन हमारी सरकार ने जो कुछ किया है वह आधे दिल से किया है और आज भी हमारे यहां मैजिस्ट्रेट्स, कलेक्टर के अधीन हैं। उनको हम छूट नहीं दे पाये हैं और उनको हाईकोर्ट के अधीन नहीं कर पाये हैं। मैं समझता हूं कि जुडीशियरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिये। श्रीमन्, मैं आपको भी इस सरकार से बिलकुल इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूं। आपको सब पार्टियों का विश्वासपात्र होना चाहिये, और इसलिये सरकार इसमें भी अपना हाथ न डाले। और वह हाथ डालेगी भीतर से भी, बाहर से भी, लेकिन दुनियां कम से कम समझती रहे कि कम से कम हाथ डालने का मौका रह गया है, और दुनियां को विश्वास हो जाय कि कम से कम जुडीशियरी और लेजिस्लेचर आजाद हैं और वह किसी एग्जिक्यूटिव पावर के मातहत नहीं हैं, बल्कि एग्जिक्यूटिव लेजिस्लेचर के हुकुम की तामील करता है। इस चीज को यहां भी करने की जरूरत है। अगर बम्बई और मद्रास जुडीशियरी को शासन से अलग कर सकता है तो मैं बराबर तीन चार साल से कहता आ रहा हूं, और आज फिर दोहराता हूं कि सरकार को उसे यहां भी जल्द से जल्द अलग कर देना चाहिये, और मद्रास ने तो यह कदम उस वक्त उठाया था जबकि वहां आग लगी हुयी थी और हमारे यहां तो आज शांतिपूर्वक काम चल रहा है, तब तो और भी जल्दी आसानी से उसको अलग किया जा सकता है।

पंचायतों के बारे में मैं एक बात जरूर कहूंगा, और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वह जरा दूसरे सूबों का भी ज्ञान करायें और जरा ध्यान दें कि वहां क्या हो रहा है? मैं उनको सौराष्ट्र का ही बताता हूं कि वहां पर जब हमारे कांग्रेस के प्रेसीडेंट धेबर जी चीफ मिनिस्टर थे तो उनके जमाने में ही वहां मालगुजारी का २५ प्रतिशत भाग पंचायतों को मिला था। जब इतने छोटे सूबे अपना कुछ भाग पंचायतों को दे सकते हैं मालगुजारी का तो हमें क्यों न देना चाहिये? टेक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन कहता है कि मालगुजारी का १५ प्रतिशत भाग पंचायतों को दे दो यदि उसको अपने शासन की इकाई बनाना है, और पंचायतों को कायम रखना है तो हमें उसको मानना चाहिये। अगर उनको निकम्मा बनाना है तो उन से कहा जाय कि भूखे मर कर काम चलाओ, या उनको गांव वालों की गालियां खाने दो और सुनने दो कि टैक्स बढ़ाते चले जाते हैं। जो जाता है उन से टैक्स वसूल करने को ही जाता है कोई देने को नहीं जाता। अगर दूसरे सूबे दे रहे हैं और आप से छोटे सूबे दे रहे हैं तो हमारा सूबा ही क्यों पीछे है? हमारी सरकार खुद कहती है कि हमारी पंचायतें अच्छी हैं और अच्छा काम हुआ है तो उनको जरूर पैसा मिलना चाहिये। हमने आशा की थी कि इस बजट में उनको जरूर कुछ प्रतिशत दिया जायगा लेकिन जब इस बजट में हमने कुछ नहीं पाया तो बड़ी निराशा हुयी।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया के सम्बन्ध में मैं एक बात जरूर कहूंगा। उनके काम में हस्तक्षेप करने की बात बराबर बढ़ रही है, मेहरबानी कर के जो इन्टरफीयरेन्स बढ़ रहा है वह कम किया जाना चाहिये और उनको आजाद रहने देना चाहिये। आप ने देखा होगा कि पंचायतों के चुनाव में पार्टियों ने फैसला कर लिया था कि हम नहीं लड़ेंगे, हम सोचते हैं कि इन लोकल बाडीज को पार्टी पालिटिक्स से अछूता ही रहने दिया जाय तो अच्छी बात होगी; और फिर शायद काम भी वहां ठीक ढंग से चल सकेगा। शुरुआत इसकी पंचायतों से हो ही गयी है, शायद ही कहीं किसी ने दिलचस्पी ली हो तो वह व्यक्तिगत तौर पर किसी ने ली हो, और हमें खुशी है कि किसी पार्टी ने उसमें पार्टी के तौर पर भाग नहीं लिया। और यह बात निश्चित है कि पहले से अच्छी पंचायतें बनी रहेंगी, ऐसी मैं आशा करता हूं और मेरी शुभ कामना है।

शिक्षा के सम्बन्ध में मैं आप से जरूर निवेदन करूं कि मैं उम्मीद करता था कि पणिक्कर साहब के नोट आफ डिसेंट के बाद उत्तर प्रदेश किसी दूसरे सूबे से इस क्षेत्र में पिछड़ेगा नहीं। माननीय उप-मंत्री जी बैठे हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आज भी हिन्दुस्तान के कई प्रदेशों से हम पीछे हैं, और शायद अगली पंचवर्षीय योजना के बाद भी पीछे ही रहेंगे। आप ने कुछ रियायतें दीं लेकिन उनसे क्या होगा ?

अब ट्रावन्कोर कोचीन को ले लीजिये। वहां हाई स्कूल तक एजूकेशन फ्री और कम्पलसरी है। दूसरे सूबों में भी ऐसी बात है, अभी कल ही मध्य प्रदेश ने कर दिया है। अगर हमारी याददाश्त काम देती हो तो उसने मिडिल स्कूल तक फ्री और कम्पलसरी कर दिया। उनका भी डेफिसिट बजट है लेकिन डेफिसिट बजट के रहते हुये भी उन्होंने कर दिया। दूसरे सूबों में भी कुछ हुआ है जिसका मुझे ज्ञान नहीं है। सूबों की बात रहने भी दिया जाय तो हमारे डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कहा गया है कि दस वर्ष के भीतर १४ वर्ष के लड़कों की शिक्षा कम्पलसरी और फ्री होनी चाहिये। क्या वह हमारे सामने है या नहीं ? अगर हम ६१ तक उसको न कर पायें, जिस दिन से कांस्टीट्यूशन चला उसके १० वर्ष के अन्दर यह काम पूरा हो जाना चाहिये, तो कैसे होगा ? इस साल आधी फीस प्राइमरी की माफ कर दी है और उसमें १५ लाख रुपया खर्च होना है लेकिन जितना काम हमारी सरकार करती है, अच्छा काम भी करती है, तो उसको भी कुछ ऐसा बिगाड़ कर करती है जिसमें उसे सुर्खी में न कहा जा सके। पूरा फ्री करने से १५ लाख और लगता। कहीं से करते, ९ करोड़ ५५ लाख का डेफीसिट दिखाया है, आपने उसकी जगह ९ करोड़ ७० लाख का डेफिसिट हो जाता। लेकिन फ्री प्राइमरी एजूकेशन तो हो जाता। कहीं से, किसी तरह से भी उसको कम करके खर्च को घटा बढ़ा कर उसको जरूर कर देना चाहिये। काश्मीर में यूनिवर्सिटी एजूकेशन तक फ्री है लेकिन उसकी बात मैं नहीं कहूंगा। ट्रावन्कोर कोचीन की नकल करें।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—काश्मीर भी तो हिन्दुस्तान में है।

श्री गेंदा सिंह—ठीक है, वहां की विशेष परिस्थिति है, इसलिये मैं उसकी चर्चा नहीं करता लेकिन ऐसा सोचता हूं कि हमें दूसरे सूबों से अपनी तुलना करनी चाहिये। मैं यूगोस्लाविया, चीन, जापान या अमेरिका नहीं जाना चाहता। अपने घर की बात कहता हूं, बाहर की नहीं। तो हमें प्राइमरी शिक्षा फ्री और कम्पलसरी नहीं मिलती जो डिमोक्रेसी की रीढ़ है। आगे की शिक्षा की बात क्या कहूं? हमारे बुजुर्ग कहते हैं विद्यार्थी नालायक हुये चले जा रहे हैं। जब पंडित जवाहर लाल जी जैसा आदमी दक्षिण भारत में जाकर कहे कि उत्तर भारत की यूनिवर्सिटियों के विद्यार्थी तो नालायक हो गये, तो अब मैं क्या कहूं। यह बात तो गलत नहीं होगी, क्योंकि उन जैसे व्यक्ति ने यह कहा है कि उत्तर भारत के यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इनडिसिप्लिन्ड हुये जा रहे हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि एक रात पहले तो वही यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी इनडिसिप्लिन्ड है और दूसरे पब्लिक सरविस कमीशन के जरिये से आई०सी०एस० और पी०सी०एस० में आ जाने के बाद वह मोस्ट डिसिप्लिन्ड मैन हो जाता है ! यह रात भर में कैसे बदलता है, मेरी समझ में नहीं आता ?

नियोजन मंत्री के सभासचिव (श्री बनारसी दास)—कलेक्टिव और इंडिविजुअल व्यवहार का फर्क है।

श्री गेंदासिंह—ठीक है, अगर यह बात भी कह दी गयी होती तो अच्छी बात होती कि आई०सी०एस० और पी०सी०एस० में जाने वालों को छोड़ बाकी सब इंडिसिप्लिन्ड होते हैं। लेकिन मैं इतना समझदार तो नहीं हूं। मैं तो जवाहरलाल जी जैसी भाषा बोलते हैं उसको सीधे-सीधे समझता हूं, बारीकी की भाषा तो ग्रामवासी जी और बनारसीदास जी जानते होंगे। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत के विद्यार्थी इंडिसिप्लिन्ड होते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि इनडिसिप्लिन्ड हो रहे हैं, और अगर ये डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं तो किसी वजह से हो रहे हैं ? हमारी वजह से, अगर हम बैठे होते उस तरफ तो हमको कहते यह शोभा देता, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं क्या बतलाऊं दया आती है हमें उन भाइयों के ऊपर, सारे काम जो अच्छे होते हैं तो उनकी वजह

[श्री गेंदासिंह]

से होते हैं, और नागवार बात हो गयी तो हमारी वजह से। यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी मानो हमारे हाथ में हो। (एक आवाज—एक घड़ा दूध ही काफी है) मैं भी यह समझता हूं कि एक ही घड़े दूध से यूनिवर्सिटी खराब हुयी है। एक ही आदमी है, उसकी चर्चा करना मुनासिब नहीं है, मर्यादा को ध्यान में रख कर मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन जो रोज-रोज डिसिप्लिन-डिसिप्लिन चिल्लाता है, उसी आदमी की वजह से मोस्ट इनडिसिप्लिन कहने की बात आती है, ऐसी मेरी धारणा है। यूनिवर्सिटी बहुत दिनों से है। क्यों नहीं यूनिवर्सिटी के इतने लोग इनडिसिप्लिन्ड हुये ? मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जब जवाहरलाल जी ने ऐसा कहा तो यू० पी० के नेताओं को इसका विरोध करना चाहिये, इसको बर्दाशत नहीं करना चाहिये और उनको समझाना चाहिये कि ऐसी बात मेहरबानी करके आप न कहा करें।

शिक्षा के सिलसिले में यह कहूंगा कि शिक्षा आंख मूंद कर न चलायी जाय। शिक्षा ऐसी दिलाई जाय जिससे रोटी चल सके, मुल्क का काम हो सके। यह भी सही है कि अभी आंख मूंद कर शिक्षा दी जा रही है। बहुत सी कमेटियां सेंट्रल गवर्नमेंट की बैठीं लेकिन उन कमेटियों से कितना काम हो सका, कितना एम्पलायमेंट बढ़ सका यह सोचने की बात है।

मैं कोआपरेटिव के सिलसिले में, जिसके लिये वित्त मंत्री जी ने यह कहा कि अगुआ है समाजवाद का, उसको पवित्र रखने की तरफ सरकार का ध्यान दिलाऊंगा। कोआपरेटिव इत्तिफाक से वित्त मंत्री जी का ही विभाग है। अव्वल तो कोआपरेटिव के लोगों को कोआपरेटिव मूड रखना चाहिये, सहयोगी मुद्रा उनकी होनी चाहिये। लेकिन हम अपने कोआपरेटिव डिपार्टमेंट में वह कोआपरेटिव मुद्रा कुछ कम पाते हैं। वह इतनी दूर रहना चाहते हैं कि फिर उसको सहयोग कहना जरा कठिन होता है। फिर भी मेरी अपनी यह प्रार्थना है कि यह विभाग सहयोगी मुद्रा में रहे। यहां आवश्यकता नहीं है कि इस पर बहुत रोशनी डाली जाय, लेकिन यह जरूर चाहता हूं कि कोआपरेटिव से करप्शन का विशेष सम्बन्ध है। कोआपरेटिव में कंज्यूमर्स सोसायटीज हैं, अब तो उनका जमाना नहीं रहा। लेकिन कंज्यूमर्स को इन कंज्यूमर्स सोसाइटीज से बहुत शिकायत है। मैं भी कोआपरेटिव का समर्थक हूं और चाहता हूं कि कोआपरेटिव तरक्की करें, जनता में उनकी प्रसिद्धि बढ़े, जनता में अच्छी समझी जायं और ईमानदार समझी जायं। जब तक कोई रिश्वत न दे तब तक कर्जा नहीं मिलेगा, ऐसा न हो। इतनी बात जरूर कह दूं कि तकावी देने वालों से कम लेते हैं। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट तकावी देता है उससे वह कम जरूर वसूल करता है, यह चाहे क्रेडिट की बात हो लेकिन मैं आज इस बात की वकालत करना चाहता हूं कि जो भी तकावी बांटी जाय, जनता को कर्जा देनेकी बात कही जाय, वह सब कोआपरेटिव डिपार्टमेंट के जरिये किया जाय, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से ताल्लुक छुड़ाया जाय, क्योंकि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से कर्जा लेनें में एक परसेंट जरूर देना पड़ता है। मैं वित्त मंत्री जी से, शर्मा जी से और खास कर इस वक्त हैं नहीं, चरणसिंह जी से कहना चाहूंगा कि वे चलें हमारे साथ देख लें, यह बात होती है या नहीं ? कोआपरेटिव से किसानों को कर्जा देने का जो मसला है वह हल नहीं हो पाता है। जो कर्जा देते हैं, जितनी जरूरत है किसानों को, उसका ५ फीसदी देते हैं। ५ फीसदी देने से काम नहीं चलता। गांवों का क्रेडिट सिस्टम खत्म हो गया। हम चाहते हैं कि कोआपरेटिव अपने आप तरक्की करे। अगर तरक्की करे तो हम भी डायरेक्टर बनते हैं, सदस्य होते हैं। जब नीचे के लोग कहते हैं कि सुपरवाइजर तुम्हारा रिश्वत लेता है तो हम उसे डिफेंड करते हैं। घर का झगड़ा है इसलिये उनको पवित्र बनाये रखने की कोशिश करते हैं। गन्ने का कारोबार भी वे करते हैं। इसको भी पवित्र बनाये रखना चाहिये। सबसिडी की रकम किसानों के पास, गन्ना बेचने वालों के पास पहुंचनी चाहिये। सबसिडी की रकम बीच में जो सरकार देती है अच्छा गन्ना बोने के लिये वह रकम बहुत गड़बड़ में चली जाती है।

सेविंग्स और टैक्स के सिलसिले में मैं अर्ज कर दूं। इसके पहले दो चार बातें और कह दूं। हमारे इस हाउस में शेडयूल्ड कास्ट, अछूत भाइयों और बैकवर्ड कम्युनिटी की तरफ से चर्चा

हुआ करती है, कभी प्रश्न हुआ करते हैं कि हमारी संख्या के मुताबिक जो नौकरी में अनुपात होना चाहिये वह नहीं है। इसका उत्तर जो सरकार की तरफ से मिलता है मुझे सुनने का अवसर मिलता है। मुझे उस उत्तर से संतोष कभी नहीं होता, मुझे तकलीफ होती है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी इस बात को कहता हूं कि देश का स्वराज्य जो देश में आया हुआ है उसका सबसे अधिक सुख उस आदमी के पास जाना चाहिये जिसने पुश्तों और दरपुश्तों से तकलीफ उठायी है। हमें थोड़ा उदार बनना चाहिये। मैं मानता हूं कि उस तरह से जो एक परिभाषा है किसी बिरादरी में होने से कोई आदमी किसी चीज का हकदार हो जाता है वह तो मेरी राय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिस बिरादरी में ज्यादातर लोग दरिद्र हों, उस दरिद्रता के नाम पर मांगना पाप नहीं है। आज मैं समझता हूं कि बैकवर्ड कम्युनिटी में या अछूतों में—मैं अछूत कहना नहीं चाहता लेकिन नाम है इसलिये कह दिया—हरिजन भाइयों में जो लोग उम्मीदवार हैं ऐसे भी पहुंच जायं जो दूसरों के मुकाबिले में कम्पटीशन में कुछ कम जानकारी रखते हों तो उन्हें सुविधा देनी चाहिये।

एक सदस्य—कितनी कम ?

श्री गेंदा सिंह—पैमाना तो मेरे पास नहीं है। फिर विचार कर लेंगे लेकिन मेरी राय है कि उसको करना चाहिये जिसकी बदौलत वे यह समझें कि शासन में हमारी संख्या पूरी होती है। बड़ी ईर्ष्या होती है, उसको दबाना चाहिये। हरिजन भाइयों के लिये खासतौर से मैं पानी की बात कहना चाहता हूं। हमारे सिंचाई मंत्री जी इस समय मौजूद हैं। मुझे जब कहीं-कहीं सुनने को मिलता है कि डोम को पानी खरीद करके अपने गांव में पीना पड़ता है, ऐसे गांव भी हैं जहां पर डोम जब कुछ देता है, पैसा देता है या बनाकर दौरी या डलिया देता है तो उसको पानी देते हैं। अगर ऐसे गांव पूछेंगे तो बतला दूंगा। वह बदकिस्मत गांव मालूम नहीं और जगह हैं या नहीं, लेकिन हमारे यहां हैं। हर यत्न करने के बाद भी हम न उनके लिये नल लगवा पायें, न वह बीमारी दूर कर पायें मैं ऐसा सोचता हूं कि एक प्रोग्राम बनना चाहिये। उस प्रोग्राम के मुताबिक कम से कम इस बात का बन्दोबस्त कर देना चाहिये कि हरिजनों को पानी पीने की दिक्कत नहीं रहेगी। जो आज कुयें बनवाने का बन्दोबस्त है उसमें आधा देना पड़ता है। वह आधा दे नहीं पाता। अगर उसके पास खेत है तो थोड़ा है बचा नहीं सकता। बगैर बचाये कुआं बनवाये कहां से ? हाथ से मेहनत कर सकता है। लेकिन वही काफी नहीं है। इसलिये सरकार को सोचना चाहिये कि कम से कम उनको पानी तो मुहैया कर दिया जाय। पानी की पहाड़ में भी बड़ी दिक्कत है, जहां भी पानी की व्यवस्था नहीं है, मैं सारे सूबे के लिये कहता हूं, कम से कम इस आवश्यकता को तो सरकार पूरा कर दे। अनाज वाली बात भाग्य ही पर छोड़ता हूं।

मैं इसकी शिकायत तो नहीं करना चाहता हूं कि हमारा बजट जो है वह क्यों डेफिसिट आया। शिकायत एक ही करूंगा और वह यह करूंगा कि आपको अगर डेफिसिट बजट लाना ही था तो कुछ जो जरूरी काम थे, उन कामों को क्यों नहीं जोड़ा जिनका कुछ जिक्र सरकार ने किया है। मैं आपसे निवेदन करूं कि डेफिसिट बजट जो बजट अभी तक पेश हुये हैं सारे देश में बम्बई को छोड़ कर, बिहार ने तो बहुत भारी डेफिसिट का बजट पेश किया, २९ करोड़ के करीब डेफिसिट है। १४ करोड़ का डेफिसिट बंगाल का है। मध्य प्रदेश का भी डेफिसिट है। डेफिसिट फाइनेंसिंग से घबराता जरूर हूं। लेकिन घबराने के साथ-साथ मैं सोचता जरूर हूं कि अगर हम को देश की तरक्की करनी है तो हम को डेफिसिट फाइनेंस को मीट करना पड़ेगा। टैक्सों से भी मैं नहीं घबराता हूं। टैक्स को भी मैं कोई पाप नहीं समझता हूं। इतना जरूर सोचता हूं कि आये कहां से? इसीलिये इतना वक्त खराब किया कि बतलाऊं कि मुल्क में किन लोगों की हालत अच्छी है। मैं कहना चाहता हूं हाफिज जी से, बुजुर्ग हैं, आपके ऊपर एक्सपेंडीचर टैक्स लगना चाहिये। आप जितना भी पैसा पाते हैं इसमें से कराची कांग्रेस के मुताबिक पांच सौ रुपया छोड़ कर बाकी सारा रुपया सेविंग में जाना चाहिये। पांच सौ रुपये से ज्यादा खर्च नहीं करना चाहिये किसी मिनिस्टर को। फिर उसके बाद सारे मुल्क को कहा जा सकता है कि त्याग

[श्री गेंदा सिंह]

करो, त्याग करेंगे। हम यह कहते हैं कि त्याग हमारे मुल्क के लोगों ने किया है। तारीफ से पन्ने भरे पड़े हुये हैं। जिस समय श्रमदान की चर्चा हुयी उस वक्त कहां की जनता ने इन्कार किया, जिसके पास खाने को नहीं था वह मिट्टी ढोने को, पत्थर तोड़ने को, सड़क बनाने को हजारों लाखों की तादाद में आये। कहां हुकुम टाला उन्होंने, नहीं टाला। स्माल सेविंग में आपसे निवेदन करूं कि जो छोटे लोग हैं, स्माल होल्डिंग वाले लोग हैं उन्होंने भी तो दिया होगा, कभी इन्कार नहीं किया। लेकिन मैं पूंछना चाहता हूं कि बड़े लोगों ने क्या दिया? घर से शुरू हो दान और घर से अगर दान शुरू हो तो काम चल जाय। क्या जरूरत है, थोड़ी सी बात सख्त है, लेकिन मैं समझता हूं नहीं जरूरत है ३० हजार की कार की किसी मिनिस्टर को कि उसको दूसरे वर्ष बदलना चाहिये। नहीं जरूरत है उस कार को बदलने की राज्यपाल की जो कि हमारी स्टेट के सिम्बल हैं। उसके बदलने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं आपसे निवेदन करूं कि कैपेसिटी पर आप टैक्स लें। हुकूमत लोगों को इस तरह की तरजीह दे सकती है, कानून बना सकती है कि वे बचावें क्यों नहीं? यह कानून बनाया जा सकता है कि एक आदमी २००, ३०० रुपये से ज्यादा खर्च नहीं कर सकता। ऐसा कानून बनाने में क्या दिक्कत है? कौन डाइरेक्टिव प्रिंसिपल में झगड़ा पड़ जायगा? कांस्टीट्यूशन कोई चैलेन्ज तो नहीं कर देगा, कतई नहीं करेगा। कानून बनाया जाय और बना कर यह कहा जाय कि इतने रुपये से ज्यादा महीने में खर्च नहीं कर सकते। कोई मुल्क जो अन्डर डेवलप्ड है वह तरक्की नहीं कर सकता जबतक कि अपने कनज्यूम करने की, अपनी लक्जरी को वह कम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं लक्जरी को कम कराया जाता। तीन हजार रुपया पाने वाला जो मुलाजिम है उसको क्या हुक्म है कि वह तीन हजार खर्च कर दे। हम तो कानफिस्केट करने की बात नहीं करते। हम तो सिर्फ इनवेस्ट करने की बात कहते हैं। तो इस देश का कल्याण होगा, उन्हीं के नाम से बैंक में रहेगा, लेकिन मुल्क का भला हो। तो इस तरह से डेफिसिट फाइनेंसिंग को मीट किया जाय। इधर मत सोचिये कि हम ऐक्साइज ड्यूटी बढ़वावें, गन्ने पर, कपड़े पर बढ़वावें। उसका असर तो आम जनता पर पड़ेगा। डेफिसिट फाइनेंसिंग को मीट करने का यह तरीका हो कि हम अपने खर्चे को कम करें और इस तरह से काम चलावें। इस वक्त पैसा किसके पास जा रहा है? पैसा किसान के पास थोड़े ही है। जो छोटे मजदूर हैं उनके पास थोड़े ही है। जो १०० रु० तनख्वाह पाता है उससे तो कुछ न कहा जाय लेकिन इससे ऊपर वालों की तो सुध ली जाय और मैं कहता हूं सुध लेना उस तरह से नहीं बल्कि उनको मजबूर किया जाय कि वे पैसा बचावें और फिर उस रुपये से देश की तरक्की करें। उससे देश का अगर डेवलपमेंट होगा तो उससे सूद मिलेगा। इसमें कोई पाप की बात नहीं। हां यह सब सोच विचार कर करना होगा, अभी तो मैं सुझाव ही दे रहा हूं। हां, यह जरूर करेंगे कि श्री बालेन्दुशाह का अगर एक ही कोट से काम चल जाय साल भर के लिये तो दूसरा कोट नहीं बनने देंगे। किसी मुल्क को आप ले लीजिये जहां कहीं भी तरक्की की बात हो वहां यह करना पड़ता है। तो इस तरह से डेफिसिट फाइनेंसिंग को मीट किया जाय।

अब मैं सेल्स टैक्स को लेता हूं। सेल्स टैक्स बढ़ाने की बात सोचते हैं। सेल्स टैक्स तो परचेज टैक्स है। सेल्स टैक्स किस पर बढ़ायेंगे? उसे इतना मत बढ़ाइये कि खरीदार जो है वह खरीद ही न सके और खरीदने वाला आदमी यदि किसी ऐसी चीज को खरीदना चाहे जो रोज की जरूरत की है, उस पर सेल्स टैक्स अगर आप बढ़ा दें तो हमारी परचेजिंग कपेसिटी यों ही गिरी हुई है फिर कोई नहीं खरीदने जायंगे और अगर नहीं खरीदेंगे तो वह सामान वहां पड़ा रहेगा। फिर वहां भी तो नुक्सान होने वाला है। इसलिये ऐसे मालों पर सेल्स टैक्स बढ़ाने की कोशिश की जाय जो सचमुच लग्जरी में आते हैं। क्या जरूरत है कि ये लोग ३०, ३० हजार रुपये की मोटर खरीदते हैं। ये जो हमारे सरकारी अफसर लोग हैं उनसे भी मैं कहूं कि अगर रिक्से पर चले आवो तो क्या हो जायगा? हमारे भाई तो लोट रहे हैं जमीन में, भूखे हैं, खाने को भी नहीं है। तो मालूम नहीं कहां की प्रतिष्ठा लिए हुए हो कि ३० हजार से कम की कार में चलेंगे तो प्रतिष्ठा कम हो जायगी। अरे, प्रतिष्ठा कम हो

जायगी इससे कि जो भूखों मर रहे हैं हमारे भाई उनका इन्तजाम अगर नहीं होता है तब आज शासन है तुम्हारे हाथ में। तो उन्हें तो कम से कम ऐसा बना दो कि वह लौटते न फिरें धूल में तो फिर प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मैं बहुत ही आग्रहपूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आप के हाथ में आज शासन है, आपको मिला हुआ है यह बल कि आप इस मोटर में कटौती कर सकते हैं, आप अपने खर्चे में कटौती कर सकते हैं। आप चुनाव के खर्चे को भी कम कर सकते हैं अगर यह सब कर दिया आपने। ये सब लोग कम कम खर्चे में लड़ लेंगे चुनाव। लेकिन जब मोटर की चमक-दमक चलती है तो उस चमक-दमक में फिर साइकिल का क्या ठिकाना? फिर उसमें जीप चाहिये और १३ हजार से कम की नहीं चाहिये। इसलिये चुनाव भी महंगा पड़ता है। और मैं खतरा बता दूं उपाध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह से चुनाव खर्चीले रहे तो बड़ा मुश्किल है और इसी तरह से लोग ऊंचे नीचे धन के रहे तो किसकी ईमानदारी बरकरार रह जायगी, यह भगवान ही जानें क्योंकि अगर चुनाव जीतना है तो इंडस्ट्रियलिस्ट के घर जाना ही पड़ेगा। तो इतनी विषमता से कभी डेमोक्रेसी पनप नहीं सकती। इस विषमता से जम्हूरी हुकूमत मर जायगी। इस विषमता को दूर करने के लिये हमने पिछले वर्ष के बजट में देखा था कि दो रुपये अगर चपरासियों को मिले थे तो हमने उसकी तारीफ़ की थी लेकिन इस बजट में वह सूरत भी कहीं नहीं दिखाई दी। अगर वह दो रुपये से चार रुपये इस बार हुई होती और हमारे ऊंचे भाई अगर कुछ हमारे नजदीक आये होते तो हमें संतोष होता।

लोग कहते हैं कि हमारी अंग्रेजी हुकूमत ने मुआहिदा कर दिया है इसलिये हमारे सरकारी अफसर उस मुआहिदे को ले कर के छाती से चिपकाये हुये हैं। मैं कहता हूं कि उस अंग्रेजी मुआहिदे को फेंको, जला दो उस अंग्रेजी मुआहिदे को। अरे, मुआहिदा अगर हो तो उस हिन्दुस्तान की निर्धन जनता से जिसके करों से आज हम यहां बैठ कर के सुख भोग रहे हैं, उस मुआहिदे को देखो। उस मुआहिदे को अलग कर के आज यह तीन हजार रुपये की तनख्वाहें और आज जो यह डिस्पेरिटी है, इतनी विषमता है, इसको दूर कर के धीरे-धीरे नजदीक आओ और नजदीक आकर के फिर हम दोनों एक हो सकते हैं। आज आपस में इतनी दूरी है कि वह आदमी बहुत दूर समझता है, उसको ईर्ष्या होती है, डाह होती है और उस ईर्ष्या और डाह के शिकार हम होना नहीं चाहते। वह ईर्ष्या, डाह रोकी जाय। कैसे रोकी जा सकती है? क्या यही तरीका है? इतनी विषमता रहते हुए क्या ईर्ष्या कम हो सकती है? सर्विसेज को हम चाहते हैं कि वह पवित्र बनी रहें। सिविल सर्विसेज का डेमोक्रेसी में बड़ा ऊंचा स्थान है। हम पांच वर्ष में बदल जायंगे लेकिन सिविल सर्विस में एक मरतबे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने आये और अगर उनका आचरण ठीक रहा तो ५५ वर्ष की उम्र तक तो उन्हें कोई हटा नहीं सकता। हमारा टेस्ट दूसरा है, सिविल सर्विस का टेस्ट दूसरा है इसलिये जो लोग चुने जाने वाले हैं उनकी सारी बातों को अगर वह उसी नजर से देखेंगे तो फिर डेमोक्रेसी सही रूप में नहीं चल सकती। हम मानते हैं कि किसी मिनिस्टर की यह ख्वाहिश हो सकती है कि हमारे अपोजीशन में जो लोग हैं वह एक आदमी भी जीत कर के न आयें, किसी मिनिस्टर की ख्वाहिश हो सकती है कि एक आदमी भी अपोजीशन का न आने पावे। होगी ख्वाहिश, लेकिन अगर सिविल सर्विस वाले भी यही काम सोचने लगें तो क्या होगा। मैं गवर्नमेंट से भी इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हम सन् १९४७ में बदल जायंगे, मुमकिन है कि मौजूदा वित्त मंत्री जी फिर वित्त मंत्री जी न रहें। (एक सदस्य— ऐसा नहीं होगा) बड़े अफसोस की बात है कि डेमोक्रेसी में हमारे दोस्तों का विश्वास नहीं है। आखिर एलेक्टोरेट के सामने जाना है अगले वर्ष या नहीं? कौन जानता है कि एलेक्टोरेट क्या करेगा? फिर सामने बैठे हैं वित्त मंत्री जी इसलिये मैंने कह दिया। मैं ही न रहूं, अब इतनी सेल्फ़ कम्पलेसेन्सी की चर्चा मैं नहीं करना चाहता था लेकिन कह दूं बलवन्त सिंह जी को कि यह सेल्फ कम्प्लेसेन्सी है। आप ने इधर ५ चुनाव देखे, ये बैठे हैं हमारे साथी। आप लोगों में से कोई विश्वास करता था कि ये आ पायेंगे। तो मैं यह कहता हूं कि यह सेल्फ कम्प्लेसेन्सी की हद है। बात बढ़ जायगी मैं छोड़ देता हूं इस चर्चा को। मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि कल हम न आयें या वह न आयें लेकिन ये जो सिविल सर्विसेज हैं, ये सरकार तो आज

[श्री गेंदा सिंह]

मालिक हो सकती है, लेकिन कुछ दिन के बाद ये मालिक बन जायेंगे, ये रिटर्निंग आफिसर होंगे, चुनाव आफ़िसर होंगे, मालूम नहीं क्या-क्या होंगे ? हम चाहते हैं कि ये ईमानदार बने रहें। लेकिन उस एंटोग्रेटी के बदले में हम कतई नहीं चाहते कि तीन हजार रुपये की तनख्वाह का वादा करें। हमारा जो सब से बड़ा मास्टर था वह सिखला गया कि रुपये से एंटोग्रेटी नहीं होती है। हम हिन्दुस्तान की सर्विसेज को ईमानदार देखना चाहते हैं। हम इंगलैंड की सिविल सर्विसेज की बड़ी तारीफ़ सुनते हैं लेकिन उनसे आगे हम हिन्दुस्तान की सर्विसेज को ले जाने की बात सोचते हैं। अगर हिन्दुस्तान की डेमोक्रेसी को बोर्जुआ डेमोक्रेसी से आगे जाना है तो सिविल सर्विसेज को भी आगे जाना है। अब मैं अपने मंत्री महोदयों से निवेदन करूं कि आप ही उनको ईमानदार रख सकते हैं। आप अपनी छाती पर पत्थर रख कर सिविल सर्विसेज को ईमानदार बनायें।

श्री कमलापति त्रिपाठी—आज प्रातःकाल से एक मंत्री के बाद दूसरे की मौत क्यों मना रहे हैं ?

श्री गेंदा सिंह—मैं मंत्रियों में से किसी को दफनाने को नहीं मनाता हूं। हमारी बदक़िस्मती है कि जिन लोगों को हम दफना आये हैं उन्हीं को रो रहे हैं। हम इनमें से एक को नहीं चाहते हैं कि कोई मरे। हम सत्य चाहते हैं कि हमारे बीच में ये जीवित रहें और हम भी अगर उन सीटों पर बैठ सकें—अब आप झट कहियेगा कि तुम वहां नहीं बैठ सकोगे—लेकिन अगर हम बैठ सकें और हमारे बुजुर्गवार हाफिज जी जैसे आदमी इधर बैठ कर हमें अपोज कर सकें तो वह हुकूमत कितनी काबलियत के साथ चलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि हमने बहुत सोच विचार कर इन तीन, चार वर्षों में बातें कहीं लेकिन हमेशा उत्तर उधर से यह मिलता है कि तुम्हारी बात मानने लायक होती ही नहीं है। हम भी सोचने लगते हैं कि चार वर्षों में सैकड़ों बातें हमने कहीं लेकिन एक बात भी ऐसी नहीं कही जो मानने लायक हो, तो ऐसी हालत में सोचते हम यह हैं कि या तो हम ही नालायक हैं या गवर्नमेंट नहीं सोचती। मैं समझता हूं कि हमारे बुजुर्गवार मलखान सिंह जी ने तो कई बार सही बातें इधर से कही हैं। अब वह सही बात को उधर से मनवायें तो कभी-कभी तो सरकार को इस फरागदिली से अच्छी बात को कबूल करना चाहिये और मैं समझता हूं कि यह मौका है जिसमें सरकार फरागदिली दिखा सकती है। आज जितनी ताकत सरकार के पास है शायद ही किसी सरकार के पास इतनी ताकत आये जो आगे बनेगी। यदि आपकी भी सरकार बनेगी तो उसको भी इतनी ताक़त नहीं मिल पायेगी। यह सारा शून्य नहीं रहेगा, यह भरेगा और तभी यह हुकूमत कामयाबी के साथ चल पायेगी। नहीं चल नहीं पायेगी यह तभी कामयाब होगी जब बेंचेज भरी हों और कशमकश रहे और आप भी जनता की खिदमत के लिये दौड़ें और हम भी जनता की खिदमत के लिये दौड़ें तब जनता का कल्याण होगा।

अन्त में मैं एक बात और कह देना चाहता हूं कि मैं जानबूझ कर करप्शन की बात नहीं कहता हूं। यह एक ऐसी चीज है जिसको मैं भी नहीं समझ पाता हूं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाय ? मैंने कोशिश की कि देख आऊं कहां करप्शन नहीं है लेकिन वह जगह मुझे दिखाई नहीं दी। इसका उपाय यह है कि दूसरे मुल्कों से हमें सीखना चाहिये।

कुछ सदस्य—किस मुल्क से सीखें ?

श्री गेंदा सिंह—अब उस मुल्क का नाम बताऊं किसी करीब मुल्क से सीखें जैसे यूगोस्लाविया, चीन।

एक सदस्य—रूस से सीखें।

श्री गेंदा सिंह—हां, रूस से भी सीखें तो कोई हर्ज नहीं है। कम से कम भ्रष्टाचार मिटाने के लिये मैं इन्कार नहीं करता हूं और मैं यह कह रहा हूं कि हमें धन का लोभ छोड़ देना

चाहिये और छोड़े कौन वह जिसके पास शक्ति है और जो दूसरों को दे पाता है। रंक को राजा और राजा को रंक बना सकता है, वह छोड़े। उसके यहां अगर करप्शन न हो तो दूसरे लोग इंसपायर कर सकते हैं। आज नहीं कर पाते हैं। आज जब हम कहने जाते हैं १०० रुपये वाले से, ५० रुपये वाले से तो वह कहता नहीं करते हैं और जब बगल से निकलते हैं तो कहते हैं कि चोरी न करें तो खायें क्या? हर आदमी चाहता है कि उसको ऊपर की आमदनी होनी चाहिये। आज यह ऊपर की आमदनी देश को राक्षस की तरह से भक्षण कर रही है। आज इसका दुरुपयोग होता है मैं इसको क्या बतलाऊं?

मैं किसी को दोषी नहीं ठहराता हूं और सरकार को मैं दोषी ठहरा दूं यह भी नहीं, लेकिन सोसायटी में यह एक चीज है जिसको दूर करना सरकार का काम है। सोसायटी ने सरकार को अपना कस्टोडियन मान लिया है तो उसका काम यह है कि वह हमें रास्ता बतलायें। मैं फिर आग्रहपूर्वक कहना चाहूंगा कि दूसरों को उपदेश देने से पहले हमें कुछ करना पड़ेगा। हमें सोचना यह पड़ेगा कि हम किस तरह से मुल्क को रोटी और इज्जत के साथ रहने के लिये स्थान दे सकते हैं। जब यह सोचेंगे तभी इस तरह का प्लान बनायेंगे। आज कोई ऐसा प्लान नहीं है। इसलिये इसी प्रकार से बैठ कर हम प्लान बनायें और सब से पहले अगुआ हम हों और हम त्याग करने के लिये पहले तैयार हों और जब हम त्याग करने के लिये तैयार हो जायं तब सारे मुल्क से कहें कि तुम त्याग करो। मैं आपको क्या बतलाऊं कि हमारे दोस्तों में से हो जो आज ओहदेदार हैं उन्हें क्या ऐसी आवश्यकता है कि वह इस तरह से लक्जूरियस की लाइफ लीड करें। श्रीमन्नारायण जी ने जब वह यूरोप गये थे तो एक लेख में कहा था कि हिन्दुस्तान के शासकों को इस बात को याद रखना चाहिये कि चीन के चांग काई शेख के दोस्तों की लक्जूरियस लाइफ से होशियार रहें। अगर उसी रास्ते से हिन्दुस्तान के शासक भी जायंगे तो हिन्दुस्तान एक गरीब मुल्क है, इस गरीब मुल्क में बड़ी बेचनी फैलेगी, और अगर इस पर कोई आपत्ति करे तो श्रीमन्नारायण जी का लेख उस को दिखा सकता हूं। उसे मैंने बड़े यत्न से रखा है। उन्होंने जो कुछ कहा था वह १६ आना सच है और आज मैं आप से कहूं कि जब मैंने अभी कुछ दिन पहले आचार्य जी की मृत्यु की बात सुनी थी तो मुझे असाधारण चोट लगी थी। वह इसलिये कि उस आदमी से हमें सादगी, त्याग और कुर्बानी की झलक मिलती थी, प्रेरणा मिलती थी। वे अनेक स्थानों पर गये लेकिन जाने के बाद उन्होंने इस बात को भुलाया नहीं। उनके मित्रों की देन थी, उनके मित्रों ने उसमें मदद की, उनकी चर्चा मैं नहीं करना चाहता हूं लेकिन उन्होंने इस बात को सिखाया। मैं सोचता हूं कि आज उनकी स्मृति में, महात्मा जी की स्मृति में, हमें चाहिये कि आज हमारे हाथ में जो शक्ति है उस शक्ति को लेकर हम देश का कल्याण करें। बस, इतनी बात कह कर मैं भी धन्यवाद देना चाहता हूं उन अपने दोस्तों को जिन्होंने इस बजट को बनाने में परिश्रम किया। उन्होंने परिश्रम तो किया ही है लेकिन वह जिस ढंग पर हम चाहते थे उस ढंग पर उन्होंने नहीं किया, लेकिन इसमें उनकी तो कोई खता नहीं। उन्होंने परिश्रम किया, माननीय वित्त मंत्री जी ने जिन अफसरों को धन्यवाद दिया है उनको मैं भी धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिन बातों पर मैंने वित्त मंत्री जी का और सदन का ध्यान दिलाया है उस ओर ध्यान देते हुये कम से कम आगे आने वाले जमाने में वह इस बजट में ऐसी गुन्जायश करेंगे कि जिसमें हम दूसरे मुल्कों के समान आ सकें और केवल लखनऊ और दिल्ली ही में वह करिश्में न दिखा सकें बल्कि सूबे के दूसरे कोने में भी अगर कोई दूसरे देश का आदमी चला जाय तो वह यह समझे कि देश की हुकूमत जो जवाहर लाल जी के नेतृत्व में चल रही है और सूबे की हुकूमत जी संपूर्णानन्द जी जैसे आदमी के नेतृत्व में चल रही है उसमें कोई आदमी नंगा, भूखा, बिना कपड़ा और मकान नहीं है और सब बाइज्जत गुजर करते हैं। यही हमारी कामना है। मुमकिन है कि कोई बात ऐसी हो गई हो जिससे किसी को कोई तकलीफ हुई हो तो मैं उनसे उसके लिये क्षमा चाहूंगा।

*महाराजकुमार बालेंदुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र श्री गेंदा सिंह ने अपने भाषण के अंतिम भाग में डेफिसिट फाइनेंसिंग इत्यादि और उससे संबंधित विषयों का सूक्ष्म रूप से चर्चा किया और मैं समझता हूं कि यह उचित होगा कि बजाय उन सब बातों की ओर सदन का और आपका ध्यान आकर्षित करने के, जिनके ऊपर उन्होंने ध्यान पहले ही आकर्षित कर लिया है, मैं अपना भाषण वहीं से शुरू करूं।

जहां तक कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का सवाल है, यह तो एक बहुत ही टची प्राब्लम सा बन गया है और इस संबंध में जितना कम कहा जाय, मैं समझता हूं उतना ही अच्छा होगा। पहले साल शायद हम लोग आदी नहीं थे, दूसरे साल भी नहीं हो पाये, किन्तु अब, जब चार साल तक लगातार यही होता जा रहा है, हम सब लोग कुछ हद तक आदी हो गये हैं और जो भी मैं इस संबंध में निवेदन करूंगा उसका वित्त मंत्री महोदय किस प्रकार उत्तर देंगे, यह देखना है। मैं समझता हूं कि वह उत्तर वही होगा जो वह सदैव दिया करते हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि केवल इतना ही कह दूं कि जब एक बार कर्ज चढ़ जाता है तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कर्ज ८ करोड़ का है या ८० करोड़ का। इस विचार से हम चुप रहते हैं कि जब कर्ज चढ़ा ही है तो यदि उन्नति के नाम में और उन्नति करने की आशा में कुछ और कर्ज लेकर यदि इन विषयों में लगाया जा सकता है तो क्या हर्ज है? मैं समझता हूं कि इस वर्ष एक बार फिर हम अधिक न कहें यही अच्छा है। जहां तक कि बजट से संबंधित पोथी का संबंध है उसको तीन दिन में पूर्णरूप से अध्ययन करना असंभव है। मैं समझता हूं कि इस अवसर पर यह आवश्यक भी नहीं है कि हम पूरी चारों पोथियों को पढ़ लें। मुख्यतः इस जनरल डिस्कशन के अवसर पर यदि हम वित्त मंत्री महोदय की स्पीच की मुख्य बातों की चर्चा करें, और मैं समझता हूं कि जो दूसरा वाल्यूम या मेमोरेंडम आफ बजट इस्टीमेट के संबंध में पोथी है उसकी चर्चा करना भी उचित होगा। इसी विचार से सर्वप्रथम मैं इस मेमोरेंडम आफ बजट इस्टीमेट के दूसरे पृष्ठ को लेता हूं। दूसरे और तीसरे पृष्ठ के जिन आंकड़ों के ऊपर पूरा बजट बनाया गया है उनकी व्याख्या की गयी है। यहां पर पृष्ठ दो में रेवेन्यु-रिसीट और एक्सपेंडीचर का जिक्र है। रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर का इस वर्ष जो बजट में अनुमान किया गया है वह ९४.९१ करोड़ है।

अध्यक्ष महोदय जहां तक कि बजट के तैयार करने का प्रश्न है सरकार की जो नीति और फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो इस संबंध में तरीका रहा है वह यही रहा है कि एक तरफ रेवेन्यू रिसीट दिखाई जाती है और दूसरी तरफ जो खर्चा है वह रेवेन्यू रिसीट से पूरा किया जा सकता हो और जिसके संबंध में खर्चा रेवेन्यू रिसीट से डेबिट करने का मंशा हो वह अलग दिखाकर और नीचे जैसा कि इसमें भी किया गया है कैपिटल एक्सपैन्डीचर केवल उन्हीं विषयों के संबंध में दिखाया जाय जो कि स्टेट रेवेन्यू या ऋण लेकर ऐसे तरीके से खर्च किया जाय।

यदि इन आंकड़ों को गौर से देखा जाय तो हमें यह मालूम होता है कि रेवेन्यू रिसीट हमारी ८५.३५ लाख रही। इसी के सामने रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर को हम देखते हैं तो उसमें ९४.९१ लाख का खर्चा है। मंत्री महोदय स्वयं स्वीकार करते हैं कि रेवेन्यू रिसीट हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडीचर को पूरी तरह से मीट नहीं कर पायी। कहां तो यह उम्मीद की जा सकती हो कि कम से कम जो शासकीय एक्सपेंडीचर का संबंध है वह खर्चा कम से कम सालाना जो आमदनी हो उससे वह अदायगी पूरी की जाय, किन्तु हमारे माननीय मंत्री महोदय किन्हीं कारणों से इसको यहां नहीं कर पाये। यह तो मैं मानता हूं कि उसके जो भी कारण रहे हों, लेकिन उनको पूरी तरह से बताया जाय। उसके संबंध में मैं चर्चा आगे करूंगा मगर इस समय मैं यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में हमारे इन आंकड़ों में जो इतना घाटा है वह केवल यह रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर में अन्तर नहीं है। यह तो गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बात होगी यदि यह कहा जाय कि क्योंकि रेविन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडीचर केवल मात्र ९.५९ अधिक है। इसलिये यह हमारा कहना गलत होगा। मैं तो समझता हूं कि इसका उत्तर देना सरल नहीं होगा। वास्तव में आंकड़े सामने हैं ? हमारी जो दिक्कत है वह यह है कि सरकार इस वर्ष कितना खर्च करने जा रही है। सरकार स्वयं कहती है कि रेवेन्यू के ऊपर ९४.९१ और कैपिटल की तरफ ४२.९७ खर्चा करने का इरादा सरकार रखती है यानी सरकार इन दोनों में १३३.८९ खर्च करने का विचार रखती है। इस बजट के प्रपोजल के अनुसार तो अध्यक्ष महोदय इस तरीके से यदि हम रेवेन्यू रिसीट के घाटे को देखें तो हमको सही बात मालूम होगी। वास्तव में जो बजट का इस्टीमेट हुआ है उसमें हमारी मौजूदा आमदनी में कितना अन्तर है। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपैन्डीचर का कोई विशेष संबंध नहीं है। रेवेन्यू रिसीट्स में और रेवेन्यू एक्सपेन्डीचर में केवलमात्र ९.५५ का अन्तर है और हमारा डैफिसिट केवल इतना ही है, यह गलत है। १३७.८९ में से ८५.३५ निकाल कर बाकी रहता है ५२.५३। इस वर्ष बजट में जो आउट आफ पाकिट खर्चा किया जायगा, जिसके लिये कोई आमदनी नहीं है या जिसके लिये पूरा करने को सरकार टैक्स लाये या ऋण ले वह है ५२·५३। इसे मीट करने के लिये केंद्रीय सरकार ने भी कुछ सहायता दी है जैसा कि लोन्स लेकर हम अपनी योजनाओं को पूरा करते हैं उसी प्रकार की वह है। वह ३२.३० लाख की हुई। उसके बाद हमारा नेट डैफिसिट मेरे हिसाब के मुताबिक २०.२३ लाख का हुआ। अब प्रश्न यह है कि इस घाटे को किस प्रकार से पूरा किया जाय ? सरकार की नीति उसके संबंध में बजट भाषण के दौरान में प्रकट होती है। पिछले साल मंत्री महोदय ने हालांकि वह एक प्रकार की झलक उन्होंने टैक्स लगाने की दी थी, परन्तु वह नहीं लगाया। इस वर्ष भी उन्होंने यह कह ही दिया है कि उनकी यह शुरू से आशा रही थी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को वह बगैर टैक्स लगाये पूरी कर ले जाना चाहते थे। वह कहते हैं कि वह पूरी हो गई और उसका पूरा लाभ होना अभी शुरू नहीं हुआ है। फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय उनको पुराने वचन से बांधे रहना संभव नहीं दिखाई देता। मैं समझता हूं कि उसमें किसी को बहुत मतभेद नहीं हो सकता कि हमारा प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान देश है। इसलिये पंचवर्षीय योजना मुख्यतः कृषि से संबंधित रखी गई, वह भी एक उचित विचार था। जो लाभ हुआ वह भी सामने हुआ हालांकि मित्र गेंदा सिंह जी उसे पूर्णरूप से स्वीकार नहीं करते। गल्ले की समस्या अगर पूरी तरह से नहीं सुलझी तो भी उसमें काफी सुधार हुआ है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विषयों की उन्नति की जाय। मैं समझता हूं कि यह विचार भी सबको स्वीकृत है, क्योंकि अब आमदनी बढ़ाने का प्रश्न उठता है। कृषि की योजनाओं से आमदनी उतनी नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसलिये जो विचार सरकार अब रखती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संबंध में कि औद्योगिक विषयों की उन्नति की जाय, वह उचित है। इस बारे में मंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा है। मेरे पास अंग्रेजी की प्रति है, मैं क्षमा चाहूंगा इसमें से पढ़ने के लिये"

"The total outlay in the 2nd Five-Year Plan is estimated to be Rs.248 crores, out of which Rs. 17 crores will be spent on industrial development."

यानी पूरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो खर्च का अनुमान लगाया गया है वह है २४८ करोड़ का। और सरकार इसमें १७ करोड़ रुपया औद्योगिक विकास के संबंध में खर्च करने का विचार रखती है। २५ परसेंट रैपिड इन्डस्ट्रियलाइजेशन होकर एक्सपेंशन आफ एम्प्लायमेंट अपर्चुनीटीज की बात भी इसमें है :

"Many schemes for the expansion of existing industries, improvement of marketing and establishment of new industries."

इस दौरान में लिये जावेंगे। यह बहुत प्रसंशनीय लक्ष्य उन्होंने अपने सामने रखा है। इसके लिये २४८ करोड़ में से केवल १७ करोड़ रुपया यानी ७ परसेंट से भी कुछ कम खर्च करने का इरादा रखती है। क्या सरकार की कही हुई नीति है और किस रूप से वह उसे अपना रही है यानी कार्यान्वित करने जा रही है, उसका सही रूप इन आंकड़ों की जांच करने पर सामने

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

आ जाता है। हालांकि यह एक डिटेल की बात होती है, लेकिन जहां तक मार्केटिंग का संबंध है उसका जिक्र करना उचित ही होगा। जितना भी धन काटेज इन्डस्ट्रीज के लिये खर्च करने को रखा गया है यदि उतना ही या उपयुक्त मात्रा में मार्केटिंग के लिये नहीं रखा जाता है या इस दिशा में उचित कार्य नहीं किया जाता है, जो कि मैं समझता हूं करना बहुत आवश्यक है, तो हमारी इन्डस्ट्रीज को अधिक लाभ नहीं होगा जिन छोटे उद्योगों को हम बढ़ाना चाहते हैं। पिछले वर्षों में भी यह प्रश्न सामने रहा है, फिर भी इसके लिये उचित कदम नहीं उठाया गया। मैं समझता हूं कि जब तक सरकार स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज के मार्केटिंग की समस्या को हल नहीं कर सकेगी, इन्डस्ट्रीज के लिये खर्चा करना बहुत कुछ जाया जायगा।

मैं एक बात के लिये माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि उन्होंने यह कहा है "Special emphasis will be laid in the Second Five-Year Plan on the qualitative improvement of education." इस दिशा में विचार बहुत कम गया है। इल्लिटिरेसी दूर करने की शीघ्र से शीघ्र बहुत आवश्यकता है, परन्तु यह सोचना कि उचित मात्रा में हम हर एक को शिक्षित बनाकर अपना लक्ष्य पूरा कर लेंगे, गलत है। फिर भी उसका बुरा असर काफी हद तक विशेषकर विश्वविद्यालयों पर पड़ना शुरू हो गया था। मुझे खुशी है कि ४ वर्ष के बाद ही सही, इधर ध्यान तो गया। मगर दुख भी मुझे है कि उन्होंने कुछ कहा मगर दिल खोल कर नहीं कहा। मित्र गेंदा सिंह जी ने चर्चा कर दी है मैं अधिक न कह कर केवल इतना ही कहूंगा कि जो अध्यापकों के वेतन के संबंध में सरकार ने ५० प्रतिशत खर्चा अपने ऊपर ले लिया है क्योंकि लोकल बाडीज उस खर्चे को बरदाश्त नहीं कर पा रहे थे इसी प्रकार से प्राइमरी क्लासेज में ५० प्रतिशत फीस माफ कर दी गयी है। इन दोनों विषयों के संबंध में यह उचित होता कि उदारता का पूरा आदर्श सामने रख कर सरकार पूरी फीस माफ कर देती और अध्यापकों का पूरा वेतन अपने ऊपर ले लेते। इस प्रकार की मांग बहुत पुरानी थी और यह सब लोग जानते थे कि उन अध्यापकों की कैसी दुर्दशा है जो कि बालकों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जब कि उनकी इतनी दुर्दशा है, तथा अन्य कारण हैं जिनके कारण वे अन्य उपायों से अपना पेट भर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, आगे चल कर मैं टैक्सेज के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। मित्र गेंदा सिंह जी ने इस संबंध में अपने विचार कोई स्पष्ट रूप में प्रकट नहीं किये, हालांकि उन्होंने मेरे कोट के संबंध में कुछ जिक्र किया लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि उसका क्या मतलब था। मैं विशेषकर यह कहूंगा कि प्रांतीय सरकार को यह अधिकार है कि वह टैक्स ले। यदि सरकार टैक्स लेना चाहती है, यदि वह समझती है कि वह अपना खर्चा बगैर टैक्स लिये पूरा नहीं कर पा रही है तो मैं समझता हूं कि सरकार होने के नाते, जनता के भेजे हुये प्रतिनिधि होने के नाते, इस सदन में बहुमत रखने के नाते, उन्हें यह पूरा अधिकार है कि जितने चाहे टैक्सेज लें। किन्तु इसके साथ ही साथ मैं समझता हूं कि यदि कोई सरकार टैक्स ले या यह कहे कि रेवेन्यू बढ़ाने का और कोई जरिया नहीं रहा केवल उसका एक ही जरिया रह गया है और वह टैक्स बढ़ाना है तो इसमें सरकार एक प्रकार से अपनी हार भी मान लेती है, क्योंकि जहां तक हो सके सरकार को विभिन्न रूप से अपनी आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये। सरकार ने और तरीकों से भी अपनी आमदनी बढाने का प्रयत्न किया है। इर्रीगेशन मंत्री महोदय कैनाल बढाकर इर्रीगेशन टैक्स वसूल कर रहे हैं। कहीं-कहीं से कानों में यह भनक भी पड़ी कि जो इर्रीगेशन के रेट्स हैं उनमें सरकार को घाटा हो रहा है यदि यह न भी माना जाय तो भी इर्रीगेशन रेट्स से सरकार ने अपनी आमदनी को बढ़ाया है। हमारे वित्त मंत्री महोदय भी बिजली प्रदान करने के बाद यह आशा करते हैं कि अब सरकार की आमदनी बढ़ेगी। हमारे परिवहन मंत्री महोदय ने जो नेशनलाइजेशन किया है, उसमें एक सिद्धांत का प्रश्न उठता है, लेकिन केवल सिद्धांत के प्रश्न को लेकर ही सरकार ने

राष्ट्रीयकरण नहीं किया है, बल्कि उसके साथ ही साथ उसका यह भी दृष्टिकोण रहा है कि जहां तक हो सके इन चीजों से सरकार की आमदनी बढ़ाई जाय।

(इस समय ४ बजकर २ मिनट पर माननीय अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय हमसे यह प्रश्न पूछते हैं, "ह्वेअर आल दिस टू कम फ्राम" इस संबंध में वह पूछते हैं कि यह कहां से आये? उन्होंने एक प्रकार से हार मान ली। वे कहते हैं कि और जो तरीके आमदनी बढ़ाने के हैं वे सब अपनाये जा चुके हैं। अब वे कहते हैं कि केवल एक ही उपाय उनके सामने रह गया है और वह टैक्स लगाने का। इससे सरकार यह स्वीकार करती है कि उसके और कोई जरिये नहीं, जिससे आमदनी बढ़ाई जा सकती हो। यदि उनकी लाचारी है तो यह सरकार का अधिकार है कि जब चाहें और जितना चाहें वह कर लगायें। जिस कर का उन्होंने जिक्र किया उसके संबंध में मैं इस समय केवल यही कहूंगा कि हालांकि डाइरेक्ट टैक्सेज से इनडायरेक्ट टैक्सेज जनता को कम बोझ वाले लगते हैं फिर भी जो एक विशेष बात है वह मैं बताना चाहूंगा कि क्योंकि इसका इन्सीडेंस बहुत कम है, ज्यादा लोग सेल्स टैक्स देने वाले नहीं हैं और जो लोग अब तक दे रहे हैं, वही अब अधिक देंगे। इसलिये मैं चाहता हूं कि यह गौर करने की बात है कि जो लोग दे रहे हैं उन्हीं से और अधिक लिया जाय या कोई और दूसरा तरीका अख्तयार किया जाय जिस से इनसीडेंस बढ़ें, यह देखा जाय।

अध्यक्ष महोदय, ने शुरू में ही कह दिया कि जिन विषयों की साथी गेंदा सिंह जी ने चर्चा कर दी है उनको दोहराना मैं आवश्यक नहीं समझता। इसलिये अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो बजट माननीय वित्त मंत्री महोदय ने सामने रखा है उसमें आशा और उम्मीदों का बहुत ही बड़ा भाग है। इसका मतलब यह हुआ कि जो बड़े और मंहगे काम बांध और बिजली आदि के करजे से किये जा रहे हैं और जो ऐसे प्रोडक्टिव काम किये जा रहे हैं वह सब इसी उम्मीद और आशा से किये जा रहे हैं कि इन कार्यों के पूर्ण होने के बाद उन उपायों से वह कर्जा जो लिया गया है वह और उसका ब्याज "पे अप" हो जाय वह सब उन कामों की आमदनी से ही हो सके। पिछले जो कार्य हुये हैं उनके बारे में न तो स्पष्ट रूप से लिखा गया है और न बताया गया है। हमारे जो मित्र उन योजनाओं में घूमें हैं उनको केवल लैंड स्केप और सीनरी ही पसन्द आई लेकिन उन खास बातों का हमें उचित रूप से ज्ञान नहीं मिला है। अन्त में मैं आशा करूंगा कि जहां तक हो सके अगर कर्जा लेना ही है तो उसका उपयोग ऐसे काम में किया जाय जो निश्चित और आवश्यक रूप से लाभदायक सिद्ध हों।

इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो औद्योगिक और दूसरे डेवलेपमेंट के लक्ष्य सामने रखे गये हैं उन में धोखा खाने का बहुत अंदेशा है। मैं यह नहीं कहूंगा कि प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर का अधिक भाग उद्योग में दिया जाय। सरकार ने सब को एक समान प्रगति का अवसर देने की योजना बना ली है, ताकि कोएक्जिस्टेंस के सिद्धांत में यह भी रह सके, लेकिन काटेज इंडस्ट्रीज का जहां तक सवाल है, मारकेटिंग का प्रश्न मैंने सामने रख ही दिया है। जहां तक दूसरे उद्योगों के कामों का प्रश्न है वहां जो सहायता दी जायगी उसके संबंध में बहुत ही होशियार रहना पड़ेगा। हालांकि यह जनरल डिसकशन है, फिर भी हर सदस्य का कुछ स्वार्थ रहता है लेकिन वह रहता है अपने-अपने जिले का और इसलिये मुझे इस अवसर पर फिर यह शोक प्रकट करना पड़ रहा है कि समानता के रूप से जो न्याय होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। कुछ इलाकों और जिलों की उन्नति हो रही है और वहां की उन्नति होने की आशा की जाती है। यह तो ठीक ही है "Nothing could succeed like success." लेकिन जिधर सरकार की नजर नहीं गई है वहां धन नहीं दिया गया है। हमारे जो बजट बनते हैं उनमें जो खामी रहती है और जो बात खटकती है वह यह है कि हम लोग चाहे किसी भी रूप से प्रश्न पूछें या फाइनेंस सेक्रेटरी से पूछें कि फलां डिस्ट्रिक्ट में सरकार कितना खर्च कर रही है तो यह बताने के लिये उनके पास या सरकार के पास कोई आंकड़े नहीं होते। और सरकार यह खुद कभी हमको नहीं दे सकती यह स्पष्ट है और जब तक यह सूरत रहेगी

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

तब तक साफ-साफ तस्वीर हमारे सामने नहीं आयेगी। सरकार वास्तव में पूरे प्रदेश में एक समान कार्य कर रही है। यथासंभव, अब यह तो कोई नहीं कह सकता कि जहां लोहे की खानें न हों वहां लोहे की खानें खोली जायं, लेकिन यथासंभव जहां रा मैटीरियल प्राप्त हो वहीं उत्पादन किया जाय। लेकिन यदि इस प्रकार के नियम आप बना भी लें तो इसकी जांच किस प्रकार से की जायगी उसकी कोई रूपरेखा सरकार ने हमारे सामने नहीं रखी है। हम यह जानना चाहते हैं कि प्रदेश के किस-किस भाग में कितना-कितना और क्या-क्या हुआ? मैं जिलों को तुलना आपस में करना नहीं चाहता, किन्तु यह देखने में आया है कि हालांकि इस प्रदेश के मुख्यतः पांच भाग किये गये हैं---पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण और कुछ लोग कहते हैं मध्य भी लेकिन चार ही सही, किन्तु उत्तर और विशेषकर उत्तर-पश्चिमी भाग जो हैं उस ओर सरकार की दृष्टि नहीं पहुंची है। मैं समझता हूं कि उस इलाके के जो सदस्यगण हैं वे उसके संबंध में डिटेल में बतावेंगे क्योंकि हमारे सामने यह बड़ी समस्या है कि पूरे पृष्ठों को पलट कर ही आंकड़े अलग-अलग जांचें तब ही तुलना हो सकती है परन्तु यदि यह सरकार चाहती है कि वह केवल जनता का विश्वास और श्रद्धा ही न प्राप्त करे किन्तु जनता को पूरा भरोसा हो और वह देखे कि सरकार को उसकी फिक्र है तब ही जो कुछ कार्य होगा वह न्यायपूर्ण होगा और यह न सोचकर कि फलाने इलाके में हम यह करें और उसी दृष्टिकोण से लाभ होगा, तभी यह आशा की जा सकती है।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम फाइनेंस मिनिस्टर साहब को जैसी कि रस्म है इस बजट के प्रस्तुत करने पर बधाई देता हूं। मैं यह जो बधाई दे रहा हूं और भी ज्यादा अच्छे शब्दों में करता परन्तु समय मेरे पास कुल १५ मिनट है, अगर मैं माननीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब की तारीफ करने में अपना समय गंवा दूं तो दो-तीन सुझाव जो मैंने सोच रखे हैं उनको भी मैं शायद सदन के सामने न रख सकूं। इसलिये मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब से माफी मागूंगा और कहूंगा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आपने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुये एक साल का जो लेखा-जोखा हो सकता था वह बहुत अच्छा पेश हुआ है फिर गलतियां इन्सान से होती हैं और बहुत सी बातें ऐसी रह जाती हैं जो उस वक्त नहीं सोची जा सकती। इसलिये मैं इस प्रसंग को छोड़ अब दो-तीन सजेशंस इस सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं जिनको मैं अत्यन्त आवश्यक समझता हूं और जो कि माननीय गेंदा सिंह जी की स्पीच में भी नहीं आये हैं। मैं माननीय गेंदा सिंह जी की स्पीच पर कुछ नहीं कहना चाहता उनका भाषण एक मेह जैसा था जो ऊसर पर भी बरस गया और उपजाऊ भूमि पर भी। उनकी स्पीच के बारे में जो मेरा इम्प्रेशन है, वह मैंने पेश किया।

पहला सुझाव, अध्यक्ष महोदय, जो मैं पेश करना चाहता था वह यह है कि मैं एक वकील हूं और मैंने, हमारे यहां का जो लेजिस्लेशन है उसका अध्ययन किया है, मेरे लिये उस में एक बड़ी त्रुटि मालूम होती है कि हम जो कानून बनाते हैं वह बड़ा हैस्टी यानी जल्दी में बनाते हैं और जिनका नतीजा यह होता है कि बहुधा अदालतों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। पंचायतराज ऐक्ट बना और उसके रूल्स भी बने। अब अगर ऐक्ट में और रूल्स में अगर कहीं पर विरोधाभास आकर पड़ता है, तो अदालतों को बड़ी परेशानी होती है। हमारा सब का मजाक उड़ाया जाता है। दो-तीन इस तरह के कंट्रेडिक्शन हमारे ऐक्ट और रूल्स में पड़ गये। पहला तो यह कि ऐक्ट में तो यह लिखा हुआ है कि पेटीशन कोई भी एलेक्टर दायर कर सकता है। यह तो मूल ऐक्ट हुआ। इसके बाद अब जो रूल्स बने उनमें यह आया कि केवल या तो कैंडीडेट या कैंडीडेट नहीं तो १० वोटर्स ही पेटीशंस दायर कर सकते हैं। अब जब अदालत के सामने यह सवाल जाता है, तो एक तरफ तो एक लिखा हुआ है और दूसरी तरफ दस कर दिया है तो किस को माना जाय। ऐक्ट को मानना चाहिये, कुछ कोर्ट्स मानती है कुछ नहीं मानती है और चूंकि पेटीशन के मामले में फाइनल कोर्ट्स हैं इसलिये एक कनफ्युजन सा पैदा हो गया है। अगर यह कंट्रेडिक्शन दूर हो

सकता, अगर जरा भी सोच लेते रूल्स बनाते वक्त कि ऐक्ट क्या प्रोवाइड करता है, और रूल्स में क्या प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता।

एक दूसरा कंट्रेडिक्शन मौजूद है और वह यह कि जहां पर पेटीशन के संबंध में कहा गया है कि सेक्शन १९ (सी) में जिस वक्त कि डेक्लेरेशन हो जायगा रेजल्ट का उसके बाद तीस दिन के अन्दर पेटीशन दायर हो सकेगा। अब बतलाइये, अध्यक्ष महोदय, जो स्टेज १९ (सी) तक न पहुंचे उसका क्या हश्र होगा? मिसाल के तौर पर उनका क्या होगा जिनका एलेक्शन हुआ ही नहीं, नामिनेशन की स्टेज पर ही डेक्लेरेशन हो गया। वह १८ (एफ) में होता है। जो अनअपोज्ड डेक्लेयर हो गये हैं उनके लिये १८ (एफ) है। यह भी हेस्टी लेजिस्लेशन है। जरा सी बात है कि १९ (सी) में डेक्लेरेशन हो या १८ (एफ) में डेक्लेरेशन हो, उसके बाद पेटीशन दायर होगा। एक और कंट्रेडिक्शन है उसमें यह है, यह बड़ा वेग सा है, कहीं पर साफ नहीं हुआ है। उतने ही हाथ उठाये जायं जितने सीट्स जगह हो या जितने उम्मीदवार हैं उतने हाथ उठाये जायं। कहीं-कहीं जितने उम्मीदवार थे उतने उठाये गये, और कहीं उतने उठाये गये जितनी की जगह थी रूल्स में लिखा हुआ है कि एक आदमी का एक वोट .....

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य बजट की आम बहस के सिलसिले में बात करें। वित्त मंत्री को जवाब देना है, न्याय मंत्री को जवाब नहीं देना है। आप बाद में कटमोशन ला सकते हैं न्याय विभाग के ऊपर।

श्री नौरंगलाल--अध्यक्ष महोदय, इस तरह से हम हेस्टी लेजिस्लेशन जो बनाते हैं उसमें जरा हमारा मजाक उड़ता है। इसलिये हमें यह चाहिये और उसका सिर्फ एक तरीका है, सुझाव यह देता हूं कि जो कानून बने उसकी नजरसानी का मौका एक दफा स्टैंडिंग कमेटी को जरूर मिलना चाहिये जिससे स्टैंडिंग कमेटीज सोच सकें और उनको थोड़ा सा तजुरबा भी हो सके और वह गलतियों को सुधार सकें। साल में एक दफा स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती है। जिस डिपार्टमेंट का लेजिस्लेशन हो वहां से वह उसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दें तो शायद गलतियां न रह सकें। यह पहली बात मैंने आपके सामने पेश की।

दूसरी मैं यह सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं कि अब तक हमने अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन की टोन को नहीं बदला जितना कि हमें बदलना चाहिये। मुझे यह महसूस होता है कि हम एक रेक्टेंगिल को एक लाइन में लाना चाहते हैं जो कि हम नहीं ला सके। इस रेक्टेंगिल में एक तरफ पब्लिक, दूसरी तरफ सर्विसेज, तीसरी तरफ एम० एल० एज० और चौथी तरफ मिनिस्टर्स हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक पब्लिक का सवाल है मुझे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वहां पर तो एक तरह से माबोक्रेसी है। वहां पर रेस्पांसिबिलिटी बहुत कम महसूस होती है। जहां तक सर्विसेज का ताल्लुक है वहां पर ब्यूरोक्रैसी है, बिलकुल टाप टु बाटम, और जहां तक मिनिस्टर्स का ताल्लुक है एक टेंडेंसी सी पैदा हो रही है, आट्रोक्रैसी की, और जहां तक मेम्बर्स का ताल्लुक है यह बेचारे डेमोक्रैटिक हैं। इस रेक्टेंगिल को एक लाइन में लाना है और हमें ब्यूरोक्रैसी के इस टोन को बदलना है। हमारे आफिसर्स की टोन एक अजीब हो रही है। अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि यहां पर ए क एक ऐसे कलेक्टर हैं जो किसी गांव में जाते हैं तो २० गन्स का सैल्यूट लेते हैं। जिस वक्त गांव में पहुंचते हैं २०-२० गन्स का सैल्यूट उनको चाहिये और उनके सामने पाइलट जाता है जैसे कि महामाननीय राज्य पाल के सामने जाता है। तो इस तरीके से मेरी समझ में नहीं आता कि हम कंट्री को किधर ले जायेंगे अगर हमने इस टोन को नहीं बदला। एक तरफ तो कहते हैं कि श्रमदान में हाथ बटाओ, फावड़ा उठाओ और दूसरी तरफ उनकी यह टेंडेंसी डेवलप कर रही है। इसको हमें रोकना पड़ेगा। इस टेंडेंसी को हमें बदलना पड़ेगा। हम किसी आदमी की वकत को रुपये पैसे से नहीं तौल सकते। हमें तौलना पड़ेगा कि वह कितना समाज के लिये सेवा करता है, चाहे उसको रुपया कम मिले, चाहे वह फटे कपड़े पहनता हो, चाहे उसकी तन्दुरुस्ती ठीक न हो लेकिन अगर वह समाज की सेवा के लिये अपना समय देता है तो उसकी इज्जत हमें जरूर करनी

[श्री नौरंगलाल]

पड़ेगी। रुपये से इसको नहीं आंकना चाहिये। यह ख्याल कि रुपये के जरिये से, तनख्वाह बढ़ाकर के उनकी इज्जत को कायम रख सकते हैं, ऐसा ख्याल अगर हम करते हैं तो अध्यक्ष महोदय हम एक भूलभुलैया में पड़े हुये हैं, हम एक गलत रास्ते पर जा रहे हैं इसलिये पहली चीज जो कि आज हमें करनी है वह यह है कि कम से कम हमें सर्विसेज का जो स्टैंडर्ड है, जो उनका टोन है उसको हमें बदलना पड़ेगा और हमें उसके बदलने में कतई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। हर एक के लिये फ्री ऐक्सेस हो, इस तरीके से हमें नियम कुछ न कुछ अवश्य बनाना पड़ेगा। अगर यह हम नहीं करते तो यह ब्यूरोक्रेसी आगे बढ़ेगी और यह सारी नाव को डुबाकर रहेगी। यह हमारा दूसरा सजेशन है जो कि मैं समझता हूं कि गलत रास्ते पर हम देश को ले जायेंगे अगर इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा मेरा एक और सुझाव है और वह है प्लानिंग के संबंध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, अगर्चे इस बजट में कहीं भी सरकार ने इस बात का दावा नहीं किया है कि हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी कायम ही करने जा रहे हैं। सरकार का दावा यह है कि हमने एक कदम और बढ़ाया है और हम ऐसा ही कदम बढ़ाते रहेंगे। हम इस चीज को समझते हैं और हमारी पब्लिक भी समझती है कि एक साल के अन्दर कोई सोशलिस्टक सोसाइटी पैदा नहीं कर सकता लेकिन फिर भी अगर हम प्लानिंग चाहते हैं और अगर हम प्लांड डेवलपमेंट अपने देश का चाहते हैं तो हमको चाहे कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, चाहे कितना ही खर्चा क्यों न हो, लेकिन सर्वे अवश्य करना चाहिए। जब तक कि हम सर्वे नहीं करते हारिजेंटल और वर्टिकल, कहां कैसी जमीन है, कहां कौन सी चीज अच्छी पैदा हो सकती है और कौन मनुष्य अच्छी चीज पैदा कर सकता है, जब तक हम यह सर्वे नहीं करते, जब तक हमारे पास इस तरह के फैक्ट्स नहीं हैं, तब तक चाहे कितना हम डेवलपमेंट करें, चाहे कितना ही डेवलप्ड प्लान बनायें, रुपया खर्च होगा कुछ डेवलपमेंट भी होगा, थोड़ी सी खुशहाली भी आयेगी देश में, लेकिन हम कभी भी एक तरह की सोशलिस्टिक पैटर्न की सोसाइटी बना ही नहीं सकते। प्लानिंग के तो सिर्फ तीन ही उसूल हैं। सर्वे, सेलेक्शन और एग्जीक्यूशन। इन तीनों चीजों के बिना प्लानिंग हो ही नहीं सकती है। इसलिये जब हम प्लानिंग करते हैं तो हमें यह अवश्य देखना है कि बिला सर्वे के हम यह काम कदापि नहीं कर सकेंगे। यह हो सकता है कि हमें इसमें कहीं अधिक रुपया खर्च करना पड़े लेकिन फिर भी हमें उस खर्च को खुशी से बरदाश्त करना चाहिए क्योंकि जब तक हम सर्वे नहीं करते तब तक प्लानिंग हमारी कदापि नहीं हो सकती। यह मेरा तीसरा सजेशन है।

अध्यक्ष महोदय, चौथा सजेशन मेरा एक और है और वह है करप्शन के बारे में। हमने अब तक फूड प्रोडक्शन पर जोर दिया। हमने अब तक देश की उपज पर जोर दिया, हमने अब तक अपने देश के उत्पादन के साधनों की तरक्की पर जोर दिया लेकिन अब मौका आ गया है कि और देश इस बात की तमन्ना भी करता है कि हम अब इस बात पर जोर दें कि हमारे देश के लोग सीधे हों, आनेस्ट हों, और कैरेक्टर वाले हों। जब तक हम अपने देश के अन्दर अपने कैरेक्टर को ऊंचा नहीं कर सकते तब तक प्लानिंग या कोई भी डेवलपमेंट कभी भी हमारे प्रदेश के अन्दर या देश के अन्दर कामयाब नहीं हो सकता है। हमारे भाई, हमारे लड़के, ये सब गवर्नमेंट सर्विसेज में आया करते हैं। हमी उनका प्रबन्ध देखते हैं और नफरत करते हैं। लेकिन वजह इसकी यही है कि हममें अभी तक जो विशेष जरूरत है अपने देश प्रदेश की उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि हमें इस करप्शन को कैसे इरैडिकेट करना है। माननीय गेंदा सिंह ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता कि विशस सर्किल को कैसे खत्म किया जाय और इसकी शुरूआत कहां से की जाय "where there is a will there is a way" अगर हम करप्शन समाप्त करना चाहते हैं तो हम उसे अवश्य कर सकते हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी शुरुआत हमें अपने सदन से करनी है। हमें दुनिया को यह दिखाना है कि हम सोशल वैल्यू लाइफ की इसलिये नहीं करते कि वह किस पदवी पर है बल्कि हम किसी की इज्जत इसलिये करते हैं कि वह सदाचार से रहता है, उसमें कोई विशेषता है, उसमें कोई

क्वालिटी है, उसमें मेरिट है। हमें नहीं चाहिये बड़े-बड़े डिनर्स हमें नहीं चाहिये फूल मालायें, हमें नहीं चाहिये जय जयकार के नारे। हमें चाहिये कि सत्य को पूजें, हमें चाहिये कि कैरेक्टर को पूजें, हमें चाहिये कि सिम्पलीसिटी को पूजें, ऐसे लोगों को फूल मालायें पहनायें, जिनके पास तन पर कपड़ा नहीं है मगर एक कैरेक्टर है और जिनके पास एक दिल है जिसमें कि दर्द है। अगर हम अपने कैरेक्टर को ऐसे ऊंचा उठायें तो हमें पूर्ण विश्वास है कि दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो नामुमकिन हो और हम उसको मुमकिन न बना दें। हमें डर लगता है कि इस कालिख में घुसने में हम कहीं काले न पड़ जायं लेकिन जो आगे बढ़ने में घबराते हैं वे कभी कोई रेफार्म नहीं कर पाते। हमें किसी से डरना नहीं है। हमें सत्यता से, ईमानदारी से करप्शन को दूर करना है और यह मेरा दावा है कि अगर हमने इसको दूर नहीं किया तो चाहे सौ वर्ष हो जायं, लेकिन हम देश के बेड़े को पार नहीं लगा सकते और वह खुशहाली और हरियाली देश के अन्दर कदापि नहीं आ सकती।

अन्त में मुझे जवाहरलाल जी के शब्द याद आते हैं। हमें मर कर अपने देश को जिन्दा रखना है। मर कर उन शब्दों में नहीं, जो माननीय गेंदा सिंह जी ने कहे। मर कर के अर्थ यह है कि हमें त्याग करना है, अपने बच्चों का त्याग करना है, अपने रुपये पैसे का त्याग कर देना है सिर्फ इसलिये कि हमारा भारत जिन्दा रहे। हम मर जायं तो इसकी चिन्ता नहीं है, क्योंकि जवाहरलाल जी ने कहा है कि अगर हम मर गये तो कोई चिन्ता नहीं, लेकिन अगर भारत मर गया तो क्या होगा और अगर भारत जिन्दा रहा तो दुनिया के अन्दर हम जीवित रहेंगे।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय अर्थ मंत्री जी को इस बात के लिये बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का बजट इस हाउस के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा प्रदेश उत्थान और विकास की तरफ जा रहा है। लेकिन कभी कभी जब हम लोगों को यह सुनने को मिलता है कि आज ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक दशा शहरों की आर्थिक दशा से कहीं अच्छी है, यह भी सुनने में आता है कि आज हमारे उत्तर प्रदेश में जंगल में मंगल हो रहा है तो वास्तव में हमारा मस्तक नीचे गिर जाता है। मैं समझता हूं कि सरकार जो कुछ प्रयत्न कर सकती है ग्रामीण भाइयों को उठाने के लिये वह कर रही है। यह भी ठीक है कि हमारे प्रदेश में अन्न की समस्या हल हो चुकी है। हमारे माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा है कि सन् ५६ के अन्त तक १२.४५ मिलियन टन गल्ला हम पैदा करने जा रहे हैं। लेकिन जब इस बात पर हम विचार करते हैं कि हमारे प्रदेश की जनसंख्या ६,३२,१६,००० है और इस तरीके से अगर हम देखें कि एक व्यक्ति एक दिन में कितना खाना खा सकता है तो जो आंकड़े कुछ पुस्तकों में दिये हुये हैं उनके आधार पर अगर यह कहा जाय कि ७ छटांक एक आदमी के लिये काफी हो सकता है तो हमें कितने गल्ले की जरूरत होगी। आज सारा हिसाब लगाते हैं तो पता चलता है कि हमारे प्रदेश में ६९,२१,४२५ मन गल्ला उत्पन्न होता है जब कि हमारे प्रदेश में १९५६ तक के अन्त में १२.४५ मिलियन टन गल्ला उत्पन्न होने जा रहा है जो ३,४७,७०,००० मन गल्ला आता है। यह कहा जा सकता है कि उपज काफी हो गई है और हमारे प्रदेश से दूसरे प्रदेशों में गल्ला जा रहा है। यहां तक कि दूसरे अनाज जैसे चावल, गेहूं को विदेशों में भेज सकते हैं, लेकिन यह भी कहना सत्य होगा कि जो गल्ले की उपज है वह जो होनी चाहिये उसका १/३० भी नहीं है। दूसरे माने में यह कहा जाय कि यदि हमारा प्रदेश ३० गुना या ४० गुना गल्ला ज्यादा उत्पन्न करता है तब ग्रामीण जनता भुखमरी से बच सकती है।

यह भी ठीक है कि जहां तक शहरों का प्रश्न है वहां कितनी बेरोजगारी है, इसके आंकड़े हमारे सामने हैं। लेकिन हमारे प्रदेश में अभी तक वे आंकड़े नहीं हैं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

जिनके आधार पर कहा जाय कि हमारे ग्रामीणों में कितनी बेकारी है। यदि सरकारी आंकड़ों पर ही सन्तोष कर लें तो यह कहना ठीक होगा कि १६-१७ लाख ऐसे ग्रामीण भाई हमारे प्रदेश में हैं जो बेरोजगार हैं। इसके अलावा हम उन आंकड़ों की तरफ देखें जो सरकार के हैं तो उनके आधार पर कह सकते हैं कि जो ग्रामीण भाई हैं यानी जो किसान हैं वह अर्द्ध बेरोजगार से पीड़ित हैं उनकी संख्या ६ या साढ़े ६ करोड़ में से कितनी है? उनकी संख्या ३ करोड़ के करीब है जो हमारे प्रदेश की आधी है। यह ठीक है कि हमारे प्रदेश में काफी गल्ला उत्पन्न होने जा रहा है। लेकिन यह गल्ला किसी प्रकार से भी आर्थिक कठिनाइयों का हल नहीं निकाल सकता है।

यह भी कहा जाता है कि हमारे प्रदेश में उद्योग धंधे प्रचलित होने जा रहे हैं। यह भी ठीक है कि बिना उद्योग धंधों के हम आर्थिक कठिनाइयों का हल भी नहीं निकाल सकते हैं। लेकिन मैं इससे संतोष नहीं करूंगा और हमारे प्रदेश में कितने ही उद्योग धंधे हो जायं लेकिन जो ग्रामीण या खेतिहर मजदूर हैं उनके पास कृषि के अलावा कुछ न कुछ धंधा नहीं होता है तब तक उनकी बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है। इसका क्या हल हो, मैं इसको अच्छी तरह से नहीं कह सकता हूं। आज शहरों में किस तरह से और ग्रामों में किस तरह से विषमता छाई हुई है। उसको मैं स्वर्गीय मावलंकर जी, अध्यक्ष लोकसभा के शब्दों में दुहराऊं तो ठीक होगा। सन् १९५४ ई० में प्रेस सम्वाददाताओं को सम्बोधित करते हुये उन्होंने कहा था कि आज हमारे देश में, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में जो विषमता है अगर वह २५ साल में दूर नहीं की जाती है तो शान्ति स्थापित रखना असम्भव सा हो जायगा। बेचैनी फैल रही है। किस तरह से विषमता दूर की जाय। मैं छोटी बुद्धि वाला आदमी हूं, इसके लिये हमारे नेता हैं और हमारी सरकार है, वह इस पर अच्छी तरह से विचार कर सकती है, यह भी ठीक है कि जहां तक ला एंड आर्डर या शान्ति स्थापित करने का प्रश्न है, माननीय गाडगिल जी ने हाल ही में कहा था कि हर एक नागरिक को चाहे वह शहर का रहने वाला हो या गांव का रहने वाला हो, रोजगार न मिल जाय तब तक शान्ति व्यवस्था ठीक नहीं रह सकती है। तो जहां तक अन्न की व्यवस्था का प्रश्न था सरकार उसमें कुछ हद तक सफल हुई है। लेकिन यह सफलता ऐसी सफलता नहीं है जिसके आधार पर हम कह सकें कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी जो हैं वे आज बेरोजगारी से या भुखमरी से या दारिद्रता से पीड़ित नहीं हैं।

जहां तक पुलिस व्यवस्था का प्रश्न है, मैं अध्यक्ष महोदय, यह अवश्य कह देना चाहता हूं कि हमें पुलिस के कार्यों में उसको बधाई देना चाहिये। कुछ हद तक उन्होंने ला एण्ड आर्डर की समस्या को हल किया है। उन्होंने नामी डकैतों का विनाश किया, लेकिन हमें यह देख कर खेद होता है कि हमारी सरकारी पुस्तकों में आंकड़े कुछ गलत से दे दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप क्षमा करेंगे यदि मैं उन आंकड़ों को गलत कहूं, क्योंकि मैं उनको अनुभव के खिलाफ पाता हूं। हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस की तुलना ग्रेट ब्रिटेन की पुलिस से की गई है। कहा गया है कि हमारे प्रदेश में ६३,३४६ तफतीशी मामलात हुए जब कि ग्रेट ब्रिटेन में ५,७९,७५० मामलात हुए। अध्यक्ष महोदय, हम लोगों का कटु अनुभव है और खेद के साथ कहना पड़ता है, क्योंकि सत्य को छिपाना ठीक नहीं है कि आज हमारे पुलिस स्टेशन्स में जो क्राइम के फीगर्स लिखे जाते हैं वे बिल्कुल गलत होते हैं। क्योंकि पुलिस वाले रिपोर्ट्स नहीं लिखते हैं। उसका कारण यही है कि पुलिस वाले और पुलिस स्टेशन्स के अधिकारी आंकड़ों को ठीक लिखते हैं तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारे थाने में ला ऐन्ड आर्डर की व्यवस्था ठीक नहीं है। इतनी डकैतियां हो रही हैं, इतनी चोरियां हो रही हैं। तो आम तौर से पुलिस के अधिकारी अपराधों की रिपोर्ट्स को नहीं लिखते। यह एक नियम सा हो गया है और

यह भी उचित होगा यदि कहा जाय कि उसको लिखना एक एक्सेप्शन सा हो गया है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जहां सरकार ६३ हजार तफतीशी केसेज की बात लिखती है वहां सरकार के सामने वह रिपोर्ट्स नहीं होतीं जो कि हमारे प्रदेश में नहीं लिखी जाती है। कुछ प्रार्थना पत्र पुलिस अधिकारियों के पास जाते हैं, मैजिस्ट्रेट्स के पास जाते हैं और केसेज मैजिस्ट्रेट्स के सामने भी जाते हैं, जिनमें कहा जाता है कि अमुक केस में पुलिस वालों ने रिपोर्ट नहीं लिखी है। अगर उनका हम ध्यान रखें, अगर वह आंकड़े भी सरकार के सामने आ जायं तो सरकार को प्रतीत होगा कि वास्तव में ६३ हजार के जो आंकड़े दिये गये हैं वे गलत हैं और ये आंकड़े वास्तविक रूप में १० लाख तक पहुंचते हैं। तो यह भी, मैं समझता हूं ठीक ही होगा। अब ये चोरियां और जरायम क्यों होते हैं? इनके कारण क्या हैं? सबसे बड़ा कारण, अध्यक्ष महोदय, मैं यही कहूंगा कि जो मैंने अभी कहा, पुलिस रिपोर्ट्स को पुलिस अपने स्टेशन्स में नहीं लिखती। जो मिस्चिफ मोंगर्स हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, वे समझते हैं कि हमारे खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जायगी और उसका नतीजा यह होगा कि हमारे ऊपर अदालत में मुकदमा नहीं चलेगा। हम अदालत के सामने नहीं जायंगे। इस तरह से रिपोर्ट्स के न लिखने से उनको प्रोत्साहन मिलता है, और इसके लिये जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ही हो सकते हैं।

दूसरा कारण जैसा कि मैंने अभी कहा, गरीबी का है, आर्थिक कठिनाइयों का है। जब मनुष्य समझता है कि हमें किसी न किसी तरह से जीविका उपार्जन करना है तो वह इस तरह के बुरे कामों में फंसता रहता है। यह गरीबी कैसे मिटाई जा सकती है, यह सरकार इसके सम्बन्ध में विचार कर रही है। पंचवर्षीय योजना बनाई जा रही है और उससे जनता की कठिनाइयों का हल निकाला जा रहा है। वास्तव में अगर आर्थिक कठिनाइयां दूर हो जाती हैं तो यह भी कह सकते हैं कि जो जरायम हो रहे हैं वह भी किसी अंश तक दूर हो सकते हैं और दूर हो जायंगे।

अध्यक्ष महोदय, सरकार का एक ध्येय है कि हमारे देश में एक वर्गहीन और जातिहीन समाज की स्थापना की जाय और सरकार इसके लिये प्रारम्भिक कदम उठा रही है, लेकिन जो कदम उठाना चाहिये उसमें सरकार कुछ हद तक दूर रही है। हमारी पंचवर्षीय योजना का ध्येय यही है कि देश के पिछड़े वर्ग को ऊंचे उठाया जाय। किसी तरह से उनके सामाजिक और आर्थिक स्तर को ऊंचे उठाया जाय। इस सम्बन्ध में सरकार के सामने वक्तनफवक्तन बहुत से विवाद आते रहते हैं और प्रस्ताव भी कभी-कभी आ जाते हैं।

सरकार इस बात का वायदा करती है कि हमको पिछड़ी जाति को चाहे वह हरिजन हो, चाहे वह बैकवर्ड क्लास हो उन सब को उठाना है। हमारे हाउस में सर्व सम्मति से एक असरकारी प्रस्ताव भी पास हुआ है। वह प्रस्ताव यह था कि वास्तव में जो हमारे संविधान का ध्येय है कि जो पिछड़ी जातियां हैं उनको हम किस तरह से सर्विसेज में आगे लायें। संविधान की धारा १६ (४) के अनुसार प्रदेशीय सरकार को यह करना है कि जिनका प्रतिनिधित्व सर्विसेज में नहीं है उनका प्रतिनिधित्व किस तरह से सरकार पूरा करे। सरकार को उन्हें सर्विसेज में लाना है। मैं यहां पर रिजर्वेशन की बात नहीं कहना चाहता, लेकिन जैसा सरकार ने एक प्रस्ताव कबूल किया है उस तिथि से आज तक सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है। सरकार को चाहिये था कि उस ध्येय को पूरा करने के लिये कुछ करती, लेकिन कुछ नहीं किया गया। वह पीछे हटी है। अगर सरकार उन आंकड़ों को मंगा कर देखे तो सरकार को यह अच्छी तरह से मालूम हो जायगा कि वे जातियां नौकरियों के सम्बन्ध में कितनी पिछड़ी हुई हैं। आगे बढ़ाने के लिये उनके लिये कुछ नहीं किया गया है। हमें पूरा विश्वास है और हम इस बात की आशा करते हैं कि सरकार पिछड़े लोगों को आगे बढ़ाने के लिये कदम उठायेगी। मैं अधिक कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन सरकार से यह

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

आशा करता हूं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको आगे बढ़ाने का वह प्रयत्न करेगी और इसमें वह सफलता प्राप्त करेगी। जब तक हमारी ग्रामीण जनता आगे नहीं बढ़ेगी वैसे कागज पर तो कहा जाता है कि आगे बढ़ी है, लेकिन वास्तव में वह पिछड़ी हुई है—तब तक हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता है। हो सकता है कि हमारे प्रदेश में ६ करोड़ में से ५०, ६० लाख जनता आगे बढ़ जाय, लेकिन जब तक जो पिछड़े हुये लोग हैं अगर वे आगे नहीं बढ़ते हैं तो सरकार जो करोड़ों रुपया व्यय करने जा रही है वह सब बेकार है। इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस बात का प्रयत्न किया है कि इस प्रकार से पिछड़े लोगों को और ग्रामीण क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाय। वास्तव में उस दिन सरकार को श्रेय प्राप्त होगा कि जिस दिन वह स्वप्न पूरा हो जायगा। अगर वह स्वप्न पूरा नहीं होता है तो जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह मैं बेकार समझूंगा।

श्री पद्मनाभ सिंह (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को बजट पेश करने के लिये बधाई देने के लिये खड़ा हुआ हूं। जो बजट इस समय प्रस्तुत किया गया है उसको हम प्लानिंग बजट कह सकते हैं। वह प्लानिंग जो हमारे देश में चल रहा है वह एक विशेष लक्ष्य को लेकर चल रहा है और वह लक्ष्य यह है कि हम अपने देश में समाजवादी व्यवस्था स्थापित करें। हम इस बात को मानते हैं कि डेमोक्रेटिक पद्धति में समाजवादी व्यवस्था कायम करने के लिये कोई भी सरकार ऐसी बात नहीं कर सकती है जो आश्चर्य ला दे और जो एकदम जादू कर दे। वास्तव में समाजवादी ढंग का जो तरीका होता है उसमें ऐसे ढंग को स्वीकार किया जाता है जिसको न तो हम देख पाते हैं और न जिसके बारे में आश्चर्य करना पड़ता है। हमारे देश में बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं और आगे आने वाली योजनाओं में बहुत सी ऐसी बातें शामिल हैं जो बड़ी आश्चर्यजनक बातें हैं और जो बड़ी क्रान्तिकारी बातें हैं। लेकिन उनके करने और होने का ढंग ऐसा है जोकि हमारे मन को क्रान्तिकारी ढंग से प्रेरित नहीं करता। इसलिये इस बात को मानते हुये जब हम इस बजट पर ध्यान देते हैं तो विरोधी दल के ऐसे ऐसे लेक्चर सुनने को विवश होते हैं। इसलिये हम इस प्रगति को सोशलिस्टिक पैटर्न के साथ देखना चाहते हैं पर वह दिखाई नहीं पड़ती है फिर भी जो बजट वर्तमान रूप में पेश है उसके लिये हम वित्त मंत्री महोदय को बधाई देना चाहते हैं इस बात को मानते हुये कि यह बजट सोशलिस्टिक पैटर्न के रूप में प्लानिंग का काम आगे बढ़ाने के लिये उपस्थित किया गया है मैं कहना चाहता हूं कि यद्यपि हमारी वर्तमान सरकार इस दिशा में चलना चाहती है फिर भी मैं जिन बातों को वित्त मंत्री जी के भाषण में नहीं पाता हूं मुझे शंका हो रही है कि सोशलिस्टिक पैटर्न को जानबूझ कर या गलती से उसके लक्ष्य को छोड़ा जा रहा है। मैं उन बातों का जिक्र करना चाहता हूं। हमारे प्रदेश में सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री कायम हुये २ वर्ष के लगभग हो गया है। पिछले वर्ष तो हम बहुत आशा नहीं कर सकते थे लेकिन अगले वर्ष के लिये हम आशा करते थे कि हमारे प्रदेश में भिखमंगी खत्म हो जायगी। आप लखनऊ, कानपुर या कहीं भी चले जाइये, भीख मांगने वालों का समूह आपके सामने आ जाता है और देश की कंगाली का दृश्य हमारे सामने उपस्थित करता है। यह सरकार कर सकती है कि भिखमंगों में जो एबिलबाडीड हैं उनको काम में लगावे और बाकी के लिये अलहदा प्रबन्ध करे। ऐसा न किया गया तो यह समाज के सोशलिस्टिक पैटर्न के लिये कमजोर बनाने वाली बात होगी।

यह बजट बड़ा अच्छा है और प्लानिंग का है और समाजवाद की व्यवस्था की ओर ले जाने वाला है। हमारी आल-इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक प्रस्ताव पास किया था कि भूमि-सुधार के सम्बन्ध में भूमि की उच्चतर सीमा निर्धारण करना

अनिवार्य है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी इस बात पर जोर दिया गया है इस बात की कोशिश की गई है, कि प्रत्येक प्रदेश अपने यहां भूमि की उच्चतर सीमा निर्धारित करेगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बजट के भाषण में उसका नितान्त अभाव है। हमारे प्रदेश में कन्सालीडेशन हो रहा। मैं मानता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत बड़े लैन्ड के ओनर्स न हों लेकिन जब विशेष रूप से कृषि प्रधान कार्य हो रहा है, भूमि सुधार के सम्बन्ध में जहां सब से पहले कदम उठाया है, यह अवश्य होना चाहिये कि भूमि-सुधार के सम्बन्ध में हमारे प्रदेश में क्रान्ति आखिर तक पहुंचाई जानी चाहिये, यह नितान्त आवश्यक है कि भूमि की सीमा निर्धारित की जाय। इसके बगैर हमारी कन्सलिडेशन भी बेकार होगी क्योंकि जब हम यह सीमा निर्धारित बाद में करेंगे तो कन्सालीडेशन का कार्य अधूरा हो जाता है। लेकिन उच्चतर सीमा निर्धारण करने का इस बजट भाषण में कहीं संकेत नहीं है और न कहीं दूसरी जगह ही हमें इसका संकेत मिलता है। यह कार्य होना हमारी भूमि व्यवस्था के लिये कितना आवश्यक है, इस पर अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कांग्रेस भी हमारे इस सिद्धान्त को स्वीकार करती है। मैं यह समझता हूं यह मानता हूं कि सरकार उस दिशा में नहीं जा रही है। संभवतः सरकार का इरादा उस दिशा में जाने का है, यह चीज भूल से रह गयी है इसलिये मैं उसका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और यह इस पूरे प्रदेश की ही नहीं देश की सबसे बड़ी इच्छा है और उसका यह सबसे बड़ा लक्ष्य है कि हमारे यहां भूमि का कार्य उसकी अन्तिम चरम सीमा तक पहुंच जाय और भूमि का सीलिंग फिक्स कर दी जाय। मैं एक दिशा की ओर सरकार का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं।

यदि हमें गरीबी को दूर करना है, यदि हमें समानता को लाना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारे देश में जो जनसंख्या इतनी तीव्रता से बढ़ रही है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाय। अगर उसको कंट्रोल न किया जायगा तो आप चाहे जितना उत्पादन बढ़ायें लेकिन वह उसको खाती जायगी और हमारे देश और प्रदेश से गरीबी और कंगाली खत्म न हो पायेगी। इसलिये वित्त मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि वह बढ़ती हुई आबादी को रोकने का प्रयत्न करेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो हम कदापि विकास नहीं कर पायेंगे न हमारी योजनायें ही हमें कुछ लाभ पहुंचा सकेंगी और न हमारी समाजवाद की व्यवस्था ही कायम हो सकेगी। इसके सम्बन्ध में मैं एक फिगर उपस्थित करना चाहता हूं। जहां तक उत्पादन के बढ़ाने का सम्बन्ध है हम अमेरिका और उस रूस के उत्पादन की ओर देखते हैं तो जब हम उन देशों के उत्पादन और उनकी जनसंख्या का मुकाबिला अपने देश की जनसंख्या और उत्पादन से करते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि यदि जन संख्या के बढ़ने का यही क्रम रहा तो हमारा देश कदापि उन्नति नहीं कर सकता। अमेरिका की जन संख्या १५,९०,८४,००० है जब कि उसका क्षेत्रफल ३०,२२,३८७ वर्गमील है। रूस की जनसंख्या २१ करोड़ है और उसका क्षेत्रफल ८५,९८,७०० वर्गमील है इसके अनुपात में भारत की जनसंख्या ३६,१२,३९,४८५ है तथा क्षेत्रफल १३,६२,४२० वर्गमील है। अब यदि हम तुलना करते हैं तो एक ओर अमेरिका में १५ करोड़ ९० लाख पाप्युलेशन है तो उसका क्षेत्रफल ३० लाख वर्गमील है लेकिन हमारे देश में ३६ करोड़ की पापुलेशन है और १३ लाख वर्गमील उसका क्षेत्रफल है। रूस में २१ करोड़ की पापुलेशन है तो ८५ लाख वर्गमील उसके पास भूमि है। इन आंकड़ों को हमें अपने सामने रखना होगा। अगर उनको देखेंगे तो हम एक ही नतीजे पर पहुंचेंगे कि अगर हमने इसको कंट्रोल करने का कोई स्पीडी मैथड अख्तियार नहीं किया, एक निश्चित योजना के अन्तर्गत हम न चले तो हमारे उत्पादन का कोई अर्थ न होगा? और कंगाली देश में घर करके रहेगी। हम सोशलिस्टिक पेटर्न की सोसाइटी को कायम नहीं कर पायेंगे क्योंकि हमारा जो भी अधिक उत्पादन होगा वह उसे खाती जायगी। अगर हम इस प्रश्न

[श्री पद्मनाथ सिंह]

को एक प्रमुख स्थान नहीं देंगे तो हम अपने प्रदेश को व्यावहारिक रूप में उन्नत नहीं कर पायेंगे, उसका विकास नहीं कर पायेंगे और न सोशलिस्टिक पैटर्न को ही कायम कर पायेंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को कायम रखना चाहते हैं तो हमें इस दिशा में भी भय को छोड़ कर काम करना होगा। हमारा जो भी कुछ जनसंख्या को कंट्रोल करने की व्यवस्था है सब बड़े-बड़े शहरों में ही है और केवल उन परिवारों के लिये ही जो इस चीज को समझते हैं, एजूकेटेड हैं, गावों में और उन लोगों में हम इसको पोप्यूलेराइज नहीं कर पाये हैं जहां यह तीव्रता से बढ़ रही है, वहां हम इस विषय में कारगर नहीं हो पाये हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार प्लानिंग के साथ इस ओर भी अपना कदम उठायेगी।

प्लानिंग के सम्बन्ध में कुछ बात कहना चाहता हूं। उसके सम्बन्ध में लोगों की एक आम शिकायत है और उस शिकायत में कुछ वजन भी है। वह यह कि हमारे यहां वेस्टेज बहुत होता है। यह मैं मानता हूं कि सरकारी अधिकारी बहुत कुछ बदल चुके हैं लेकिन बहुत कुछ बदल चुकने के बावजूद भी वे बहुत रुपया वेस्ट करते हैं मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार स्टेट लेबिल पर एक कमेटी बनावे जो इस बात का निरन्तर बताती रहे कि जो रुपया मंजूर होता है उसका उपयोग ठीक तौर से होता है और कायदे से कार्यों का इम्पलीमेंटेशन होता है या नहीं। इसी तरह की कमेटी का बनाना अत्यन्त आवश्यक है, अगर आप इसको नहीं बनाते हैं तो आपके सामने हमेशा शिकायत बनी रहेगी और आप अपने विभाग में हमेशा वेग बने रहेंगे। इस कमेटी के बनने से आंकड़े भी ठीक आपके सामने आते रहेंगे और कार्य के स्टैन्डर्ड की ठीक जानकारी रहेगी तो आप आसानी से वेस्टेज जो हो सकता है उसको रोक सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में अगर हम कदम बढ़ावें तो प्रदेश का प्लानिंग का कार्य सुचारुरूप से हो सकेगा और जो रुपया व्यय होगा वह ठीक से खर्च होगा और प्लानिंग ठीक से हो सकेगी।

मैं एक बात की ओर और इशारा करना चाहता हूं और माननीय नौरंगलाल जी ने भी जिसके बारे में जिक्र किया और वह यह है कि गांवों के अन्तर्गत लोगों का ध्यान सरकारी कर्मचारियों की ओर अधिक चला गया है और हम गांव में देखते हैं कि वहां के जो कर्मचारी लेखपाल आदि हैं या जो नेशनल एक्सटेंशन ब्लाक्स हैं उनके जो लोग वहां रहते हैं, उन्होंने इस ब्यूरोक्रेसी की ओर अधिक रुख कर दिया है और जब कोई सार्वजनिक कार्यकर्त्ता या नेता यहां जाता है तो उसकी इतनी चर्चा नहीं होती है जितनी कोई जिलाधीश या सरकारी कर्मचारी जाता है उसकी होती है और इसको वहां फूलमाला पहनाई जाती हैं और उनकी जय जयकार मनाई जाती है और इस तरह से तो मैं समझता हूं कि जनतंत्र का विनाश और जनतन्त्र का हनन होता है और यह समाज के लिए बड़ा भारी खतरा है और इससे ब्यूरोक्रेसी को और तानाशाही प्रथा को ही प्रोत्साहन मिलता है। इसलिये जनतन्त्र में चुने हुए प्रतिनिधियों के स्टैन्डर्ड को ऊंचा उठाने के लिए और सर्विसेज के स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा, फूलमालायें जनसेवकों के गले में डाली जानी चाहिए। यदि हम इस चीज को नहीं रोकते तो यह मुसीबत और आगे बढ़ेगी और देश ब्यूरोक्रैट्स और अथारिटीज के हाथ में चला जायगा और यह ठीक नहीं है। अन्त में मैं इतना कह कर माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा कि वर्तमान परिस्थिति में जो बजट उन्होंने पेश किया है वह बहुत सुन्दर है और उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं।

*श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय वित्त मंत्री महोदय की बजट स्पीच को इस किताब से पढ़ा और उसमें खोजने की कोशिश की कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहीं समाजवाद मिले, लेकिन अफसोस है कि मुझे उसमें कहीं समाजवाद नजर नहीं आया। उसमें मुझे भुलावाबाद और धोखावाद जरूर मिला। इस सरकार ने वेलफेयर स्टेट से शुरू किया और एक साल बाद उसका भी फेयरवेल कर दिया, फिर उसने कोआपरेटिव कामन वेल्थ का नारा लगाया और उससे भी नानकोआपरेट किया, फिर सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कही और उसका प्रचार किया और उस के बाद अब समाजवाद का नारा उठाया गया है। इन सब बातों को देखने से मालूम होता है और डर भी यह लगता है कि कहीं एक साल बाद यह सोशलिस्टिक पेटर्न का नारा भी खत्म न हो जाय।

एक सदस्य--- फिर लोहियावाद होगा।

श्री रामसेवक यादव---पूंजीवाद और अराजकतावाद फैला हुआ है। अभी बाराबंकी के कांड हमें याद हैं। बजट की स्पीच पढ़ने से पता लगता है कि अशान्ति और दारिद्र का इस राज्य से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अगर कोई बाहरी आदमी होगा तो उस को इसे पढ़ने के बाद नजर आयेगा कि इस प्रदेश में अवश्य चारों तरफ खुशहाली है और वह हर तरफ तरक्की कर रहा है और यहां धोकई में समाजवाद आ गया है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो आज प्रदेश बिल्कुल विपरीत दिशा में जा रहा है।

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण कल जारी रखें।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२८ फरवरी, १९५६।

विधान परिषद सचिवालय

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ २४ पर)

अदालत का नाम	३० सितम्बर, १९५५ तक कुल बकाया मुकदमे	३० सितम्बर, १९५५ को २ वर्ष से ऊपर के बकाया मुकदमें
सिटी मुन्सिफ	१,७७५	१२३
जौनपुर मुन्सिफ	१,३४२	२९५
शाहगंज मुन्सिफ	१,७६९	३३७
एडीशनल मुन्सिफ	३७५	११९
योग ..	५,२६१	८७४

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ३१ पर)

विसुन्दरपुर, मिर्जापुर वर्कशाप में नियमित रूप से (Regular) रक्खे गये कर्मचारियों की सूची

क्रम-संख्या	नाम तथा पद	पदों की संख्या	वेतन-क्रम	स्थायी या अस्थायी	नौकरी की अवधि
१	श्री बी० डी० त्रिपाठी, चार्जमैन	१	१२०—६—१६२—६—२१०—१०—२५०	अस्थायी	६ वर्ष १० महीने लगभग।
२	श्री आर० पी० गुप्त, क्लर्क और स्टोर कीपर	१	६०—३—९०—४—११०	,,	१० महीने लगभग।
३	श्री नन्कू राय (हेड फीटर)	१	७५—५—१२०	,,	५ वर्ष ३ महीने लगभग।
४	श्री राजनारायण (वेल्डर)	१	४५—२—६५—३—८०	,,	४ वर्ष ५ महीने जायगा।

संसद सदस्य पर्यवेक्षण समूह

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५८–५९ के उत्तर पीछे पृष्ठ ३४ पर)

लखनऊ शहर में म्युनिसिपल बोर्ड द्वारा बनाये गये रिफ्यूजी मार्केट, उनकी लागत तथा किराया इत्यादि की सूची

क्रम संख्या	मार्केट का नाम	लागत	किराया	किराये का आधार	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
		रु०			
१	म्युनिसिपल रिफ्यूजी मार्केट, चारबाग ..	८,७२,०००	९ रु० से ६५ रु० तक	लागत का ८ प्रतिशत	(१) हरएक मार्केट में छोटी बड़ी दोनों प्रकार की दुकानें बनाई गई हैं।
२	नया रिफ्यूजी मार्केट, तुलसीदास मार्ग ..	४,१०,७७२	९ रु० से ७५ रु० तक	,,	(२) किराये का भुगतान हर महीने की ५ तारीख के अन्दर कर देने से ६ पैसा प्रति रुपया छूट दी जाती है।
३	पुराना रिफ्यूजी मार्केट, (वेजीटेबुल मार्केट के ऊपर) तुलसीदास मार्ग ..	७६,०००	२० रु०	,,	..
४	रिफ्यूजी मार्केट (नानपारा हाउस) विश्वेश्वरनाथ रोड ..	१,३२,८००	२५ रु०	,,	..
५	भूपाल हाउस, रिफ्यूजी मार्केट, लाल बाग ..	१०,०५,६२९	२५ रु० से १९३ रु० २ आ० तक	,,	..
६	रिफ्यूजी मार्केट, निकट नेशनल हेराल्ड, कैसरबाग	१,७९,९२५	७ रु० से ४८ रु० तक	,,	..

पी० एस०–यू० पी०–ए० पी० २४७ एल० ए०—१९५६—७९६।